

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-मार्च, 2019 सत्र

मंगलवार, दिनांक 05 मार्च, 2019

तारांकित प्रश्नोत्तर

सामरी विधान सभा क्षेत्र में संचालित नल जल योजना

1. (*क्र. 1476) **श्री चिन्तामणि महाराज** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र सामरी अंतर्गत कितनी नल जल योजना संचालित है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : विधानसभा क्षेत्र सामरी अंतर्गत 20 नलजल योजना संचालित है.

राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन के स्रोत

2. (*क्र. 1854) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत उत्पादन के कौन-कौन से स्रोत राज्य में विद्युत उत्पादन के हैं ? जिलेवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत आधारित उत्पादन की स्रोतवार, जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

जिला मुंगेली में नलकूप खनन

3. (*क्र. 1829) **श्री पुनूलाल मोहले** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुंगेली में वर्ष 2018-19 में कितने हैंडपंप नलकूप खनन किये गये हैं ? (ख) कितने नलकूप एवं हैंडपंप का पानी पीने योग्य हैं, एवं कितने अयोग्य हैं ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) जिला मुंगेली में वर्ष 2018-19 में 130 नलकूप खनन किये गये हैं. (ख) खनित 130 नलकूपों में 119 सफल एवं 11 असफल है. सभी खनित 119 सफल नलकूपों (हैंडपंप) का पानी पीने योग्य है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला बेमेतरा में स्वीकृत रेत एवं मुरुम खदान

4. (*क्र. 1906) **श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बेमेतरा में कहाँ-कहाँ पर रेत एवं मुरुम खनन की अनुमति विभाग द्वारा किस-किस फर्म/व्यक्ति को वर्ष 2016 से 2018 तक दी गई ? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश "क" के तहत स्वीकृत रेत एवं मुरुम खदानों से कितने घनमीटर खनिज परिवहन हेतु रायल्टी राशि जमा कर विभाग से रायल्टी पर्ची प्राप्त किया गया है ? वर्षवार जानकारी दें ? (ग) क्या अवैध रेत एवं मुरुम खदान संचालन की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला बेमेतरा में वर्ष 2016 से 2018 तक मुरुम खनन हेतु कोई उत्खननपट्टा स्वीकृत नहीं किया

गया है, अपितु खुदाई कार्य के दौरान प्राप्त मुरूम के परिवहन हेतु जारी अनुमति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं स्वीकृत रेत खदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर विकासखण्डवार दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” के तहत मुरूम खनिज हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक के कॉलम नंबर 5 पर दर्शित है तथा रेत खनिज हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो के कॉलम नंबर 5, 6 एवं 7 पर दर्शित है. (ग) उक्त अवधि में रेत तथा मुरूम के अवैध खदान संचालन से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर दर्शित है.

जिला महासमुंद में सौर सुजला योजना के तहत सोलर पम्प आवंटन

5. (*क्र. 1892) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौर सुजला योजना अंतर्गत महासमुंद जिले में वर्ष 2016 से 2018 तक कितने हितग्राहियों को सोलर पम्प दिया गया ? वर्षवार बतायें ? (ख) सोलर पम्प किस कम्पनी से प्रदाय किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) सौर सुजला योजना अंतर्गत महासमुंद जिले में वर्ष 2016 से 2018 तक कुल 2,627 हितग्राहियों को सोलर पम्प दिया गया है, जिसकी वर्षवार जानकारी नीचे तालिका में दर्शित है :-

वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19 31 दिसम्बर 2018 तक की स्थिति में	कुल स्थापित सोलर पम्पों की संख्या
958	1,179	490	2,627

(ख) सौर सुजला योजना अंतर्गत महासमुंद जिले में सोलर पम्प स्थापना हेतु चयनित कार्य एजेंसी एवं उनके द्वारा स्थापित किए गए सोलर पंप की वर्षवार जानकारी नीचे तालिका में है :-

क्रमांक	कार्य एजेंसी का नाम	वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल स्थापित सोलर पम्पों की संख्या
		2016-17	2017-18	2018-19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मेसर्स कोलोसल कॉमर्सियल, रायपुर	122	186	102	410
2.	मेसर्स इकोजेन सॉल्यूशन, रायपुर	182	535	255	972
3.	मेसर्स गुप्ता एग्रो एम्प्लीमेंट, रायपुर	238	0	0	238
4.	मेसर्स रोटोमेग मोटर्स, रायपुर	56	0	0	56
5.	मेसर्स शक्ति पम्प रायपुर	360	119	0	479
6.	मेसर्स कॉस्मो प्रोडक्ट, रायपुर	0	89	59	148
7.	मेसर्स सी.आर.आई. पम्प रायपुर	0	50	74	124
8.	मेसर्स टाटा पॉवर रायपुर	0	200	0	200
9.	मेसर्स एक्सेस सोलर रायपुर	0	0	0	0
कुल		958	1179	490	2627

प्रदेश में सहायक अधिनस्थ लेखा सेवा अधिकारी (एसएस) के रिक्त पदों पर भर्ती

6. (*क्र. 1296) **श्री मोहन मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वित्त विभाग अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में सहायक अधिनस्थ लेखा सेवा अधिकारी (एसएस) के कुल कितने पद स्वीकृत, भरे एवं रिक्त हैं ? स्वीकृत एवं रिक्त पदों में से कितने सीधे भर्ती के कितने पदोन्नति से तथा कितने विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (विभागीय/वरन्) से पूर्ति किए जाने वाले पद हैं ? (ख) रिक्त पद (विभागीय/वरन्) की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में सहायक अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी (एसएस) के कुल स्वीकृत पद 516, भरे पद 291 एवं रिक्त पद 225 हैं। रिक्त पदों में से 105 पद सीधी भर्ती से, 11 पद कोषालयीन कर्मचारियों की पदोन्नति से, 86 पद विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (वरन्) से एवं 23 पद कोषालयीन कर्मचारी की प्रतियोगी परीक्षा (विभागीय) से पूर्ति किये जाने वाले पद हैं। (ख) समय सीमा बताना संभव नहीं है।

नया रायपुर स्थित मंत्रालय भवन निर्माण में व्यय

7. (*क्र. 1392) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नया रायपुर स्थित मंत्रालय भवन के निर्माण के लिए किस-किस संस्था/एजेन्सी को किस-किस दर पर कार्य दिया गया ? (ख) कार्य कब पूरा हुआ ? भवन निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है। (ख) कार्य 31 मार्च 2013 को पूर्ण हुआ है। भवन निर्माण में रुपये 241.71 करोड़ व्यय हुआ है।

पथलगांव विधानसभा क्षेत्र के तहत खनिज विकास न्यास मद से स्वीकृत निर्माण कार्य

8. (*क्र. 660) **श्री रामपुकार सिंह ठाकुर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पथलगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में खनिज विकास न्यास मद के तहत क्या-क्या निर्माण कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? (ख) कितने पूर्ण और कितने अपूर्ण हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) पथलगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से विभिन्न निर्माण कार्यों में स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम क्रमांक 08 पर दर्शित है।

बस्तर संभाग में सौर ऊर्जा पम्प की स्थापना

9. (*क्र. 1937) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से जनवरी, 19 के मध्य कितने ग्रामों में सौर ऊर्जा पम्प लगाया गया है ? (ख) प्रश्नांश "क" में स्थापित सौर ऊर्जा पम्प के मरम्मत व रख रखाव हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से जनवरी, 19 के मध्य 505 ग्रामों में सौर ऊर्जा पम्प स्थापित किए गए हैं। (ख) उत्तरांश "क" में उल्लेखित 505 ग्रामों स्थापित सौर ऊर्जा पम्प के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु कुल रूपए एक करोड़ इक्कीस लाख चौबीस हजार चार सौ सैंतीस संबंधित एजेंसी को प्रदाय किया गया है जिसकी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित क्रेशर

10. (*क्र. 1641) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने क्रेशर संचालित हैं उसमें कितने चालू हालत में हैं एवं कितने बंद हैं ? (ख) उक्त क्रेशर संचालकों को कितने हेक्टेयर जमीन लीज पर दी गई है ? संचालकों के नाम एवं जमीन की जानकारी अलग-अलग दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 101 क्रेशर हैं, एवं सभी क्रेशर संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश-"क" के परिप्रेक्ष्य में संचालित 101 क्रेशर में से 51 क्रेशर संचालकों को उत्खनिपट्टा स्वीकृत है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" दर्शित है।

कोरबा क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर

11. (*क्र. 1116) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले तीन वर्षों में कोरबा क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रदूषण का स्तर क्या है ? (ख) क्या यहां सी. पी. सी. बी. (सेन्ट्रल पॉल्यूसन कंट्रोल बोर्ड) ने नए उद्योगों की स्थापना पर रोक लगायी है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) जी नहीं. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

रायगढ़ जिले में सौर सुजला योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन

12. (*क्र. 63) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत वर्ष 2017-18 से जनवरी, 2019 तक अवधि में सौर सुजला योजना अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने स्वीकृत/अस्वीकृत हुए ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) उक्त योजनांतर्गत कितनी-कितनी राशि सब्सिडी अंशदान के रूप में दी जाती है ? (ग) प्रश्नांक “क” तहत कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिले में सौर सुजला योजना फेस-2 एवं फेस-3 अंतर्गत सौर पंप की स्थापना हेतु कृषि विभाग से अनुशंसित 1,664 आवेदन प्राप्त हुये हैं. उक्त आवेदनों में से 1,290 आवेदन स्वीकृत और 04 आवेदन हितग्राहियों के निवेदन पर अस्वीकृत किए गए हैं. विकासखण्डवार स्वीकृत/अस्वीकृत एवं लंबित आवेदनों की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) सौर सुजला योजनांतर्गत स्वीकृत आवेदनों के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले पंप हेतु सब्सिडी की राशि की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) उत्तरांश “क” में उल्लेखित प्राप्त आवेदनों में से स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदनों के समायोजन उपरांत अतिशेष 370 आवेदन स्वीकृति हेतु वर्तमान में लंबित हैं लंबित आवेदनों को वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना में सम्मिलित करने के प्रयास हैं. अतः लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर लिया जाएगा की जानकारी वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है.

जिला राजनांदगांव को खनिज मद से प्राप्त अनुदान राशि एवं व्यय

13. (*क्र. 1727) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में वर्ष 2015 से 30 नवम्बर, 2018 तक डी.एम.एफ. (खनिज) मद से विभिन्न माईनिंग कार्यों के लिए कितनी राशि का अनुदान प्राप्त हुआ ? तथा किन-किन विकासखण्डों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : डी.एम.एफ. (खनिज) मद से विभिन्न माईनिंग कार्यों के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाता है, अपितु राजनांदगांव जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में वर्ष 2015 से 30 नवम्बर 2018 तक राशि 52 करोड़ 99 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं. विकासखण्डवार स्वीकृत कार्यों तथा व्यय की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

जिला जांजगीर चांपा में बारिश से धान खराब होने की मात्रा

14. (*क्र. 1956) **श्री नारायण चंदेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में जनवरी, 2019 में किस-किस खण्ड के धान खरीदी केन्द्रों में कितना धान बारिश से खराब हुआ ? (ख) क्या बारिश व प्राकृतिक आपदा से धान को बचाने के लिये तालपत्री खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो इस वर्ष कितनी राशि का और किस संस्था द्वारा खरीदी कब किया गया है.

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में जनवरी 2019 में बारिश से खराब हुए धान की मात्रा निरंक है. (ख) जी हां. खरीफ वर्ष 2018-19 में जिले की सहकारी समितियों द्वारा राशि रुपये 6007738.00 मूल्य की तालपत्रियाँ खरीदी गई है. समितिवार खरीदी गयी तालपत्रियों की राशि तथा खरीदी दिनांक का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला धमतरी में विद्युत टावर से प्रभावितों को मुआवजा

15. (*क्र. 1882) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 में धमतरी जिले में कितने विद्युत टावर खड़े किये गये हैं ? (ख) क्या सभी जमीन मालिकों को इसका मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्ष 2018-19 में दिनांक 16-02-2019 तक धमतरी जिले में 04 विभिन्न विद्युत पारेषण लाईनों यथा विद्यमान रायता-जगदलपुर लाइन का 400 के.व्ही. कुरुद सबस्टेशन में लिलो, 132 के.व्ही. कुरुद-भखरा विद्युत पारेषण लाइन, 132 के.व्ही. कांकर-नगरी विद्युत पारेषण लाइन एवं 220 के.व्ही. कुरुद-गुरुद विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण अंतर्गत 200 नग टावर स्थापित किए जा चुके हैं. (ख) जी नहीं. दिनांक 16-02-2019 तक धमतरी जिले में स्थापित किए गए 200 नग टावर एवं विद्युत पारेषण लाईनों से प्रभावित भूमि के भूस्वामियों में से 203 भूस्वामियों को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, जिसका पारेषण लाइनवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. शेष भूस्वामियों को देय मुआवजा राशि के निर्धारण/भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. अतः कब तक भुगतान कर दिया जावेगा की जानकारी वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है.

राजनांदगांव जिले में बंसोड़/बांस उद्योगों को बांस का प्रदाय

16. (*क्र. 1864) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वन मंडल खैरागढ़ एवं राजनांदगांव द्वारा सन् 2015-2016 से जनवरी, 2019 तक डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के बंसोड़ एवं बांस उद्योग से जुड़े परम्परागत समुदायों की क्षमता के उन्नयन के लिए प्रतिवर्ष बांस देने का लक्ष्य क्या था ? लक्ष्य के विरुद्ध कितना दिया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : वन मंडल खैरागढ़ एवं राजनांदगांव द्वारा सन् 2015-16 से जनवरी, 2019 तक डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के बंसोड़ एवं बांस उद्योग से जुड़े परम्परागत समुदायों की क्षमता के उन्नयन के लिए 7,87,500 नग बांस प्रदाय करने का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 3,06,055 नग बांस प्रदाय किया गया है. प्रतिवर्षवार लक्ष्य एवं बांस प्रदाय का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्रों/ग्रामों में इंटरनेट सुविधा के विस्तार हेतु केबल बिछाने की प्रदत्त अनुमति

17. (*क्र. 1411) **श्रीमती रश्मि आशिष सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्रों/वन ग्रामों में वर्ष 2018 में इंटरनेट की सुविधा के लिए ऑप्टिकल केबल बिछाने हेतु वन विभाग द्वारा किन-किन क्षेत्रों में कब-कब अनुमति प्रदान की गई ? (ख) प्रश्नांश “क” हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये थे ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रदेश में वर्ष 2018 में इंटरनेट की सुविधा के लिए भूमिगत ऑप्टिकल केबल बिछाने हेतु वन विभाग द्वारा दी गई अनुमति ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) वन भूमि पर मार्ग के विद्यमान राईट ऑफ वे के अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल केबल बिछाने की स्वीकृति जारी करने का अधिकार छ.ग. शासन, वन विभाग के ज्ञाप दिनांक 26-05-2018 द्वारा समस्त क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है. इस ज्ञाप दिनांक 26-05-2018 में अनुमति प्रदान किए जाने के 19 मापदण्ड वर्णित है. यह ज्ञाप दिनांक 26-05-2018 ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. मुख्य मापदण्ड इस प्रकार है :—

- (1) प्रस्तावित क्षेत्र का आवेदक संस्थान द्वारा डी.जी.पी.एस. सर्वे कराया जाना अनिवार्य है.
- (2) मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों के कटाई के अधिकतम 2 मीटर गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई की खंती खोदकर केबल बिछाने की अनुमति दी जा सकती है.
- (3) प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य सीमा के बाहर होना चाहिए.
- (4) खंती पाटने के लिए वन क्षेत्र में मिट्टी और पत्थर का उत्खनन नहीं किया जायेगा.
- (5) राजस्व वन क्षेत्र के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर की अनापत्ति अनिवार्य होगी.
- (6) यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व कार्यवाही की जावेगी.
- (7) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा.
- (8) ऑप्टिकल केबल बिछाने के कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य की अनुमति नहीं होगी.

इसके अतिरिक्त दूरसंचार लाईन के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं हेतु 1.00 हे. की सीमा में वनमंडलाधिकारी को अनुमति देने के अधिकार हैं. इस संबंध में भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय का मार्गदर्शी पत्र दिनांक 18.05.2009 † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित है.

छ.ग. प्रदेश में संचार क्रांति योजना के तहत मोबाईल फोन का वितरण

18. (*क्र. 1848) **श्री दीपक बैज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में “संचार” क्रांति योजना के तहत जनवरी, 2019 तक कितने मोबाईल फोन का वितरण किया जा चुका है ? (जिलेवार जानकारी दी जाये). (ख) प्रदेश में कुल कितने मोबाईल फोन बाटने का लक्ष्य निर्धारित था ? लक्ष्य के विरुद्ध कितने मोबाईल फोन बाटे गये ? लागत राशि सहित जिलेवार जानकारी दी जायें ? (ग) इस कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिये कितनी राशि व्यय की गयी है ? उक्त व्यय किस मद से किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छ.ग. प्रदेश में “संचार” क्रांति योजना के तहत दिनांक 6 अक्टूबर 2018 तक कुल 29.14 लाख मोबाईल फोन का वितरण किया जा चुका है. उसके उपरान्त मोबाईल वितरण कार्य बंद है. जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-03 में दी गई है. (ख) प्रदेश में कुल 38.35 लाख मोबाईल फोन बाटने का लक्ष्य निर्धारित था. लक्ष्य के विरुद्ध 29.14 लाख मोबाईल फोन बाटे गये. लागत राशि सहित जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-04 में दी गई है. (ग) इस कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिये परियोजना अंतर्गत चिप्स द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गई है.

रायगढ़ जिले में खनिज चोरी, अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरण

19. (*क्र. 1681) **श्री प्रकाश शंकाजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाईट, क्वार्ट्जमाईट के अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? (ख) कितनी-कितनी दंड राशि की वसूली की गयी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 (जनवरी, 2019 तक) में खनिज कोयला, निम्न श्रेणी चूनापत्थर, डोलोमाईट, क्वार्ट्जमाईट के अवैध उत्खनन के 13 प्रकरण, अवैध भण्डारण के 29 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 151 प्रकरण, कुल 193 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. (ख) प्रश्नांश-“क” में उल्लेखित प्रकरणों में अवैध उत्खनन पर राशि 4 लाख, 70 हजार, 9 सौ रुपये, अवैध भण्डारण पर राशि 14 लाख, 31 हजार, 7 सौ 50 रुपये एवं अवैध परिवहन पर राशि 24 लाख, 96 हजार, 8 सौ 99 रुपये कुल 43 लाख, 99 हजार, 5 सौ 49 रुपये समझौता राशि के रूप में वसूल किया गया है.

बिलासपुर की अरपा नदी में रेत उत्खनन का प्रदत्त पट्टा

20. (*क्र. 1543) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के अरपा नदी में कितने स्थानों पर किनको रेत उत्खनन का पट्टा दिया गया है ? (ख) विगत 5 वर्षों में अरपा नदी के रेत उत्खनन से कितनी रायल्टी राशि का प्राप्ति हुई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बिलासपुर जिले की अरपा नदी में कुल 28 स्थानों पर रेत उत्खनन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को अनुमति प्रदान की गई है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) विगत 05 वर्षों में अरपा नदी के रेत उत्खनन से वर्षवार प्राप्त रायल्टी की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	वित्तीय वर्ष (2)	रायल्टी राशि (रुपये में) (3)
1.	2014-15	78,74,760
2.	2015-16	27,84,000
3.	2016-17	49,06,000

(1)	(2)	(3)
4.	2017-18	63,78,000
5.	2018-19	45,83,050
योग		2,65,25,810

बलौदा विकासखंड के ग्राम जावलपुर में नलजल योजना का निर्माण

21. (*क्र. 352) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम जावलपुर में नलजल योजना का नवीन निर्माण कार्य कितनी लागत से कब और किस एजेंसी द्वारा करवाया गया था ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम जावलपुर की नलजल योजना का निर्माण कार्य रु. 48.96 लाख की लागत से कराया गया है। कार्य पूर्णता की तिथि एवं एजेंसी जिससे कार्य कराया गया है, की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का नाम	लागत (रु. लाख में)	एजेंसी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सर्वे एवं डी.पी.आर. निर्माण	0.25	मेसर्स फ्यूटेक कम्प्यूटर रायपुर
2.	02 नग पावर पंप स्थापना	0.96	मेसर्स विक्रान्त सबमर्सिबल पम्प , रायपुर
3.	140 कि.ली क्षमता 12 मी. ऊंचाई के उच्चस्तरीय जलागार निर्माण कार्य.	17.95	मेसर्स गोस्वामी कन्स्ट्रक्शन, उसलापुर (छ.ग.)
4.	पाईप लाईन विस्तार कार्य	26.70	मेसर्स रितेश कुमार अग्रवाल, रायगढ़ (छ.ग.)
5.	उच्चस्तरीय जलागार की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य.	2.01	मेसर्स मुकेश कुमार बंजारे, गिधा (छ.ग.)
6.	02 नग बिक्र मेसेनरी स्वीच रूम निर्माण कार्य	1.09	मेसर्स मुकेश कुमार बंजारे, गिधा (छ.ग.)
योग		48.96	

वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एन्टी करप्शन एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज प्रकरण

22. (*क्र. 1668) **श्री संतराम नेताम** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2018 तक वन विभाग के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एन्टी करप्शन एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किन-किन धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) उपरोक्त में से कितने प्रकरण पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ? (ग) किन-किन अधिकारियों के पास आय से अधिक संपत्ति प्राप्त हुई ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2018 तक एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है। विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) उपरोक्त में से 08 प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है। विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ग) बारह अधिकारियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की कार्यवाही हुई है। विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

बिजली बिल आधा करने संबंधी

23. (*क्र. 1943) **श्री शिवरतन शर्मा**: क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है ? विद्युत मंडल के संचारीय स्तर पर जानकारी दें ? (ख) शासन द्वारा बजट में घोषित बिजली बिल आधा करने से शासन को प्रति माह कितना नुकसान होगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले 49 लाख 5 हजार सैतालीस विद्युत उपभोक्ता हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संचारण-संधारण, संचागवार उक्त उपभोक्ताओं की संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिमाह 400 यूनिट तक के खपत पर देय बिजली बिल को आधा करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं हेतु वर्तमान में लागू बिजली की दरों के अनुसार शासन पर प्रतिमाह सब्सिडी के मद में लगभग राशि रुपये 79.33 करोड़ व्यय भार अनुमानित है।

रायपुर संभाग में किम्बरलाईट एवं अलेक्जेंड्राईट खनिजों का सर्वेक्षण

24. (*क्र. 1785) **श्री अरूण बोरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर संभाग में किम्बरलाईट एवं अलेक्जेंड्राईट खनिजों की खदान कहाँ-कहाँ है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) क्या इन खदानों का सर्वेक्षण का कार्य कराया गया है ? यदि हाँ, तो कब एवं किस एजेंसी द्वारा ? (ग) इन खदानों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायपुर संभाग में किम्बरलाईट एवं अलेक्जेंड्राईट का कोई खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है, अपितु इन खनिजों की उपलब्धता के संबंध में सर्वेक्षण/पूर्वक्षण कार्य किया गया है। (ख) जी हाँ। जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ग) मैनपुर स्थित किम्बरलाईट क्षेत्रों में अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग, वन विभाग एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण पुलिस थाना शोभा, पायलीखण्ड, अमलीपदर, ईदागांव में नवीन पुलिस थाने खोले गये हैं। पुलिस कैम्प के लिये आवश्यक निर्माण हेतु रुपये 400.09 लाख पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद को दिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा लगातार पेट्रोलिंग/गस्त के साथ-साथ, समय-समय पर मोबाईल चेकपोस्ट लगाकर वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की जांच एवं मुखबिरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।

बस्तर नेट परियोजना के तहत प्रस्तावित कार्य

25. (*क्र. 1844) **श्री रेखचन्द जैन** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर नेट परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था ? इसके तहत कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित थे और इन कार्यों की पूर्णता की समय सीमा क्या निर्धारित की गई थी ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में चिप्स को बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों से कब-कब किस मद से कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई है ? (ग) इस परियोजना के लिए क्या चिप्स के द्वारा अन्य सरकारी विभागों या निजी क्षेत्र की कंपनियों/फर्मों को किसी प्रकार की राशि का भुगतान किया गया है ? यदि हाँ, तो कब-कब किस-किस को कितनी राशि भुगतान की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बस्तर नेट परियोजना का शुभारंभ 5 अप्रैल, 2017 को हुआ था। योजना के तहत बस्तर संभाग के सात जिलों में 836 किलोमीटर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल रिंग पद्धति से बिछा कर कनेक्टिविटी प्रदान करना प्रस्तावित था। इन कार्यों की पूर्णता की समय-सीमा 8 माह निर्धारित की गई थी। (ख) बस्तर नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बस्तर संभाग के 7 जिलों से चिप्स को प्राप्त जिलेवार राशि एवं मद की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	वित्तीय वर्ष (2)	जिला का नाम (3)	मद का नाम (4)	राशि (रु.) (5)
1.	2017-18	कोण्डागांव	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	3,00,00,000.00
2.		दंतेवाड़ा	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	2,00,00,000.00
3.		कांकेर	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	3,00,00,000.00
4.		बीजापुर	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	3,00,00,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.		जगदलपुर	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	33,02,742.00
6.		सुकमा	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	2,00,00,000.00
7.		नारायणपुर	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	1,00,00,000.00
8.	2018-19	जगदलपुर	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	11,19,00,000.00
9.		कांकेर	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	3,00,00,000.00
10.		दंतेवाड़ा	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	5,35,00,000.00
11.		सुकमा	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	5,57,00,000.00
12.		बीजापुर	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	6,00,00,000.00
13.		कोण्डागांव	जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	1,00,00,000.00
कुल राशि				46,44,02,742.00

(ग) बस्तर नेट परियोजना के लिए चिप्स द्वारा सरकारी विभागों एवं निजी क्षेत्र के कंपनियों/फर्म को भुगतान राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

सेवा प्रदाता एजेंसी को किया गया भुगतान

क्र. (1)	सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम (2)	भुगतान दिनांक (3)	राशि (रु.) (4)	कार्य (5)
1.	मेसर्स एच.एस. मेहता प्रा. लिमिटेड	26-03-2018	2,61,57,243.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
2.	मेसर्स एच.एस. मेहता प्रा. लिमिटेड	27-03-2018	3,92,35,864.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
3.	मेसर्स एच.एस. मेहता प्रा. लिमिटेड	19-06-2018	6,48,99,590.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
4.	मेसर्स एच.एस. मेहता प्रा. लिमिटेड	25-07-2018	2,50,00,000.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
5.	मेसर्स एच.एस. मेहता प्रा. लिमिटेड	04-09-2018	4,00,00,000.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
6.	मेसर्स एच.एस. मेहता प्रा. लिमिटेड	11-10-2018	1,53,93,107.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
7.	मेसर्स एच.एस. मेहता प्रा. लिमिटेड	14-12-2018	1,50,00,000.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
8.	मेसर्स एच.एस. मेहता प्रा. लिमिटेड	17-01-2019	78,56,101.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
9.	मेसर्स रॉकड्रिल प्रा. लिमिटेड	25-07-2018	6,00,00,000.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
10.	मेसर्स रॉकड्रिल प्रा. लिमिटेड	15-01-2018	1,44,09,412.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
11.	मेसर्स रॉकड्रिल प्रा. लिमिटेड	11-10-2018	3,00,00,000.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
12.	मेसर्स रॉकड्रिल प्रा. लिमिटेड	14-12-2018	1,50,00,000.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
13.	मेसर्स रॉकड्रिल प्रा. लिमिटेड	17-01-2019	1,78,62,242.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
14.	मेसर्स एस आर आई टी प्रा. लिमिटेड	24-01-2018	2,83,85,672.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
15.	मेसर्स एस आर आई टी प्रा. लिमिटेड	31-03-2018	56,77,134.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
16.	मेसर्स एस आर आई टी प्रा. लिमिटेड	10-08-2018	82,05,354.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
17.	भारती एवं रटेल लिमिटेड	04-02-2019	14,21,359.00	योजना क्रियान्वयन हेतु
कुल राशि			41,45,03,078.00	

शासकीय विभाग को किया गया भुगतान

क्र. (1)	शासकीय विभाग का नाम (2)	भुगतान दिनांक (3)	राशि (रु.) (4)	कार्य (5)
1.	छत्तीसगढ़ संवाद	13-08-2018	2,49,253.00	निविदा व्यय
2.	छत्तीसगढ़ संवाद	31-01-2018	4,10,893.00	निविदा व्यय
3.	रेलवे विभाग (राईट आफ वे हेतु)	16-06-2017	23,263.00	राईट आफ वे हेतु

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	रेलवे विभाग (राईट आफ वे हेतु)	02-11-2017	4,03,360.00	राईट आफ वे हेतु
5.	रेलवे विभाग (राईट आफ वे हेतु)	09-11-2017	1,60,000.00	राईट आफ वे हेतु
6.	वनमंडलाधिकारी, ईस्ट कांकर	20-07-2017	24,000.00	राईट आफ वे हेतु
7.	वनमंडलाधिकारी, नार्थ कोंडागांव	20-07-2017	24,000.00	राईट आफ वे हेतु
8.	वनमंडलाधिकारी, ईस्ट भानुप्रतापपुर	05-06-2017	24,000.00	राईट आफ वे हेतु
9.	वनमंडलाधिकारी, बीजापुर	05-06-2017	24,000.00	राईट आफ वे हेतु
10.	वनमंडलाधिकारी, सुकमा	05-06-2017	24,000.00	राईट आफ वे हेतु
11.	वनमंडलाधिकारी साउथ कोंडागांव	20-07-2017	24,000.00	राईट आफ वे हेतु
12.	वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा	20-07-2017	24,000.00	राईट आफ वे हेतु
13.	वनमंडलाधिकारी, जगदलपुर	20-07-2017	24,000.00	राईट आफ वे हेतु
14.	वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर	20-07-2017	24,000.00	राईट आफ वे हेतु
15.	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली	20-04-2018	17,60,730.00	राईट आफ वे हेतु
16.	सी एस आई आई सी एल	09-02-2018	5,00,000.00	राईट आफ वे हेतु
कुल राशि			37,23,499.00	

योजना संचालन हेतु किये गये अन्य व्यय

क्रमांक (1)	नाम (2)	भुगतान दिनांक (3)	राशि (4)	कार्य (5)
1.	गैलेक्सी	15-06-2018	96,149.00	संचालन हेतु
2.	श्री रामजी ट्रेवल्स	01-08-2018	56,408.00	संचालन हेतु
3.	श्री रामजी ट्रेवल्स	05-04-2018	48,853.00	संचालन हेतु
4.	श्री रामजी ट्रेवल्स	14-05-2018	56,703.00	संचालन हेतु
5.	श्री रामजी ट्रेवल्स	19-02-2018	21,919.00	संचालन हेतु
6.	श्री रामजी ट्रेवल्स	22-06-2018	55,427.00	संचालन हेतु
7.	श्री रामजी ट्रेवल्स	26-04-2018	39,651.00	संचालन हेतु
8.	श्री रामजी ट्रेवल्स	26-09-2018	44,823.00	संचालन हेतु
9.	श्री रामजी ट्रेवल्स	27-10-2018	93,405.00	संचालन हेतु
10.	आइसक्यूब सर्विस	12-03-2018	34,156.00	संचालन हेतु
11.	आइसक्यूब सर्विस	14-05-2018	8,904.00	संचालन हेतु
12.	आइसक्यूब सर्विस	15-06-2018	60,916.00	संचालन हेतु
13.	इन्फोटेल् सोलुसन एंड सर्विसेस	20-04-2018	51,700.00	संचालन हेतु
14.	इन्फोटेल् सोलुसन एंड सर्विसेस	28-12-2017	47,700.00	संचालन हेतु
15.	चैंपियन फोटोकॉपी केंद्र	31-03-2018	98,740.00	संचालन हेतु
16.	पीसी वर्ल्ड	26-09-2018	8,06,133.00	संचालन हेतु
17.	इरा फिल्म	16-06-2017	46,000.00	संचालन हेतु
18.	इरा फिल्म	06-01-2018	41,300.00	संचालन हेतु
19.	बालाजी कंप्यूटर	30-06-2017	69,100.00	संचालन हेतु
20.	निओ प्रिन्ट मीडिया	06-11-2017	39,412.00	संचालन हेतु
21.	साकेत इंटरप्राइजेज	31-03-2018	9,000.00	संचालन हेतु
22.	चैंपियर फोटोकॉपी केंद्र	03-07-2018	6,414.00	संचालन हेतु
कुल राशि			18,32,813.00	

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जांजगीर चांपा जिले में रेत घाटों से प्राप्त राजस्व

1. (क्र. 351) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में किस-किस नदी में रेत घाट किस-किस एजेंसी द्वारा कब से संचालित है ? (ख) उपरोक्त रेत घाटों से पिछले 3 वित्तीय वर्ष में कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत महानदी, हसदेव, मांड, बोरई एवं सोन नदी में संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद् द्वारा संचालित रेत खदानों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) उपरोक्त रेत घाटों में पिछले 03 वित्तीय वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

मुलमुला जल आवर्धन योजना में व्यय राशि

2. (क्र. 1601) **श्री मोहन मरकाम** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलमुला जल आवर्धन योजना का लोकार्पण कब किया गया ? दिनांक 31 जनवरी 2019 की स्थिति में उक्त जल प्रदाय योजना में कितनी राशि व्यय की गयी है ? किस निविदाकार को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? (ख) क्या इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को पेयजल प्राप्त हो रहा है ? यदि नहीं तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) मुलमुला जल आवर्धन योजना की स्वीकृति नहीं हुई है, इसलिये लोकार्पण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता. (ख) जी नहीं. नलजल योजना का कार्य प्रगतिरत है. विलम्ब के लिये ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में गौण खनिज उत्खनन की प्रदत्त अनुमति

3. (क्र. 1669) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक रेत, गिट्टी एवं मुरुम उत्खनन हेतु किस-किस ग्राम में किस-किस खसरा नं. की निजी, शासकीय भूमि पर कितने रकबे में किस-किस व्यक्ति, ठेकेदार या फर्म को कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से गौण खनिज उत्खनन हेतु कितनी अवधि के लिए कब-कब अनुमति दी गई ? (ख) कितनी रायल्टी राशि प्राप्त हुई एवं किस-किस मद में खर्च की गई ? वर्षवार, विकासखण्डवार बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 में दिसम्बर, 2018 तक रेत उत्खनन हेतु पंचायतों को अनुमति दी गई है. जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. गिट्टी एवं मुरुम उत्खनन हेतु किसी व्यक्ति, ठेकेदार या फर्म को अनुमति नहीं दी गई है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

निजी उत्पादकों से विद्युत क्रय

4. (क्र. 1786) **श्री अरूण वीरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 व 2018-19 में 31 जनवरी, 2019 तक कुल कितनी विद्युत की मात्रा निजी उत्पादकों से किस-किस दर में क्रय की गई ? क्रय की गई विद्युत में से कितनी मात्रा में विद्युत का उपयोग प्रदेश के बाहर एवं प्रदेश के भीतर किया गया ? (ख) उक्त अवधि में निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा कितनी मात्रा में विद्युत का ट्रांसमिशन किया गया ? शासन के विद्युत लाईन उपयोग करने से कुल कितना राजस्व कंपनी को प्राप्त हुआ ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा राज्य के निजी उत्पादकों से वर्ष 2017-18 में 2,805.86 मिलियन यूनिट्स तथा वर्ष 2018-19 में 31 जनवरी, 2019 तक 2,390.34 मिलियन यूनिट्स का क्रय

किया गया है। निजी विद्युत उत्पादकवार, वर्षवार क्रय की गई बिजली की मात्रा एवं प्रति यूनिट क्रय दर की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। चूंकि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्टेट सेक्टर, सेन्ट्रल सेक्टर के विद्युत उत्पादकों, केप्टीव उत्पादकों सहित पावर एक्सचेंज, अन्य स्रोतों एवं उक्त निजी उत्पादकों आदि से क्रय की गई बिजली के अनुसार राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने के पश्चात् अतिशेष सरप्लस बिजली को प्रदेश के बाहर विक्रय अथवा ग्रिड में इन्जेक्ट किया जाता है। अतः प्रश्नाधीन अवधि में केवल निजी विद्युत उत्पादकों से क्रय की गई उक्त बिजली की मात्रा में से कितनी बिजली राज्य के बाहर बेची गई अथवा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता को सप्लाई की गई की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा ट्रांसमिशन की गई कुल 4908.02 (2729.76+2178.26) मिलियन यूनिट बिजली के ट्रांसमिशन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कंपनी को ट्रांसमिशन शुल्क के मद वर्ष 2017-18 में रुपये 75.56 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में 31 जनवरी 2019 तक रुपये 18.08 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा शासन नहीं पारेषण कंपनी के ट्रांसमिशन लाईन से ट्रांसमिशन की गई बिजली की वर्षवार मात्रा † संलग्न प्रपत्र “ब” में तथा भुगतान किये गये ट्रांसमिशन शुल्क की वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” और † संलग्न प्रपत्र “द” में दर्शित है।

राजनांदगांव जिला में संचालित क्रेशर खदानों में रोपित पौधे

5. (क्र. 1865) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिला में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2019 तक संचालित क्रेशर खदानों में पर्यावरण विभाग के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से कौन-कौन खदानों में, कितनी संख्या में किस-किस प्रजाति के कितने पौधे रोपित किये गये हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पौधारोपण का कार्य नहीं किया जाता है। वस्तुतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा क्रेशर खदानों को प्रदत्त जल एवं वायु सम्मति में वृक्षारोपण की शर्त दी जाती है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध जानकारी अनुसार जिला-राजनांदगांव में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2019 तक संचालित क्रेशर खदानों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की विकासखंडवार जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है। जिला-राजनांदगांव के विकासखंड अम्बागढ़ चौकी, मानपुर तथा छुईखदान में क्रेशर खदान संचालित नहीं है।

नया रायपुर (अटल नगर) विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ग्राम चेरिया एवं पौंता के जमीन आबंटन

6. (क्र. 1870) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नया रायपुर (अटल नगर) विकास प्राधिकरण द्वारा चेरिया एवं पौंता की जमीन को आई.आई.एम. को आर्बिट्रर कर दिया गया है ? एवं आई.आई.एम. संस्थान के द्वारा उक्त दोनों गांव को जाने वाली सड़कों को एवं शिलान्यास स्थल को बाउण्ड्रीवाल बनाकर अपने घेरे के अंदर ले लिया है ? (ख) एन.आर.डी.ए. के द्वारा उक्त दोनों ग्रामों के आवागमन हेतु नई सड़क निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत किया गया है ? एवं कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हां। (ख) अटल नगर के तृतीय चरण के सड़क निर्माण हेतु बजट में कुल रुपये 19281.17 लाख का प्रावधान है। प्रश्नाधीन सड़क के निर्माण की लागत 12.00 करोड़ आंकी गई है। प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण होने पर निर्माण किया जाएगा। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

प्रदेश के जिलों में संचालित रेत खदानों से प्राप्त राजस्व

7. (क्र. 1871) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से लेकर 2018-19 में जनवरी, 2019 तक संचालित रेत खदानों से किस-किस जिले से कितनी-कितनी राशि की राजस्व की प्राप्ति हुई है ? कृपया वर्षवार जानकारी दें ? (ख) वर्णित अवधि एवं जिलों में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की जुर्माना के रूप में कितनी-कितनी राशि की आवक हुई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है। (ख) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है।

नवागढ़ विधान सभा क्षेत्र में नलजल एवं स्थलजल योजना की स्वीकृति

8. (क्र. 1907) **श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवागढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से जनवरी, 2019 तक में कहां-कहां पर नल जल एवं स्थल जल एवं नलकूप खनन योजना के तहत कुल कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका “क” के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई ? स्वीकृत कार्यों की पूर्णता अवधि क्या थी ? कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने अपूर्ण हैं ? (ग) अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से जनवरी, 2019 तक नलजल योजना के 11 कार्य, स्थल जल योजना के कार्य निरंक एवं नलकूप खनन के 308 कार्य स्वीकृत की गई है। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम क्र. 03 एवं 04 में दर्शित अनुसार है। (ख) कंडिका “क” के स्वीकृत कार्यों की कार्यवार लागत राशि, प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक एवं स्वीकृत कार्यों की पूर्णता अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम क्र. 04 एवं 07 में दर्शित अनुसार है। 298 कार्य पूर्ण हुए तथा 21 कार्य अपूर्ण है। (ग) नलजल प्रदाय योजना के अपूर्ण कार्यों को 02 वर्ष की समयावधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है। नलकूप खनन योजना के कार्य मार्च, 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। 05 नलजल प्रदाय योजना की नाबार्ड से ऋण स्वीकृति अपेक्षित है, ऋण स्वीकृति उपरांत 02 वर्ष की समयावधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

बलौदाबाजार-भाटापारा में स्वीकृत नल जल योजना की स्थिति

9. (क्र. 1944) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कितनी जल आवर्धन योजना/नल जल योजना, राज्य मद तथा डीएमएफ फंड से कितनी-कितनी लागत से किन-किन ग्रामों में स्वीकृत किया गया था ? (ख) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से कितनी कार्य प्रारंभ हो गये हैं तथा कितने अप्रारंभ है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) वर्ष 2018-19 में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत राज्यमद में 15 नलजल योजनाएं एवं डीएमएफ फंड में 14 नलजल योजनाएं स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत योजनाओं की लागत की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है। (ख) कुल 16 कार्य अप्रारंभ है एवं 13 कार्य प्रारंभ हो गये हैं।

जिला जांजगीर-चांपा में हेण्डपंपों का खनन

10. (क्र. 1957) **श्री नारायण चंदेल** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2019 तक कितने हेण्ड पंपों का खनन किस-किस विकासखण्ड में कितनी संख्या में किन-किन एजेंसियों के द्वारा किस-किस दर पर किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) हेण्डपंप खनन में शासन के नियमों व मापदण्डों के उल्लंघन किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष अप्रैल 2015 से जनवरी 2019 तक 1657 हेण्डपंपों का खनन किया गया है। खनित नलकूपों की विकासखण्डवार, एजेन्सीवार एवं प्रति नलकूप खनन की लागत की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है। (ख) हेण्डपंप खनन में शासन के नियमों व मापदण्डों के उल्लंघन किये जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज प्रकरण

11. (क्र. 2024) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से दिसम्बर 2018 तक लोक निर्माण विभाग के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किन-किन धाराओं

के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) उपरोक्त में से कितने प्रकरण पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ग) प्रश्नांक “क” के किन-किन अधिकारियों के पास आय से अधिक संपत्ति प्राप्त हुई ? जांच में प्राप्त सम्पत्तियों का ब्यौरा पृथक-पृथक दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” में † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” में † संलग्न है. (ग) जानकारी प्रपत्र “स” में † संलग्न है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कुनकुरी विधान सभा क्षेत्र में संचालित नल-जल योजना

1. (क्र. 17) **श्री यू. डी. मिंज** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना कितने गाँवों में संचालित है ? वर्तमान में किन-किन गाँवों में योजना बन्द है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में नलजल योजना 39 गाँवों में संचालित है. वर्तमान में 01 ग्राम केराडीह की नलजल योजना बंद है.

जशपुर जिले में खाद्य विभाग द्वारा छापेमार कार्यवाही में जब्त सामग्री

2. (क्र. 18) **श्री यू. डी. मिंज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जशपुर जिले में खाद्य विभाग द्वारा 01 जनवरी, 2016 से 15-1-16 तक किन-किन विकासखंड में छापेमार कार्यवाही कर शक्कर खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थों की जब्ती की गई ? स्थलवार जब्त सामग्रियों की मात्रा बतायें ? तथा किस-किस पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जशपुर जिले में प्रश्नांकित अवधि के दौरान खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसके अधीन जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत की गयी जांच एवं जप्त आवश्यक वस्तुओं की स्थलवार जानकारी सहित संबंधितों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

रायगढ़ जिले में वृक्षारोपण कार्य

3. (क्र. 76) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक की अवधि में रायगढ़ धरमजयगढ़ वनमण्डल द्वारा कहां कहां वृक्षारोपण का कार्य किया गया है ? परिक्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) वर्तमान में कितने प्रतिशत वृक्ष सुरक्षित हैं ? संख्यावार, परिक्षेत्रवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामों का विद्युतीकरण

4. (क्र. 665) **श्री रामपुकार सिंह ठाकुर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2016-17 से जनवरी, 19 तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? (ख) वर्ष 2018-19 के लिए पथलगांव विधानसभा क्षेत्र में इस योजना में कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2016-17 से जनवरी 2019 तक 85 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया तथा 1,334 विद्युतीकृत ग्रामों में सघन विद्युतीकरण के कार्य किए गए. (ख) वर्ष 2018-19 के लिये पथलगांव विधानसभा क्षेत्र में उक्त योजना अंतर्गत किसी भी ग्राम में विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित नहीं था अतः लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

प्रदेश में स्थित अभ्यारण्य, रिजर्व फारेस्ट, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की गणना

5. (क्र. 980) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में वर्ष 2010 से 2018 तक बाघों की गिनती में किस-किस अभ्यारण्य, रिजर्व फारेस्ट, टाइगर रिजर्व में कितने बाघ मिलें ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्न (क) में किये गये गणना का आधार क्या है एवं किस पद्धति से गणना की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2010 एवं वर्ष 2014 में बाघों की संख्या का टायगर रिजर्ववार विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। वर्ष 2018 की बाघ आंकलन रिपोर्ट राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली से अप्राप्त है। (ख) प्रश्नांश “क” में बाघों की संख्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2010 तथा वर्ष 2014 में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर दर्शायी गयी है। वन्यप्राणी की गणना प्रत्येक 04 वर्ष में की जाती है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली के दिशा-निर्देश पर वन्यप्राणियों का आंकलन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बीट को इकाई मानकर 03 से 05 बार चिन्हों की खोज की जाती है। प्रत्येक खोज अलग-अलग समय पर तथा अलग-अलग वन स्थल में की जाती है। प्रत्येक खोज में कम से कम 05 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। यह खोज उन वन स्थलों में की जाती है, जहां पर बाघ/तेंदुए की मिलने की संभावना अधिक हो। बाघ, तेंदुए के चिन्हों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक बीट में कम से कम 15 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। बाघ, तेंदुए के चिन्हों को विभिन्न वर्गों में निम्नानुसार दर्ज किया जाता है :- 1. पदचिन्ह मार्ग, 2. अन्य मांसाहारियों का मल (बहुत ताजा-नरम, गीला, गन्ध वाला, ताजा-ताजा परंतु सुखा, समुचा एवं चमकीली सतह बरकरार हो और पुराना-सुखा, बाल और हड्डियां दिख रही हो), 3. जमीन पर की गई खरोच, 4. बाघ/तेंदुआ द्वारा पेड़ पर छोड़ी गई गन्ध (स्प्रे, रगड़), 5. वृक्ष पर खुरचने के निशान, 6. दहाड़ने की आवाज और 7. स्वयं बाघ/तेंदुआ को देखना। बाघ लैण्डस्केप में सभी वन बीटों से उक्तानुसार आंकड़े निर्धारित प्रपत्रों में एकत्रित किये जाते हैं।

जिला मुंगेली में नल-जल आवर्धन योजना से जल आपूर्ति

6. (क्र. 983) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-मुंगेली में किन-किन गांवों में नल जल आवर्धन योजना पेयजल टंकी सहित कब से कार्यरत हैं ? विकासखंडवार बतायें ? (ख) प्रश्न (क) के नल जल आवर्धन योजना में से कितने में जल आपूर्ति की जा रही है और कितनी योजना बंद है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) जिला मुंगेली के कोई भी गांवों में नलजल आवर्धन योजना पेयजल टंकी सहित कार्यरत नहीं है। (ख) प्रश्न (क) के अनुसार नलजल आवर्धन योजना कार्यरत नहीं है।

मार्कफेड में चावल परिवहन भाड़ा का क्लेम

7. (क्र. 1123) **श्री अजय चन्द्रकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चावल परिवहन भाड़ा नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के इस प्रतिवर्ष बिलों के साथ दे दिया जाता है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) क्या मार्कफेड द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से चावल के भुगतान के समय ही परिवहन भाड़ा क्लेम किया जाता है ? यदि नहीं तो क्यों एवं इसके कारण क्या हैं ? (ग) नागरिक आपूर्ति निगम को भारतीय खाद्य निगम से मार्कफेड को कितना चावल परिवहन भाड़ा लेना शेष है और राईस मिलर्स को कितना भाड़ा देना शेष है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) वर्तमान खरीफ वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा धान/चावल के प्रासंगिक व्ययों की निर्धारित प्रावधिक दर के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम में प्रदाय किये गये कस्टम मिल्ड चावल की राशि में परिवहन व्यय राशि मार्कफेड द्वारा क्लेम की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्तमान खरीफ वर्ष हेतु स्वीकृत परिवहन दर के अनुसार प्रदाय किये गये कस्टम मिल्ड चावल की परिवहन व्यय की राशि मार्कफेड द्वारा क्लेम की जावेगी। (ग) नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम को चावल प्रदाय नहीं किया जाता है, अतः नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा परिवहन व्यय क्लेम करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वर्तमान खरीफ वर्ष 2018-19 में धान की कस्टम मिलिंग करने वाले राईस मिलरों से मार्कफेड को चावल परिवहन व्यय का क्लेम प्राप्त नहीं हुआ है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में धान की खरीदी

8. (क्र. 1286) **डॉ. लक्ष्मी ध्रुव** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने धान खरीदी केन्द्र हैं ? इन केन्द्रों में वर्ष 2018-19 में से 30 जनवरी, 2019 तक कुल कितने क्विंटल धान किस दर पर, कितने किसानों से खरीदी गई है ? क्या सभी पात्र किसानों के धान की राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक भुगतान कर दी जावेगी ? वर्षवार एवं केन्द्रवार जानकारी देवें।

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 27 धान उपार्जन केन्द्र हैं। वर्ष 2018-19 में दिनांक 30-01-2019 तक 1201660.66 क्विंटल एवं दिनांक 31-01-2019 तक 1201905.46 क्विंटल धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 24434 किसानों से खरीदा गया है। उपार्जित धान का समर्थन मूल्य एवं प्रोत्साहन राशि-300 रु. प्रति क्विंटल के मान से राशि- 24818.59 लाख रु. समस्त किसानों को भुगतान कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा धान का निर्धारित दर 2500 रु. प्रति क्विंटल के मान से उपार्जित धान पर देय अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि-5229.05 लाख रु. में से दिनांक 19-02-2019 तक राशि-3825.11 लाख रु. का भुगतान किसानों को किया गया तथा शेष राशि के भुगतान का प्रक्रिया प्रचलित है। उपार्जन केन्द्रवार जानकारी परिशिष्ट अनुसार † संलग्न हैं।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में उचित मूल्य की संचालित दुकानें

9. (क्र. 1287) **डॉ. लक्ष्मी ध्रुव** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं ? इन दुकानों का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है ? इन उचित मूल्य की दुकानों से कितने कार्डधारियों को किस किस योजना के अंतर्गत क्या-क्या सामग्री किस दर पर प्रदाय की जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : सिहावा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 149 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिसमें से सहकारी समितियों द्वारा 120, ग्राम पंचायतों द्वारा 12 तथा महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 17 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। इन दुकानों में संलग्न छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय श्रेणी के 15,210 राशनकार्ड, प्राथमिकता श्रेणी के 41,446 राशनकार्ड तथा अन्नपूर्णा योजना के 62 राशनकार्ड एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी निःशक्त श्रेणी के 21 राशनकार्ड और निराश्रित श्रेणी के 209 राशनकार्ड प्रचलित हैं। इन राशनकार्डधारियों की राशन सामग्री की मासिक पात्रता †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

जिला कोण्डागांव में सौर सुजला योजनांतर्गत लाभान्वित किसान

10. (क्र. 1303) **श्री मोहन मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 2 वर्षों में कोण्डागांव जिले के कितने किसानों को सौर सुजला अंतर्गत लाभान्वित किया गया ? कितने हितग्राहियों को लाभान्वित करना शेष है ? कितने प्रकरण लंबित हैं ? वर्षवार विकासखण्डवार ब्यौरा दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : सौर सुजला योजनांतर्गत विगत 2 वर्षों में कोण्डागांव जिले के 1,906 किसानों को लाभान्वित किया गया है। प्राप्त आवेदनों में से 789 आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित हैं। लाभान्वित एवं लाभ हेतु लंबित हितग्राहियों की विकासखण्डवार संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

संजारी- बालोद विधानसभा क्षेत्र में सड़क/पुल-पुलियों का संधारण/मरम्मत

11. (क्र. 1343) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 से जनवरी 2019 तक किन-किन मार्गों एवं पुल-पुलिया के संधारण/मरम्मत के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं संधारण/मरम्मत कार्य कितनी-कितनी राशि से कराया गया ? वर्षवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 से जनवरी 2019 तक मार्गों एवं पुल-पुलिया के संधारण/मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि एवं संधारण/मरम्मत कार्य में हुए व्यय राशि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	मार्ग		पुल-पुलिया	
	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016-17	15891000	9681176	30000	29740

† परिशिष्ट "सत्ताईस"

†† परिशिष्ट "अट्ठाईस"

† परिशिष्ट "उन्तीस"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017-18	639000	628734	2080000	2064332
2018-19	9995000	667420	1530000	404932

(जनवरी 19 तक)

मार्गवार विस्तृत जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो एवं एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

12. (क्र. 1344) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैलेण्डर वर्ष 2015 से जनवरी 2019 तक प्रदेश में राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो एवं एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कब-कब कार्यवाही की गई है ? (ख) उक्त कार्यवाही में किन-किन से, कितनी-कितनी संपत्ति जब्त की गई ? किनके-किनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर डायरी पेश की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

सरगुजा संभाग में हाथियों से जनहानि

13. (क्र. 1479) **श्री चिन्तामणि महाराज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग अंतर्गत विगत 03 वर्षों में हाथियों द्वारा कितनी जनहानि हुई एवं कितने आवास क्षतिग्रस्त किये गये ? (ख) हाथियों से हो रहे जनहानि रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? (ग) हाथी रहवास क्षेत्र हेतु क्या-क्या काम किये जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) सरगुजा संभाग के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में हाथियों द्वारा जनहानि तथा मकान क्षति से संबंधित जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “ख” की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) हाथी रहवास क्षेत्र हेतु चारागाह विकास के कार्य, फलदार पौधों का रोपण, जल स्रोतों के निर्माण अंतर्गत स्टापडेम व तालाब निर्माण तथा अग्नि सुरक्षा के कार्य कराये जा रहे हैं.

संचार क्रांति योजना के तहत वितरित स्मार्ट फोन

14. (क्र. 1513) **श्री शिशुपाल सोरी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में संचार क्रांति योजना (स्काई) के तहत वर्ष 2018 में प्रदेश की कितनी महिलाओं और कालेज विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्ट फोन का वितरण किये जाने हेतु चिन्हांकित किया गया था ? कितने को वितरण किया गया ? (ख) प्रश्नांश “क” के योजनांतर्गत वितरण किये जाने वाले स्मार्ट फोन की प्रति ईकाई लागत कितनी थी तथा शासन द्वारा कितनी मात्रा में कितने लागत का स्मार्ट फोन क्रय किया गया ? वर्तमान स्थिति में वितरित नहीं हुए स्मार्ट फोन के वितरण के संबंध में शासन की क्या योजना है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) के तहत वर्ष 2018 में प्रदेश की कुल महिलाओं और कॉलेज विद्यार्थियों को निःशुल्क स्काई फोन का वितरण किये जाने हेतु चिन्हांकित एवं वितरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	महिलाओं को वितरण हेतु चिन्हांकित संख्या (डिजिटलाईज्ड)	महिलाओं को वितरित किये गये स्काई फोन की संख्या	कॉलेज के विद्यार्थियों को वितरण हेतु चिन्हांकित संख्या (डिजिटलाईज्ड)	कॉलेज के विद्यार्थियों की वितरण की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	30.05 लाख	22.69 लाख	4.36 लाख	3.70 लाख

† परिशिष्ट “तीस”

†† परिशिष्ट “इक्तीस”

(ख) योजनांतर्गत वितरण किये जाने वाले स्काई फोन की प्रति इकाई लागत एवं शासन द्वारा क्रय की गई मोबाईल की मात्रा तथा लागत निम्नानुसार है :-

लाईन आइटम	मात्रा	प्रति इकाई दर (लागत)
कैटेगरी-01	32,38,991	2509.92
कैटेगरी-02	4,26,704	4142.88
कुल मोबाईल	36,65,695	(कार्यादेश के अनुसार)

वर्तमान स्थिति में वितरित नहीं हुए स्मार्ट फोन के संबंध में शासन द्वारा योजना लंबित रखी गई है.

जिला कांकेर को जामवंत परियोजना के तहत आवंटन राशि

15. (क्र. 1514) **श्री शिशुपाल सोरी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रवार किन-किन वनमण्डलों के परिक्षेत्र अंतर्गत जामवंत परियोजना लागू की गई हैं ? इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में कितनी राशि विभाग को आवंटित की गई ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार विगत 02 वर्षों में भालूओं के हमले से क्षेत्र के कितने लोग प्रभावित हुए तथा कितने की जनहानि व फसल की हानि हुई ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कांकेर जिले में विधानसभा क्षेत्र कांकेर के वनमण्डल कांकेर के वन परिक्षेत्र कांकेर तथा विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर के वनमण्डल कांकेर के वन परिक्षेत्र चरामा में जामवंत परियोजना लागू है. राज्य स्तर पर इस योजना के तहत वन विभाग हेतु वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 372 लाख तथा वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 1068 लाख प्रावधानित है. विधानसभा क्षेत्रवार एवं परिक्षेत्रवार परियोजना अंतर्गत आवंटित राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित विद्युत लाईन

16. (क्र. 1560) **श्रीमती रश्मि आशिष सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में विद्युत लाईन 25 वर्ष या उससे अधिक समय से लगी है ? (ख) 25 वर्ष या उससे अधिक समय से लगी विद्युत लाईन को बदलने के क्या मापदण्ड हैं ? (ग) विभागीय मापदण्ड के अधीन विद्युत लाईन को बदलने के संबंध में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा क्या कार्यवाही की ? पुरानी लाईनों को कब तक बदल दिया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) विधान सभा क्षेत्र तखतपुर के अंतर्गत 174 ग्रामों में 25 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि की विद्युत लाईने स्थापित है. उक्त 174 ग्रामों की सूची †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) पावर सेक्टर में प्रचलित परम्परा के अनुसार विद्युत लाईनों की अनुमानित औसत आयु 35 वर्ष रहती है. लेकिन 35 वर्ष से पुराने विद्युत लाईनों को तकनीकी आवश्यकता के आधार पर बदलने की कार्रवाई की जाती है. (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित 174 ग्रामों में से 33 ग्रामों में 33.22 किलोमीटर 11 के. व्ही. विद्युत लाईनों तथा 19.44 किलोमीटर निम्नदाब विद्युत लाईनों को बदल दिया गया है. अन्य 19 ग्रामों में 0.55 किलोमीटर 11 के. व्ही लाईनों तथा 84.71 किलोमीटर निम्नदाब विद्युत लाईनों को बदले हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं जिन्हें यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास है.

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सिंचाई हेतु नवीन विद्युत कनेक्शन के प्राप्त आवेदन

17. (क्र. 1561) **श्रीमती रश्मि आशिष सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 1 जून, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक सिंचाई हेतु नवीन विद्युत कनेक्शन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में कृषि सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु कुल 882 आवेदन प्राप्त हुये हैं। (ख) उत्तरांश (क) में प्राप्त 822 आवेदनों की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	कुल प्राप्त आवेदन	882
2.	प्राप्त आवेदनों में से कनेक्शन जारी करने हेतु स्वीकृत प्रकरण	355
3.	स्वीकृति हेतु लंबित आवेदन	527
4.	स्वीकृति उपरांत जारी सिंचाई पंप विद्युत कनेक्शन	32
5.	ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें स्वीकृति उपरांत संबंधित आवेदक द्वारा विभागीय औपचारिकतापूर्ण नहीं करने के कारण सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करने का कार्य लंबित है	37
6.	औपचारिकतापूर्ण आवेदनों की संख्या जिनमें लाइन विस्तार कार्य प्रक्रियाधीन होने से सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करने का कार्य लंबित है	286

जिला बेमेतरा में खनिज न्यास मद में स्वीकृत राशि/कार्य

18. (क्र. 1588) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बेमेतरा में डी. एम. एफ. (खनिज न्यास निधि) के तहत कुल कितनी राशि वर्ष 2016 से माह जनवरी 2019 तक स्वीकृत हुई है ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) क्या राशि का मद परिवर्तन कर अन्य मद में व्यय किया गया है ? यदि हाँ तो किस मद में परिवर्तन कर किया एवं तद्संबंधी अनुमति किस से ली गई ? (ग) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों का भुगतान किया जा चुका है ? कितने का शेष है ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बेमेतरा जिला खनिज संस्थान न्यास की निधि से वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 31.17 लाख, वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 11.80 लाख तथा वर्ष 2018-19 (जनवरी 2019 तक) में राशि रुपये 968.59 लाख कुल राशि रुपये 1011.56 लाख के कार्यों की स्वीकृति दी गई है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) बेमेतरा जिला खनिज संस्थान न्यास की निधि से प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत कुल 70 कार्यों में से पूर्ण हो चुके 35 कार्यों के लिए पूर्ण भुगतान किया जा चुका है तथा 14 प्रगतिरत कार्यों के लिए आंशिक भुगतान किया गया है एवं 01 प्रगतिरत कार्य में संबंधित ठेकेदार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य (तकनीकी) के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने के कारण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त प्रगतिरत 15 कार्यों के वित्तीय वर्ष 2019-20 (मार्च 2020 तक) में पूर्ण हो जाने की संभावना है। शेष 20 कार्य अप्रारंभ है, जिनमें कोई भी राशि जारी नहीं की गई है।

कसडोल विधानसभा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

19. (क्र. 1591) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार जिले के कसडोल विधानसभा के अन्तर्गत ग्राम दतान में वर्ष 2018 में अवैध रूप से रेत उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कसडोल विधानसभा के अन्तर्गत दतान नाम से कोई ग्राम नहीं है, अपितु पलारी तहसील अंतर्गत ग्राम दतान (पलारी) एवं दतान (खैरा) स्थित है, जहां वर्ष 2018 में अवैध रूप से रेत उत्खनन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

बलौदाबाजार जिले में फर्जी परिवहन की प्राप्त शिकायतें

20. (क्र. 1593) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार जिले में सन् 2017 में फर्जी परिवहन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? यदि हाँ तो दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार वनमंडल में वर्ष 2017 में सड़क चौड़ीकरण कार्य में काटे गये लकड़ी की फर्जी परिवहन की एक शिकायत, शिकायतकर्ता श्री गोवर्धन प्रसाद वर्मा, ग्राम कोदवा के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को की गई थी. इसी प्रकार की एक शिकायत पुलिस विभाग के थाना पलारी जिला बलौदाबाजार में तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी श्री एस. एस. डी. बड़गैय्या, एस. डी. ओ., श्री एस. बी. द्विवेदी, रेंजर श्री कोमल दास धृतेश, डिप्टी रेंजर श्री रतन सिंह डडसेना और फारेस्ट गार्ड श्री सतीश चंद्र सोनकेवरे के विरुद्ध दर्ज की गई थी. वन विभाग द्वारा कराये गये शिकायत की जांच में, शिकायत के तथ्यों में सत्यता नहीं पायी गई. पुलिस विभाग द्वारा दर्ज अपराध प्रकरण क्र. 45/18 की विवेचना में भी शिकायत असत्य पायी गयी थी. जांच में किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है. अतः दोषियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्मित इंदिरा एवं अटल आवास

21. (क्र. 1626) **श्री अनूप नाग** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने इंदिरा एवं अटल निर्माण स्वीकृत है तथा कितने आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? कितने अपूर्ण हैं ? कार्य एजेन्सी कौन-कौन है ? (ख) प्रश्नांक “क” के कार्यों में से कितने कार्यों का भुगतान संबंधित एजेन्सी को कर दिया गया है एवं कितना शेष है ? भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? (ग) क्या पूर्ण आवासों का आवंटन हितग्राहियों को कर दिया गया है ? यदि हां तो पूर्ण में से कितने का आवंटन किया गया एवं कितना शेष है ? कब तक आवंटित कर दिया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र में अटल आवास का निर्माण नहीं किया गया है. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 6656 आवास स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से 114 आवास निरस्त किए गए. योजना के अनुसार हितग्राही स्वयं आवास का निर्माण करता है. अतः कार्य एजेन्सी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) प्रश्नांक “क” के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) इंदिरा आवास योजना में आवास का निर्माण स्वयं हितग्राही करता है, अतः आवंटन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मोबाईल वितरण

22. (क्र. 1627) **श्री अनूप नाग** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने पात्र हितग्राहियों को स्काई योजना के तहत मोबाईल का वितरण किया गया है एवं कितने शेष है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) उक्त क्षेत्र में वितरण हेतु कुल कितने मोबाईल सेट की खरीदी किस-किस फर्म/संस्था के द्वारा कितनी दर पर एवं कितनी-कितनी मात्रा में की गई ? क्या संबंधित संस्था को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? (ग) शेष मोबाईल किसकी अभिरक्षा में कहां पर रखे गए हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों को स्काई योजना के तहत मोबाईल का वितरण की जानकारी विकासखण्डवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	मोबाईल वितरण की संख्या	शेष/अवितरित मोबाईल की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंतागढ़	552	13
2.	पंखाजूर	705	723
	कुल	1257	736

(ख) उक्त क्षेत्रों में विवरण हेतु राज्य स्तर पर कुल 36,65,695 मोबाईल सेट की खरीदी मेसर्स जियो एवं माइक्रोमेक्स के कंसोर्टियम द्वारा निम्नानुसार दर व मात्रा में क्रय की गई है :-

लाईन आइटम	मात्रा	निविदा में प्राप्त दर
कैटेगरी-01	32,38,991	2509.92
कैटेगरी-02	4,26,704	4142.88
कुल मोबाईल	36,65,695	

वर्तमान में संबंधित संस्था को पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है.

(ग) शेष मोबाईल मेसर्स जियो के सेंट्रल वेयरहाऊस रायपुर की अभिरक्षा में रखे गये हैं.

सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल का खनन

23. (क्र. 1653) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सत्र 2018-19 में कितने हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल के खनन की स्वीकृति दी गई ? (ख) कितने हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल लगाये गए तथा खनन के उपरांत कितना हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल लगाना शेष है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सत्र 2018-19 में 58 नलकूप (ट्यूबवेल) खनन की स्वीकृति दी गई है. (ख) स्वीकृत 58 नलकूप (ट्यूबवेल) खनन के विरुद्ध 46 नलकूप (ट्यूबवेल) खनन किये गये. जिसमें से 44 सफल नलकूपों (ट्यूबवेल) में हैण्डपंप स्थापित किया गया है तथा खनन के उपरांत किसी भी नलकूप में हैण्डपंप लगाना शेष नहीं है.

गोमर्डा अभियारण्य का क्षेत्रफल

24. (क्र. 1654) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गोमर्डा अभियारण्य का क्षेत्रफल कितना है एवं कहाँ-कहाँ तक फैला है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोमर्डा अभियारण्य का क्षेत्रफल 277.820 वर्ग किलोमीटर है. गोमर्डा अभियारण्य का विस्तार (चौहद्दी) संबंधी विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में सौर सुजला योजनान्तर्गता प्राप्त आवेदन

25. (क्र. 1675) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 व 2018-19 में सौर सुजला योजनान्तर्गत प्रत्येक विकासखण्डों में कितने किसानों के आवेदन प्राप्त हुये ? (ख) कितने किसानों को योजना का लाभ दिया गया एवं कितने प्रकरण लंबित है ? विकासखण्डवार जानकारी तथा लंबित प्रकरणों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 व 2018-19 में सौर सुजला योजनान्तर्गत प्राप्त कुल 2,168 आवेदनों की विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में सौर सुजला योजनान्तर्गत 1 हजार 462 किसानों को योजना का लाभ दिया गया एवं 424 आवेदन लंबित है. सौर सुजला योजना से लाभान्वित किसानों एवं लंबित प्रकरणों की विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. लंबित 424 प्रकरणों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में निराकृत करने का प्रयास है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में लाल ईट निर्माण हेतु दी गई अनुमति

26. (क्र. 1676) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत

वर्ष 2017-18, 2018-19 में 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी संख्या में लाल ईट निर्माण हेतु किन-किन को अनुमति प्रदान की गई है ? (ख) बिना अनुमति के लाल ईट निर्माण करने वाले किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 में (31 दिसम्बर, 2018 तक) किसी भी फर्म/संस्थान/व्यक्ति को लाल ईट निर्माण हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

रायगढ़ जिले में उद्योगों का निरीक्षण

27. (क्र. 1690) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में रायगढ़ जिले के किन-किन उद्योगों के निरीक्षण में पर्यावरण संरक्षण के मापदण्ड का पालन होना नहीं पाया गया ? उद्योगों के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ? (ख) रायगढ़ जिले में वायु एवं जल प्रदूषण की मात्रा की जांच कब-कब की गई ? जांच में वायु एवं जल में कौन-कौन से हानिकारक तत्व कितनी मात्रा में मौजूद है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है. (ख) रायगढ़ जिले में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो एवं नदी जल गुणवत्ता मापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है, जिसमें हानिकारक प्रदूषण तत्वों की मात्रा की जानकारी दी गई है.

केलो नदी में प्रदूषण की जांच

28. (क्र. 1691) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के केलो नदी में पानी का पीएच वेल्यू बायोलाजिकल आक्सीजन डिमांड, पानी में घुलित आक्सीजन की मात्रा प्रति लीटर, फिनाल, आयरन, कैल्शियम एवं मैग्निशियम की मात्रा उद्योग से निकलने वाली फ्लाई ऐश की मात्रा के मानक मापदंड क्या-क्या हैं ? केलो नदी में इसकी मात्रा क्या-क्या है ? (ख) केलो नदी के पानी को पीने व निस्तार योग्य बनाने के लिए राज्य शासन के द्वारा क्या-क्या कार्ययोजना बनाया जाकर कब तक स्वीकृति प्रदान कर कार्यादेश जारी किया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायगढ़ जिले के केलो नदी में दो स्थलों पर जनवरी 2019 में लिये जल नमूनों में पाई गई प्रचालकों की मात्रा तथा मानक मापदण्ड परिशिष्ट पर †† संलग्न है. उद्योग से निकलने वाली फ्लाई ऐश की मात्रा संबंधी मानक निर्धारित नहीं है, इसलिए केलो नदी में इसकी मात्रा का परीक्षण नहीं कराया गया है. (ख) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार यह कार्य मई 2015 में पूर्ण हो चुका है.

राजनादगांव जिले के वनों की अवैध कटाई के दर्ज प्रकरण

29. (क्र. 1732) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनादगांव जिला अंतर्गत वन मण्डलों द्वारा वर्ष 2015-16 से 31 जनवरी 2019 तक की स्थिति में अवैध कटाई के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? वर्षवार वनमण्डल वार जानकारी देवें. (ख) उक्त प्रकरणों में कितने पर कार्यवाही की गई तथा कितनी जुर्माना राशि वसूल की गई ? वर्षवार वनमण्डलवार जानकारी देवें.

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

प्रदेश में कृषि विद्युत पंप के अस्थायी कनेक्शन

30. (क्र. 1787) **श्री अरूण चोरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 31 जनवरी, 2019 तक कुल कितने कृषि विद्युत पम्प के अस्थाई कनेक्शन हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) कृषि विद्युत पम्पों के अस्थाई कनेक्शन से स्थायी कनेक्शन

में परिवर्तन हेतु क्या कोई समय-सीमा तय की गई है ? यदि हां तो कब तक पूर्ण किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31 जनवरी, 2019 की स्थिति में कृषि सिंचाई पम्प हेतु 70 हजार 368 अस्थायी विद्युत कनेक्शन विद्यमान है, जिनकी जिलेवार संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) कृषि सिंचाई पम्प के अस्थायी कनेक्शन को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन में स्वमेव परिवर्तित करने का नियम/व्यवस्था नहीं है. संबंधित अस्थायी कनेक्शनधारी उपभोक्ता से यदि स्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होता है तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में प्रचलित नियमों के अधीन अंतर्गत विद्यमान नेटवर्क से स्थायी सिंचाई पम्प कनेक्शन जारी करने के लिए, जारी मांगपत्र में दर्शाई राशि का भुगतान प्राप्त होने पर, राशि प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस की समय सीमा में आवेदक को स्थायी कनेक्शन दिये जाने का नियम है अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें स्थायी कनेक्शन जारी करने के लिए लाइन विस्तार आवश्यक है, उनमें संबंधित आवेदक द्वारा विभागीय औपचारिकता पूर्ण कर, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइन विस्तार हेतु आवश्यक राशि के भुगतान हेतु जारी मांगपत्र में दर्शाई राशि के भुगतान प्राप्त होने के उपरांत निम्नानुसार समय सीमा में स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करने का नियम है. (1) जब खेत में लाइन विस्तार हेतु पहुंच उपलब्ध है तो 90 दिवस में. (2) जब खेत में लाइन विस्तार हेतु पहुंच उपलब्ध नहीं है तो 180 दिवस में.

बस्तर संभाग में तेंदूपत्ता संग्रहण

31. (क्र. 1788) **श्री अरूण वीरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग के किन-किन जिलों में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है ? 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि में कुल कितनी संख्या में तेंदूपत्ता संग्राहकों का व्यक्तिगत एवं सामूहिक बीमा किया गया ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) इस अवधि में कुल कितने प्रकरणों में कुल कितने हितग्राहियों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं कितने भुगतान के प्रकरण लंबित हैं.

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बस्तर संभाग में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कॉंकर, कोडागांव एवं नारायणपुर जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है. बस्तर संभाग में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 दिसंबर, 2018 तक की अवधि में कुल बीमित तेंदूपत्ता संग्राहक 7,10,096 हैं, सभी संग्राहकों को समूह बीमा किया गया है, जिसकी जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों का व्यक्तिगत बीमा कराये जाने का प्रावधान नहीं है. (ख) बस्तर संभाग में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 दिसंबर, 2018 तक की अवधि में कुल 606 हितग्राहियों को राशि रु. 116.25 लाख का भुगतान किया गया है एवं 525 बीमा प्रकरणों के भुगतान लंबित है, जिसका जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

मोहला-मानपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु संचालित योजनाएं

32. (क्र. 1795) **श्री इन्द्रशाह मण्डावी** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018-19 में माह जनवरी 2019 तक विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : वर्ष 2018-19 में माह जनवरी 2019 तक विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही है :-

- नलजल प्रदाय योजना.
- सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना.
- सोलर ड्यूल पम्प स्थापना कार्य.
- नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापना कार्य.

जिला मुंगेली में वृक्षारोपण

33. (क्र. 1834) **श्री पुनूलाल मोहले** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुंगेली में वन विभाग के द्वारा वर्ष 2018-19 में कितने एवं कौन-कौन से पौधे कहां-कहां लगाये गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

बस्तर जिले के अंतर्गत सौर सुजला योजना के तहत प्राप्त आवेदन

34. (क्र. 1850) **श्री दीपक बैज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-18 व 2018-19 (जनवरी 2019) तक की स्थिति में सौर सुजला योजनांतर्गत प्रत्येक विकासखंडों में कितने किसानों के आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) कितने किसानों को योजना का लाभ दिया गया, कितने मामले लंबित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें तथा लंबित मामलों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) सौर सुजला योजनांतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में बस्तर जिले में कुल 3,193 आवेदन प्राप्त हुए जिनकी विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित प्राप्त आवेदनों में सम्मिलित 2,559 किसानों को सौर सुजला योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा 138 आवेदन वर्तमान में लंबित हैं, जिसकी विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. लंबित आवेदनों को वित्तीय 2019-20 में निराकृत करने का प्रयास है. अतः वर्तमान में समय बताया जाना संभव नहीं है.

बस्तर जिले के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कोलेंग में वनों के सुधार हेतु प्राप्त एवं व्यय राशि

35. (क्र. 1851) **श्री दीपक बैज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कोलेंग में वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में वनों के सुधार हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी व्यय हुई ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) प्राप्त राशि से कितनी संख्या में पौधों का रोपण कितने रकबे में किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बस्तर जिले के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कोलेंग में वनों के सुधार कार्य हेतु वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कोई कार्य नहीं कराया गया, अतः प्राप्त राशि की जानकारी निरंक है. वर्ष 2017-18 में वन परिक्षेत्र कोलेंग में वनों के सुधार कार्य हेतु बांस वनों का पुनरोद्धार मद में राशि 57 लाख 42 लाख हजार 176 रुपये प्राप्त हुये एवं राशि 57 लाख 35 हजार 142 रुपये का व्यय किया गया. (ख) प्राप्त राशि से रोपण कार्य नहीं कराया गया, अतः जानकारी निरंक है.

प्रदेश में आई. एफ. एस. के स्वीकृत/रिक्त पद

36. (क्र. 1860) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आई. एफ. एस. के कितने पद स्वीकृत हैं ? इसमें से कितने पद रिक्त हैं ? (ख) कंडिका “क” के अधिकारियों में कितने प्रतिनियुक्ति पर हैं और कहा-कहां पर हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24-09-2013 द्वारा भारतीय वन सेवा के छ. ग. राज्य संवर्ग हेतु कुल 94 पद अधिसूचित हैं. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के 18 पद, राज्य प्रतिनियुक्ति के 23 पद, लीव रिजर्व के 15 पद एवं प्रशिक्षण रिजर्व के 03 पद स्वीकृत हैं. इस प्रकार संवर्ग के कुल 153 पद अधिकृत हैं. दिनांक 20-02-2019 की स्थिति में :- 94 अधिसूचित पदों के विरुद्ध 86 अधिकारी कार्यरत हैं. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के 18 पदों के विरुद्ध केवल 03 अधिकारी पदस्थ हैं. राज्य प्रतिनियुक्ति के 23 पदों के विरुद्ध 21 अधिकारी पदस्थ हैं. प्रशिक्षण रिजर्व के 03 पदों के विरुद्ध 11 अधिकारी प्रशिक्षण पर हैं. लीव रिजर्व के 15 पदों के विरुद्ध कोई भी अधिकारी अवकाश पर नहीं है. (ख) कंडिका “क” के अधिकारियों में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के 18 पदों के विरुद्ध केवल 03 अधिकारी - क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत शासन भुवनेश्वर (ओडिसा), इंस्टीट्यूट ऑफ वूड साइन्स एवं टेक्नोलॉजी बेंगलूर (कर्नाटक) तथा कोहिमा, नागालैण्ड राज्य में पदस्थ हैं तथा राज्य प्रतिनियुक्ति के 23 पदों के विरुद्ध 21 अधिकारी-छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर, व्ययसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड रायपुर, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम रायपुर, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि पादप बोर्ड रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंध एजेंसी रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम रायपुर, तकनीकी शिक्षा रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर एवं जंगल सफारी रायपुर में प्रतिनियुक्त हैं पदस्थ हैं.

मुख्य तकनीकी परिक्षक के द्वारा निर्माण कार्यों के निरीक्षण

37. (क्र. 1880) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 में जनवरी, 19 तक मुख्य तकनीकी परीक्षक के द्वारा जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा कराये जा रहे कितने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया ? कृपया वर्षवार, विभागवार जानकारी दें ? (ख) कार्यों में अनियमितता एवं गुणवत्ता विहीन कार्यों को ठीक कराने या जुर्माना करने हेतु मुख्य तकनीकी परीक्षक के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब', 'स' एवं 'द' में है.

जिला रायपुर स्थित जंगल सफारी में रख रखाव में व्यय राशि

38. (क्र. 1881) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिला स्थित जंगल सफारी में कितने अधिकारी कर्मचारी पदस्थ है ? वर्तमान में कितनी संख्या में श्रमिक कार्यरत है ? (ख) वर्णित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान में एवं वन्य प्राणियों के चिकित्सा, भोजन एवं अन्य रख-रखाव एवं निर्माण कार्य के मरम्मत में विगत दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला धमतरी में वायु प्रदूषण

39. (क्र. 1884) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर संभाग के धमतरी जिले में वायु प्रदूषण कितना है ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ख) वायु प्रदूषण रोकने के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? (ग) उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण संयंत्र इस्तेमाल किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में कब-कब किन-किन अधिकारियों द्वारा जांच की गई है ? किन-किन उद्योगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? तहसीलवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है. (ख) उद्योगों में आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कराकर उसका सतत् संचालन सुनिश्चित कर उत्सर्जन मानकों के अनुरूप रखने, आंतरिक सड़कों को पक्का करने, परिसर में वृक्षारोपण करने आदि उपाय किये जा रहे हैं. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है.

खैरागढ़ में स्थापित एवं संचालित 132 के. व्ही. ए. सब स्टेशन

40. (क्र. 1889) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खैरागढ़ जिला राजनांदागांव में स्वीकृत 132 के. व्ही. ए. सब स्टेशन स्थापित किया गया था ? (ख) यदि हाँ तो क्या उक्त सब स्टेशन को डेरामरा जिला राजनांदागांव स्थानांतरित कर दिया गया था, यदि हाँ तो क्यों एक खैरागढ़ में 132 के. व्ही. ए. सबस्टेशन कब तक स्थापित किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जिला राजनांदागांव के विकासखण्ड खैरागढ़ के ग्राम कुम्ही में 132/33 के. व्ही. सब स्टेशन के स्थापना हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से दिनांक 11-07-2018 को सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के उपरांत उक्त सब-स्टेशन के निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. (ख) उत्तरांश (क) के परिपेक्ष्य में उक्त सब स्टेशन की स्थापना को जिला राजनांदागांव के डेरामरा में स्थानांतरित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है. चूंकि खैरागढ़ के ग्राम कुम्ही में प्रस्तावित 132/33 के. व्ही. सब स्टेशन के स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रारंभ नहीं हुआ है, अतः सब स्टेशन को कब तक स्थापित किया जायेगा की जानकारी वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है.

लौह अयस्क खनन पट्टा हेतु प्राप्त आवेदन

41. (क्र. 1890) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, मानपुर, मोहला, छुईखदान, सहसपुर, लोहारा, बोड़ला एवं कवर्धा तहसील में लौह अयस्क पट्टा खनन हेतु वर्ष 2015-16 से जनवरी 2019 तक कितने व्यक्तियों अथवा कंपनियों ने लौह अयस्क खनन हेतु आवेदन किया है ? उन प्रकरणों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव अंतर्गत छुईखदान तहसील एवं जिला कबीरधाम अंतर्गत बोड़ला तहसील में वर्ष 2015-16 से जनवरी 2019 तक लौह अयस्क के खनिपट्टा हेतु विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 02 आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण एवं उक्त प्रकरणों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

बेमेतरा जिले में वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत राशि

42. (क्र. 1910) **श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा जिले में वर्ष 2016-17 से माह जनवरी, 2019 तक वृक्षारोपण हेतु कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस मद के तहत स्वीकृत की गई ? वर्षवार, परिक्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) स्वीकृत राशि से कुल कितने-कितने पौधे रोपित किए गए ? परिक्षेत्रवार, वर्षवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला जांजगीर चांपा में हेण्ड पम्प में फ्लोराईड तत्व के मात्रा की जांच

43. (क्र. 1919) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर चांपा के कितने हेण्ड पम्प के स्रोतों में ए. डी. सी. सी. की जांच अनुसार फ्लोराईड तत्व की मात्रा मानक सीमा से अधिक पाई गई है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : जिला-जांजगीर-चांपा के 14 ग्रामों के 18 हेण्डपंपों में मेसर्स ए. डी. सी. सी. इंफोटिक प्रा. लि. नागपुर की जांच अनुसार फ्लोराईड तत्व की मात्रा मानक सीमा से अधिक पाई गई है.

प्रदेश में नलकूप खनन का लक्ष्य

44. (क्र. 1924) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 में प्रदेश में कुल कितने-कितने नलकूप खनन का लक्ष्य निर्धारित है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) लक्षित नलकूपों में से कितने नलकूपों का खनन किया जा चुका है ? कितने शेष हैं ? जिलेवार जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) वर्ष 2018-19 में प्रदेश में कुल 8044 नग नलकूप खनन का लक्ष्य निर्धारित है. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है. (ख) लक्षित नलकूपों में से 5733 नलकूपों का खनन किया जा चुका है एवं 2311 नलकूप खनन किया जाना शेष है. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है.

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के खैरवारी जंगल का क्षेत्रफल

45. (क्र. 1929) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के खैरवारी जंगल का क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर में है ? इनमें कौन-कौन से वन्य प्राणी पाये जाते हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वनमण्डल बलौदाबाजार में खैरवारी जंगल नाम से कोई वनक्षेत्र नहीं है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के नगरीय निकायों में स्वीकृत जल आवर्धन योजना

46. (क्र. 1934) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्रन्तर्गत नगरीय निकायों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल आवर्धन योजना का कार्य कहां-कहां किया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांश “क” अंतर्गत किन-किन फर्म/संस्था को कार्यादेश दिया गया है ? कार्य कब तक पूर्ण करना था ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्रन्तर्गत नगरीय निकायों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बलौदाबाजार आवर्धन योजना का कार्य किया जा रहा है. (ख) प्रश्नांश ‘क’ अनुसार बलौदाबाजार आवर्धन जलप्रदाय योजनांतर्गत जिन फर्मों को कार्यादेश जारी किया गया है उनकी अनुबंधवार कार्य पूर्ण करने की समयावधि सहित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है.

नया रायपुर प्रोजेक्ट में नई राजधानी के निर्माण में व्यय राशि

47. (क्र. 1959) **श्री नारायण चंदेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की राजधानी में नया रायपुर प्रोजेक्ट में नई राजधानी के निर्माण के लिये अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2019 तक कितनी राशि खर्च की गयी ? (ख) निर्माण एजेंसी कौन है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रदेश की राजधानी में नया रायपुर (अटल नगर) प्रोजेक्ट में नई राजधानी के निर्माण के लिए अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2019 तक रुपये 155692.09 लाख व्यय किये गये. (ख) जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

जनवरी-मार्च 2019 सत्र

मंगलवार, दिनांक 5 मार्च, 2019

परिशिष्ट



तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1854) की जानकारी]

गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन स्रोत की जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	गैर-परम्परागत स्रोत जिससे विद्युत उत्पादन हो रहा है
1	रायपुर	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन
2	बलौदाबाजार	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन
3	महासमुंद	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन
4	गरियाबंद	लघु जल परियोजना से विद्युत उत्पादन
5	धमतरी	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन तथा लघु जल परियोजना से विद्युत उत्पादन
6	बालोद	अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन
7	कांकेर	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन
8	राजनांदगांव	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन तथा अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन
9	दुर्ग	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन
10	कबीरधाम	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन
11	बेमेतरा	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन
12	बिलासपुर	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन
13	मृंगेली	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन
14	कोरबा	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं लघु जल परियोजना से विद्युत उत्पादन
15	रायगढ़	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन
16	जांजगीर-चाम्पा	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन
17	जशपुर	लघु जल परियोजना से विद्युत उत्पादन
18	सरगुजा	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन
19	बलरामपुर	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन
20	सूरजपुर	बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन, एवं लघु जल परियोजना से विद्युत उत्पादन तथा अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन
21	कोरिया	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन
22	बस्तर	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन
23	कोण्डागांव	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन
24	नारायणपुर	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन
25	दंतेवाड़ा	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन
26	सुकमा	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन
27	बोजापुर	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1392) के भाग (क) की जानकारी]

स.क्र.	अनुबंधित संस्था/एजेन्सीयों का नाम	मूल अनुबंध राशि रु.	कार्य की वास्तविक लागत रु.
1	2	3	4
1	मे. आई.व्ही.आर.सी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजेक्ट लिमि. हैदराबाद	1791199195.00	2107515945.00
2	पावर एण्ड इन्स्ट्रुमेंटेशन (गुजरात) लिमिटेड, अहमदाबाद	74000000.00	73811867.00
3	मे. एयर परफेक्शन, जबलपुर	47213250.00	47941764.00
4	मे. विप्रो लिमि., पुणे	22600000.00	22584949.00
5	मे. पावर सॉल्यूशंस, अहमदाबाद, गुजरात	24570000.00	24688805.00
6	मे. फिलिप्स ट्रेडिंग रायपुर	9341080.00	9341080.00
7	शहर एवं आद्योगिक विकास कार्पोरेशन, नवी मुंबई (सिडको)	80900000.00	87121200.00
8	मे. उत्तम चंद जैन, मुम्बई	35000000.00	40245447.00
9	मे. हास्पिटेक मैनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि., नई दिल्ली	55000000.00	48064394.00
10	मे. श्रीखांडे कन्सलटेंट, प्रा.लि., नवी मुम्बई	1800000.00	1552577.00
11	मे. मेहता एण्ड एसोसियेट, इंदौर	3892815.00	3892815.00
		वर्कचार्ज कन्टेनजेसी	28763148.00
		सकल व्यय राशि रु.	2417114911.00
		सकल व्यय राशि रु. करोड़ में	241.71

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1937) के भाग (ख) की जानकारी]

बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से जनवरी, 19 के मध्य स्थापित सौर ऊर्जा पम्प के मरम्मत व रखरखाव हेतु किए गए प्रदाय किए गए राशि की जानकारी

क्र.	वर्ष	इकाईयों को प्रदाय का विवरण	राशि रुपये में
1	2015-16	टेकनीशियन भुगतान (श्री तोरनलाल, श्री विमल यादव, श्री मनेश्वर गजभैये, श्री रितेश शर्मा)	731116
2		पम्प कंट्रोलर एवं माड्यूल क्रय (स्पेसिलिटी प्रोडक्ट)	1387112
3		क्रेडा द्वारा व्यय की गई राशि	138819
4	2016-17	टेकनीशियन भुगतान (श्री तोरनलाल, श्री विमल यादव, श्री मनेश्वर गजभैये, श्री रितेश शर्मा)	782389
5		पम्प कंट्रोलर एवं माड्यूल क्रय (स्पेसिलिटी प्रोडक्ट)	1807511
6		क्रेडा द्वारा व्यय की गई राशि	970505
7	2017-18	टेकनीशियन भुगतान (श्री तोरनलाल, श्री विमल यादव, श्री मनेश्वर गजभैये, श्री रितेश शर्मा)	973844
8		पम्प कंट्रोलर एवं माड्यूल क्रय (मनोज बसंत)	2856220
9		क्रेडा द्वारा व्यय की गई राशि	220510
10	2018-19	टेकनीशियन भुगतान (श्री तोरनलाल, श्री विमल यादव, श्री मनेश्वर गजभैये, श्री रितेश शर्मा, श्री नरेन्द्र पूजारी, श्री अविनाश सिंह, श्री प्रहलाद सिंह, श्री शैलेन्द्र सिंह, श्री प्रदीप, श्री खिरेश, श्री आसुतोष शुक्ला, श्री कृष्ण कुमार, श्री उमेश कुमार, श्री शक्ति माल्विया, श्री अभिषेक तिवारी)	1662347
11		पम्प कंट्रोलर एवं माड्यूल क्रय (स्पेसिलिटी प्रोडक्ट)	1457083
12		क्रेडा द्वारा व्यय की गई राशि	136981
कुल प्रदायित राशि रूपए			1,31,24,437

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1116) के भाग (क) की जानकारी]

कोरबा क्षेत्र में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण का स्तर संबंधी जानकारी

(क) वायु प्रदूषण स्तर संबंधी जानकारी

(1) तहसील कार्यालय के पास रामपुर, कोरबा

वर्ष	पी.एम.10 (माइक्रोग्राम/घनमीटर)		सल्फर डाई ऑक्साईड (माइक्रोग्राम/घनमीटर)		नाइट्रोजन ऑक्साईड्स (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
2016	मापन नहीं किया गया।	मापन नहीं किया गया।	10.00	11.20	8.30	22.90
2017	38.00	92.00	8.30	33.80	15.70	49.90
2018	38	106	6.70	40.30	16	23.70

(2) प्रगति नगर, जमनीपाली कोरबा

वर्ष	पी.एम.10 (माइक्रोग्राम/घनमीटर)		सल्फर डाई ऑक्साईड (माइक्रोग्राम/घनमीटर)		नाइट्रोजन ऑक्साईड्स (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
2016	34.0	94.0	9.2	13.70	14.2	21.3
2017	31.0	97.0	7.50	15.0	13.70	21.80
2018	30.0	146.0	5.20	40.50	12.80	52.40

(ख) जल प्रदूषण स्तर संबंधी जानकारी

क्र.	जल नमूना संग्रहण बिन्दु	वर्ष	पी एच		सस्पेंडेड सॉलिड (मि.ग्रा./लीटर)		डिजाल्ड ऑक्सीजन (मि.ग्रा./लीटर)		बी ओ डी (मि.ग्रा./लीटर)		सी ओ डी (मि.ग्रा./लीटर)	
			न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1.	उपरी धारा हसदेव बांगो हाइडेल पॉवर स्टेशन माचाडोली, कोरबा	2016	7.13	7.17	46.0	81.0	5.4	7.2	0.6	3.8	6.0	28.0
		2017	7.13	7.18	42.0	50.0	6.2	7.4	0.6	1.4	6.0	12.0
		2018	7.14	7.22	38.0	57.0	6.8	7.6	0.4	1.6	4.0	14.0
2.	हसदेव नदी डेंगुर नाला मिलने के बाद 100 मीटर निचली धारा में सीएसईबी (ई) गेस्ट हाऊस के पास, कोरबा	2016	7.11	7.16	54.0	112.0	4.6	6.6	2.4	7.0	14.0	62.0
		2017	7.15	7.20	49.0	63.0	5.6	7.0	1.0	2.4	10.0	28.0
		2018	7.15	7.35	49.0	166.0	6.6	7.2	0.8	1.8	12.0	24.0
3.	हसदेव नदी, कोरबा के निचली धारा में 07 किलो मीटर दूरी पर ग्राम-उरगा	2016	7.17	7.22	74.0	119.0	4.2	5.2	3.0	8.0	26.0	66.0
		2017	7.13	7.19	56.0	72.0	5.4	6.4	1.6	2.4	22.0	36.0
		2018	7.18	7.39	54.0	82.0	6.2	7.2	1.2	2.4	20.0	28.0

(ग) ध्वनि प्रदूषण स्तर संबंधी जानकारी

क.	ध्वनि मापन क्षेत्र	वर्ष	डीबी(ए)	
			न्यूनतम	अधिकतम
1.	प्रगति नगर, जमनीपाली, कोरबा (रहवासी क्षेत्र)	2016	40.8	65.3
		2017	40.3	56.5
		2018	37.5	67.1
2.	तहसील कार्यालय के पास, रामपुर कोरबा (रहवासी क्षेत्र)	2016	39.1	59.2
		2017	42	62.3
		2018	38.4	77.8
3.	ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा (व्यवसायिक क्षेत्र)	2016	60.3	76.4
		2017	58.9	78.9
		2018	49.4	81.2

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 63) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायगढ़ जिला अंतर्गत वर्ष 2017-18 से जनवरी 2019 तक अवधि में सौर सुजला योजना फेस-2, एवं फेस-3 अंतर्गत प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, निरस्त आवेदन एवं लंबित आवेदनों की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या			स्वीकृत आवेदनों की संख्या			अस्वीकृत आवेदनों की संख्या			लंबित आवेदन
		वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19 (31 जनवरी 2019 तक)	कुल	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19 (31 जनवरी 2019 तक)	कुल	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19 (31 जनवरी 2019 तक)	कुल	
1	रायगढ़	74	89	163	74	57	131	0	0	0	32
2	धरमजयगढ़	226	390	616	226	262	488	0	0	0	128
3	बरमकेला	12	59	71	12	47	59	0	0	0	12
4	खरसिया	74	67	141	74	30	104	0	0	0	37
5	लैलूंगा	170	110	280	170	67	237	0	0	0	43
6	पुसौर	33	31	64	29	09	38	04	0	04	22
7	सारगढ़	25	33	58	25	08	33	0	0	0	25
8	घरघोड़ा	68	40	108	68	18	86	0	0	0	22
9	तमनार	68	95	163	68	46	114	0	0	0	49
	कुल	750	914	1664	746	544	1290	04	0	04	370

प्रपत्र "ब"

सौर सुजला योजनांतर्गत फेस-2 के अंतर्गत पंप की क्षमता एवं प्रकार के आधार पर देय सब्सिडी का हितग्राही संवर्गवार विवरण

क्रमांक	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प का प्रकार	अ.जा./अ.ज.जा. (राशि रू. में)	अ.पि.व. (राशि रू. में)	समान्य (राशि रू. में)
1	02 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	205900	201900	194900
2	02 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	201800	197800	190800
3	02 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	229650	225650	218650
4	02 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	200900	196900	189900
5	03 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	292150	287150	281150
6	03 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	275350	270350	264350
7	03 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	310900	305900	299900
8	03 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	295100	290100	284100
9	05 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	408900	403900	398900
10	05 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	383900	378900	373900
11	05 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	423100	418100	413100
12	05 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	386725	381725	376725

(ख) सौर सुजला योजनांतर्गत फेस-3 के अंतर्गत पंप की क्षमता एवं प्रकार के आधार पर देय सब्सिडी का हितग्राही संवर्गवार विवरण

क्रमांक	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प का प्रकार	अ.जा./अ.ज.जा. (राशि रू. में)	अ.पि.व. (राशि रू. में)	समान्य (राशि रू. में)
1	02 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	148327	144327	137327
2	02 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	133585	129585	122585
3	02 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	169495	165495	158495
4	02 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	141145	137145	130145
5	03 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	202295	197295	191295
6	03 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	203715	198715	192715
7	03 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	241145	236145	230145
8	03 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	218360	213360	207360
9	05 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	305100	300100	295100
10	05 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	278640	273640	268640
11	05 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	322825	317825	312825
12	05 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	301375	296375	291375

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1727) की जानकारी]

राजनादगांव जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से विकासखण्डों में व्यय राशि की जानकारी
वर्ष 2015 से 30 नवम्बर 2018 तक राशि करोड़ रूपये में

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5
1	राजनादगांव	166	40.49	13.49
2	खैरागढ़	61	6.69	4.02
3	छुईखदान	122	5.38	3.59
4	डोंगरगढ़	63	4.75	3.24
5	डोंगरगांव	39	2.78	1.62
6	छुरिया	83	3.82	2.55
7	मानपुर	179	11.48	7.65
8	मोहला	110	6.94	4.90
9	अंबागढ़ चौकी	25	2.91	1.78
10	एक से अधिक विकासखण्डों में	27	9.94	7.26
	योग—	875	95.18	50.11

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1956) के भाग (ख) की जानकारी]

खरीदी गयी तालपत्रियों की राशि एवं खरीदी दिनांक का विवरण जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

क्र.	खरीदी केन्द्र का नाम	तालपत्रियों की राशि	तालपत्रियों खरीदने वाले संस्था का नाम	खरीदी का दिनांक
1	2	3	4	5
1	सरखों	25278.00	सेवा सहकारी समिति सरखों	17.11.18
2	महंत	21065.00	सेवा सहकारी समिति महंत	20.11.18
3	महुड	25278.00	सेवा सहकारी समिति महंत	20.11.18
4	सिचड	33704.00	सेवा सहकारी समिति महंत	20.11.18
5	धुरकोट	42130.00	सेवा सहकारी समिति धुरकोट	21.11.18
6	गौद	42130.00	सेवा सहकारी समिति धुरकोट	21.11.18
7	खोखरा	33704.00	सेवा सहकारी समिति खोखरा	15.11.18
8	जांजगीर	33704.00	सेवा सहकारी समिति जांजगीर	14.11.18
9	नैला	21065.00	सेवा सहकारी समिति जांजगीर	14.11.18
10	पहरिया	16852.00	सेवा सहकारी समिति पहरिया	23.12.18
11	बोडसरा	25278.00	सेवा सहकारी समिति बोडसरा	30.11.18
12	बनारी	25278.00	सेवा सहकारी समिति बोडसरा	30.11.18
13	कुटरा	33704.00	सेवा सहकारी समिति कुटरा	15.11.18
14	धुठिया	33704.00	सेवा सहकारी समिति कुटरा	15.11.18
15	अमोदा	37917.00	सेवा सहकारी समिति अमोदा	25.11.18
16	करी	29491.00	सेवा सहकारी समिति अमोदा	25.11.18
17	मैंसदा	29491.00	सेवा सहकारी समिति अमोदा	25.11.18
18	सलखन	29491.00	सेवा सहकारी समिति सलखन	25.12.18
19	तुलसी	21065.00	सेवा सहकारी समिति तुलसी	25.11.18
20	किरित	16852.00	सेवा सहकारी समिति तुलसी	25.12.18
21	सेमरा	16852.00	सेवा सहकारी समिति सेमरा	25.11.18
22	खिसोरा	25278.00	सेवा सहकारी समिति सेमरा	25.12.18
23	सिचड	16852.00	सेवा सहकारी समिति सिचड	25.11.18
24	धारासीव	16852.00	सेवा सहकारी समिति सिचड	25.12.18
25	नवागढ़	16852.00	सेवा सहकारी समिति नवागढ़	25.11.18

26	बरगांव	8426.00	सेवा सहकारी समिति नवागढ़	25.12.18
27	तनौद	25278.00	सेवा सहकारी समिति तनौद	10.11.18
28	खोरसी	25278.00	सेवा सहकारी समिति तनौद	10.11.18
29	केरा	8426.00	सेवा सहकारी समिति केरा	10.11.18
30	मिसदा	8426.00	सेवा सहकारी समिति केरा	12.11.18
31	लोहर्सी	8426.00	सेवा सहकारी समिति लोहर्सी	23.11.18
32	खरौद	8426.00	सेवा सहकारी समिति लोहर्सी	17.11.18
33	शिवरीनारायण	21065.00	सेवा सहकारी समिति शिवरीनारायण	17.11.18
34	गोधना	16852.00	सेवा सहकारी समिति शिवरीनारायण	17.11.18
35	नेगुरडीह	16852.00	सेवा सहकारी समिति शिवरीनारायण	17.11.18
36	कटौद	16852.00	सेवा सहकारी समिति शिवरीनारायण	17.11.18
37	कामता	21065.00	सेवा सहकारी समिति शिवरीनारायण	17.11.18
38	पकरिया	58982.00	सेवा सहकारी समिति पकरिया	27.12.18
39	भिलौनी	42130.00	सेवा सहकारी समिति भिलौनी	27.12.18
40	डोंगाकोहरौद	58982.00	सेवा सहकारी समिति भिलौनी	27.12.18
41	मेउ	58982.00	सेवा सहकारी समिति मेउ	27.12.18
42	राहौद	63195.00	सेवा सहकारी समिति राहौद	27.12.18
43	मेहदी	42130.00	सेवा सहकारी समिति मेहदी	27.12.18
44	कोसला	42130.00	सेवा सहकारी समिति कोसला	27.12.18
45	ससहा	58982.00	सेवा सहकारी समिति ससहा	27.12.18
46	रसौटा	21065.00	सेवा सहकारी समिति रसौटा	27.12.18
47	पकरिया	21065.00	सेवा सहकारी समिति रसौटा	27.12.18
48	मैसो	84260.00	सेवा सहकारी समिति मैसो	27.12.18
49	लगरा	75834.00	सेवा सहकारी समिति लगरा	27.12.18
50	कोडाभाठ	42130.00	सेवा सहकारी समिति कोडाभाठ	27.12.18
51	पामगढ़	25278.00	सेवा सहकारी समिति पामगढ़	27.12.18
52	कोटमी	8426.00	सेवा सहकारी समिति कोटमी	27.12.18
53	सांकर	12639.00	सेवा सहकारी समिति कोटमी	27.12.18
54	अकलतरी	16852.00	सेवा सहकारी समिति कोटमी	27.12.18
55	करुमहू	33704.00	सेवा सहकारी समिति करुमहू	21.12.18
56	पकरिया	16852.00	सेवा सहकारी समिति करुमहू	21.12.18
57	किरारी	12639.00	सेवा सहकारी समिति किरारी	21.12.18

58	कोटगढ़	16852.00	सेवा सहकारी समिति कोटगढ़	21.12.18
59	पोड़ी	21065.00	सेवा सहकारी समिति पोड़ी	21.12.18
60	तरौद	12639.00	सेवा सहकारी समिति तरौद	12.11.18
61	अमोरा	12639.00	सेवा सहकारी समिति तरौद	12.11.18
62	अकलतरा	21065.00	सेवा सहकारी समिति अकलतरा	24.12.18
63	नरियरा	16852.00	सेवा सहकारी समिति नरियरा	25.12.18
64	कापन	8426.00	सेवा सहकारी समिति कापन	26.12.18
65	बरगवां	12639.00	सेवा सहकारी समिति कापन	25.12.18
66	तिलई	8426.00	सेवा सहकारी समिति तिलई	27.11.18
67	ख्यारीडीह	12639.00	सेवा सहकारी समिति तिलई	25.12.18
68	चोरभट्टी	16852.00	सेवा सहकारी समिति तिलई	27.11.18
69	खैजा	8426.00	सेवा सहकारी समिति खैजा	13.11.18
70	खिसोरा	8426.00	सेवा सहकारी समिति खिसोरा	13.11.18
71	बक्सरा	8426.00	सेवा सहकारी समिति बक्सरा	13.11.18
72	गतवा	16852.00	सेवा सहकारी समिति बक्सरा	13.11.18
73	कोरबी	8426.00	सेवा सहकारी समिति कोरबी	13.11.18
74	बलौदा	33704.00	सेवा सहकारी समिति बलौदा	13.11.18
75	महुदा	16852.00	सेवा सहकारी समिति महुदा	13.11.18
76	चारपारा	8426.00	सेवा सहकारी समिति महुदा	13.11.18
77	जर्वे	25278.00	सेवा सहकारी समिति जर्वे	13.11.18
78	जावलपुर	25278.00	सेवा सहकारी समिति जावलपुर	13.11.18
79	भैसतरा	8426.00	सेवा सहकारी समिति भैसतरा	13.11.18
80	हरदी	8426.00	सेवा सहकारी समिति भैसतरा	13.11.18
81	पिसौद	75834.00	सेवा सहकारी समिति पिसौद	1.12.18
82	सिवनी	16852.00	सेवा सहकारी समिति सिवनी	10.12.18
83	सोठी	37917.00	सेवा सहकारी समिति सोठी	24.12.18
84	चाम्पा	21065.00	सेवा सहकारी समिति चाम्पा	24.12.18
85	कुम्हारीकला	21065.00	सेवा सहकारी समिति कुम्हारीकला	24.12.18
86	अमरुवा	33704.00	सेवा सहकारी समिति कुम्हारीकला	24.12.18
87	दारंग	12639.00	सेवा सहकारी समिति कुम्हारीकला	24.12.18
88	सारागांव	75834.00	सेवा सहकारी समिति सारागांव	8.12.18
89	कमरीद	71621.00	सेवा सहकारी समिति कमरीद	5.11.18

90	कोसमंदा	37917.00	सेवा सहकारी समिति कमरीद	5.11.18
91	मडवा	37917.00	सेवा सहकारी समिति मडवा	3.11.18
92	उच्चमठी	37917.00	सेवा सहकारी समिति मडवा	3.11.18
93	सरहर	8426.00	सेवा सहकारी समिति सरहर	2.11.18
94	डुमरपारा	21065.00	सेवा सहकारी समिति डुमरपारा	12.11.18
95	लवसरा	25278.00	सेवा सहकारी समिति डुमरपारा	12.11.18
96	गिधौरी	25278.00	सेवा सहकारी समिति गिधौरी	22.11.18
97	बाराद्वार	12639.00	सेवा सहकारी समिति बाराद्वार	2.12.18
98	बस्तीबाराद्वार	8426.00	सेवा सहकारी समिति बाराद्वार	2.12.18
99	कडारी	12639.00	सेवा सहकारी समिति कडारी	17.11.18
100	ठठारी	25278.00	सेवा सहकारी समिति ठठारी	19.11.18
101	भोथिया	25278.00	सेवा सहकारी समिति भोथिया	4.12.18
102	डोंगिया	12639.00	सेवा सहकारी समिति भोथिया	4.12.18
103	दर्राभाठा	25278.00	सेवा सहकारी समिति दर्राभाठा	5.11.18
104	अकलसरा	16852.00	सेवा सहकारी समिति दर्राभाठा	5.11.18
105	आमगांव	37917.00	सेवा सहकारी समिति आमगांव	10.11.18
106	दतौद	33704.00	सेवा सहकारी समिति आमगांव	10.11.18
107	काशीगढ़	29491.00	सेवा सहकारी समिति आमगांव	10.11.18
108	जैजेपुर	37917.00	सेवा सहकारी समिति जैजेपुर	24.01.18
109	ओडेकेरा	29491.00	सेवा सहकारी समिति ओडेकेरा	25.11.18
110	तुषार	25278.00	सेवा सहकारी समिति तुषार	7.12.18
111	नंदेली	37917.00	सेवा सहकारी समिति तुषार	7.12.18
112	मुक्ता	42130.00	सेवा सहकारी समिति मुक्ता	10.12.18
113	सैंदरी	46343.00	सेवा सहकारी समिति मुक्ता	10.12.18
114	अरसिया	21065.00	सेवा सहकारी समिति मुक्ता	10.12.18
115	खजुरानी	33704.00	सेवा सहकारी समिति खजुरानी	1.11.18
116	भोथीडीह	37917.00	सेवा सहकारी समिति खजुरानी	1.11.18
117	पिहरीद	25278.00	सेवा सहकारी समिति पिहरीद	11.01.19
118	बड़ेरबेली	16852.00	सेवा सहकारी समिति पिहरीद	11.01.19
119	पोता	42130.00	सेवा सहकारी समिति पोता	12.01.19
120	करीगांव	25278.00	सेवा सहकारी समिति पोता	12.01.19
121	सुलौनी	50556.00	सेवा सहकारी समिति पोता	12.01.19

122	चरौदा	37917.00	सेवा सहकारी समिति चरौदा	11.01.19
123	बडेपंडरमुडा	21065.00	सेवा सहकारी समिति चरौदा	11.01.19
124	सिंघरा	37917.00	सेवा सहकारी समिति सिंघरा	13.01.19
125	बेलहाडीह	25278.00	सेवा सहकारी समिति सिंघरा	13.01.19
126	मालखरौदा	29491.00	सेवा सहकारी समिति मालखरौदा	13.01.19
127	मुक्ता	21065.00	सेवा सहकारी समिति मालखरौदा	13.01.19
128	आमनदुला	37917.00	सेवा सहकारी समिति आमनदुला	13.01.19
129	भठोरा	29491.00	सेवा सहकारी समिति आमनदुला	13.01.19
130	बडेसीपत	42130.00	सेवा सहकारी समिति बडेसीपत	11.01.19
131	पिरदा	37917.00	सेवा सहकारी समिति बडेसीपत	11.01.19
132	सकरेली	33704.00	सेवा सहकारी समिति सकरेली	11.11.18
133	डोडकी	33704.00	सेवा सहकारी समिति सकरेली	11.11.18
134	सोठी	37917.00	सेवा सहकारी समिति सोठी	8.11.18
135	कनेटी	21065.00	सेवा सहकारी समिति सोठी	8.11.18
136	किरारी	33704.00	सेवा सहकारी समिति किरारी	10.11.18
137	खैरा	33704.00	सेवा सहकारी समिति किरारी	10.11.18
138	पोरथा	33704.00	सेवा सहकारी समिति पोरथा	10.11.18
139	असौदा	29491.00	सेवा सहकारी समिति किरारी	10.11.18
140	झालरौदा	37917.00	सेवा सहकारी समिति झालरौदा	10.11.18
141	चिखलरौदा	16852.00	सेवा सहकारी समिति झालरौदा	10.11.18
142	रायपुरा	33704.00	सेवा सहकारी समिति झालरौदा	10.11.18
143	अडभार	29491.00	सेवा सहकारी समिति अडभार	15.11.18
144	बुंदेली	33704.00	सेवा सहकारी समिति अडभार	15.11.18
145	बरपाली	42130.00	सेवा सहकारी समिति बरपाली	18.12.18
146	नगरदा	29491.00	सेवा सहकारी समिति बरपाली	18.12.18
147	पतेरापाली	25278.00	सेवा सहकारी समिति पतेरापाली	12.11.18
148	देवरमाल	29491.00	सेवा सहकारी समिति पतेरापाली	12.11.18
149	रंगजा	29491.00	सेवा सहकारी समिति रंगजा	17.11.18
150	मसनियाखुर्द	25278.00	सेवा सहकारी समिति रंगजा	17.11.18
151	जर्वे	37917.00	सेवा सहकारी समिति जर्वे	10.11.18
152	सकरा	37917.00	सेवा सहकारी समिति सकर्रा	12.11.18
153	मोहंदीकला	33704.00	सेवा सहकारी समिति सकर्रा	12.11.18

154	सक्ती	33704.00	सेवा सहकारी समिति सक्ती	17.11.18
155	सिरियागढ़	75834.00	सेवा सहकारी समिति सिरियागढ़	06.11.18
156	देवरघटा	54769.00	सेवा सहकारी समिति देवरघटा	05.11.18
157	बरतुगा	12639.00	सेवा सहकारी समिति देवरघटा	05.11.18
158	फरसवानी	29491.00	सेवा सहकारी समिति फरसवानी	07.11.18
159	डभरा	42130.00	सेवा सहकारी समिति डभरा	07.11.18
160	छोटेकोनी	25278.00	सेवा सहकारी समिति डभरा	07.11.18
161	धुरकोट	33704.00	सेवा सहकारी समिति धुरकोट	10.12.18
162	कवली	33704.00	सेवा सहकारी समिति धुरकोट	10.12.18
163	किरारी	46343.00	सेवा सहकारी समिति किरारी	13.12.18
164	रेडा	46343.00	सेवा सहकारी समिति किरारी	13.12.18
165	कोटमी	16852.00	सेवा सहकारी समिति कोटमी	21.12.18
166	बडेकटेकोनी	54769.00	सेवा सहकारी समिति बडेकटेकोनी	25.12.18
167	कासा	54769.00	सेवा सहकारी समिति बडेकटेकोनी	25.12.18
168	पुटीडीह	21065.00	सेवा सहकारी समिति पुटीडीह	05.12.18
169	जवाली	21065.00	सेवा सहकारी समिति पुटीडीह	05.12.18
170	फगुरम	42130.00	सेवा सहकारी समिति फगुरम	12.12.18
171	भाटा	42130.00	सेवा सहकारी समिति फगुरम	12.12.18
172	कोसा	33704.00	सेवा सहकारी समिति कोसा	15.12.18
173	जेवरा	21065.00	सेवा सहकारी समिति जेवरा	15.12.18
174	मुलमुला	33704.00	सेवा सहकारी समिति मुलमुला	15.12.18
175	छपोरा	25278.00	सेवा सहकारी समिति छपोरा	12.01.19
176	घोघरी	16852.00	सेवा सहकारी समिति घोघरी	11.01.19
177	नरीयरा	16852.00	सेवा सहकारी समिति नरीयरा	13.01.19
178	देवगांव	16852.00	सेवा सहकारी समिति नरीयरा	13.01.19
179	देवरघटा	25278.00	सेवा सहकारी समिति देवरघटा	18.12.18
180	भातमाहूल	16852.00	सेवा सहकारी समिति देवरघटा	18.12.18
181	कैथा	29491.00	सेवा सहकारी समिति कैथा	12.12.18
182	झरप	21065.00	सेवा सहकारी समिति कैथा	12.12.18
183	हसौद	21065.00	सेवा सहकारी समिति हसौद	25.12.18
184	धिस्दा	16852.00	सेवा सहकारी समिति हसौद	25.12.18
185	बिरा	46343.00	सेवा सहकारी समिति बिरा	15.12.18

186	तालदेवरी	25278.00	सेवा सहकारी समिति तालदेवरी	11.12.18
187	सिलादेही	54769.00	सेवा सहकारी समिति तालदेवरी	11.12.18
188	डभराखुर्द	33704.00	सेवा सहकारी समिति तालदेवरी	11.12.18
189	धिवरा	42130.00	सेवा सहकारी समिति धिवरा	02.11.18
190	किकिरदा	42130.00	सेवा सहकारी समिति धिवरा	02.11.18
191	मल्दा	42130.00	सेवा सहकारी समिति धिवरा	02.11.18
192	बम्हनीनडीह	16852.00	सेवा सहकारी समिति बम्हनीनडीह	2.12.18
193	करनौद	25278.00	सेवा सहकारी समिति करनौद	5.12.18
194	लखाली	21065.00	सेवा सहकारी समिति करनौद	5.12.18
195	पोडीशंकर	37917.00	सेवा सहकारी समिति करनौद	5.12.18
196	बंसूला	16852.00	सेवा सहकारी समिति करनौद	5.12.18
197	अफरीद	37917.00	सेवा सहकारी समिति करनौद	5.12.18
198	चोरिया	42130.00	सेवा सहकारी समिति चोरिया	7.12.18
199	झर्गा	37917.00	सेवा सहकारी समिति चोरिया	7.12.18
200	चन्द्रपुर	29491.00	सेवा सहकारी समिति चन्द्रपुर	10.11.18
201	बघौद	50556.00	सेवा सहकारी समिति बघौद	06.11.18
202	दर्शी	37917.00	सेवा सहकारी समिति बघौद	06.11.18
203	सपोस	33704.00	सेवा सहकारी समिति सपोस	05.11.18
204	बारापीपर	33704.00	सेवा सहकारी समिति सपोस	05.11.18
205	अमलडीहा	37917.00	सेवा सहकारी समिति अमलडीहा	02.11.18
	कुलयोग -	6007738.00		

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1882) के भाग (ख) की जानकारी]

धमतरी जिले में 132 के.व्ही. उपकेन्द्र कुरुद से 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र भखारा तक 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. विद्युत पारेषण लाइन के अंतर्गत स्थापित टावर/पारेषण लाइन से प्रभावित भूमि के भू-स्वामियों को भुगतान किए गये मुआवजा राशि की जानकारी

क्रमांक	कृषक का नाम	ग्राम एवं तहसील	मुआवजा राशि (रूपयों में)		भुगतान की स्थिति (तिथि सहित)	रिमार्क
			लाईन कारीडोर	टावर क्षेत्र		
	क्षतिपूर्ति मुआवजा					
1	पवन पिता गजनू गोड	कुरुद	52933.00	18866.29	भुगतान - 08/08/2017	
2	गोरेलाल पिता पुरन गोड	कुरुद	7370.00	18866.29	भुगतान - 08/08/2017	
3	विजय कुमार केला पिता मुरलीधर केला	कुरुद	213079.00	29632.26	भुगतान - 08/08/2017	
4	लोकनाथ, रामजी, काशीराम पिता भोंदू मरार	कुरुद	70817.00	4719.58	भुगतान - 08/08/2017	
5	सुनील कुमार, अरुण कुमार हेमूत कुमार पिता बालमुकुंद साहू	कुरुद	61801.00	4719.58	भुगतान - 08/08/2017	
6	साहूकार पिता पदूम लाल साहू	चरमुडिया	74539.00	6381.00	भुगतान - 09/08/2017	
7	सुखराम पिता डेरहा साहू (संशोधित नाम श्री कुमार साहू पिता सुखराम साहू)	चरमुडिया	60698.00	11409.00	भुगतान - 10/10/2017	
8	कोमल पिता श्यामलाल साहू	चरमुडिया	53136.00	7857.00	भुगतान - 09/08/2017	
9	मकुल पिता मंगल राम साहू	चरमुडिया	17954.00	12754.00	भुगतान - 09/08/2017	
10	शिविराम पिता चैतुराम पटेल	चरमुडिया	35902.00	6377.00	भुगतान - 09/08/2017	
11	ताराचंद पिता बसलाल (संशोधित नाम श्री ताराचंद साहू पिता बरनलाल साहू)	चरमुडिया	2975.00	6377.00	भुगतान - 10/10/2017	
12	बशीलाल पिता रामाधीन साहू	चरमुडिया	58642.00	6377.00	भुगतान - 09/08/2017	
13	ओमप्रकाश पिता पदुमलाल साहू	चरमुडिया	16678.00	6377.00	भुगतान - 09/08/2017	
14	बालमुकुंद पिता पदुमलाल साहू	चरमुडिया	56892.00	12754.00	भुगतान - 09/08/2017	
15	चैतीबाई बेवा बकउ	चरमुडिया	8402.00	10016.00	भुगतान - 09/08/2017	
16	होलाराम पिता बिसनाथ साहू	चरमुडिया	31939.00	10016.00	भुगतान - 09/08/2017	
17	गौरीबाई पिता जगताराम (संशोधित नाम गैदी बाई पिता जगताराम)	राखी	64578.00	8034.00	भुगतान - 02/12/2017	
18	अंजोरसिंग पिता अनंदसिंग	राखी	124606.00	8034.00	भुगतान - 12/08/2017	
19	जानसाय पिता नथेल	राखी	78688.00	4017.00	भुगतान - 12/08/2017	
20	श्यामलाल पिता बिसोहा	राखी	54600.00	4017.00	भुगतान - 12/08/2017	
21	अंजोर पिता गोवर्धन	राखी	22827.00	5478.00	भुगतान - 12/08/2017	
22	केजुराम पिता साधुराम	राखी	49864.00	5478.00	भुगतान - 12/08/2017	
23	तुकाराम पिता प्ररसु	राखी	96123.00	9891.00	भुगतान - 12/08/2017	
24	पीलादाऊ पिता भगवानी	राखी	126366.00	8034.00	भुगतान - 12/08/2017	
25	अगरदास पिता थनवार तेली	बगौद	15130.00	4139.00	भुगतान - 19/07/2017	
26	दानीराम पिता पदुमराम	बगौद	22121.00	3281.00	भुगतान - 19/07/2017	
27	अशोक कुमार पिता किशुनराम तेली	बगौद	50703.00	820.00	भुगतान - 19/07/2017	
28	भानवती पिता रामनाथ	बगौद	21886.00	2461.00	भुगतान - 19/07/2017	
29	महेशुराम पिता बिसेलाल तेली	बगौद	65919.00	3281.00	भुगतान - 19/07/2017	
30	प्रवीण कुमार पिता बिसाहुराम	बगौद	110674.00	16544.00	भुगतान - 19/07/2017	
31	ढारूराम पिता बुधराम	बगौद	14977.00	8271.00	भुगतान - 19/07/2017	
32	घनश्याम पिता भवानीलाल (संशोधित नाम श्री घनश्याम चंद्राकर पिता भवानीलाल चंद्राकर)	बगौद	55614.00	8271.00	भुगतान - 12/10/2017	

क्रमांक	कृषक का नाम	पिता का नाम	मुआवजा राशि (रुपयों में)	भुगतान की स्थिति (तिथि सहित)	रिमार्क
33	मालती बाई पति कोमल	बगौद	25543.00	7399.00	भुगतान - 19/07/2017
34	सुखमाबाई पति साधुदास	बगौद	2784.00	3281.00	भुगतान - 19/07/2017
35	कलीराम पिता बउदा तेली	बगौद	11815.00	4139.00	भुगतान - 19/07/2017
36	भयसाम तारक	बगौद	35767.00	4139.00	भुगतान - 19/07/2017
37	सुनील पिता मैतूराम गोंड	बगौद	25280.00	3104.00	भुगतान - 19/07/2017
38	एतराम पिता मन्नालाल (संशोधित नाम श्री यतराम चंद्राकर पिता मन्नालाल चंद्राकर)	बगौद	50914.00	1034.00	भुगतान - 12/10/2017
39	जगदीश पिता मनराखन	बगौद	31896.00	3281.00	भुगतान - 19/07/2017
40	पुनितान पिता बहुराम साहू	बगौद	46520.00	4139.00	भुगतान - 19/07/2017
41	अश्वमेध पिता गुहा बैस	देवरी	77603.00	17047.00	भुगतान - 22/07/2017
42	आमणकाश पिता झाड़ूशम कुर्मी (संशोधित नाम श्री आमणकाश बैस पिता झाड़ूशम बैस)	देवरी	87722.00	3240.00	भुगतान - 13/10/2017
43	अश्वमेध पिता चन्द्रभूषण कुर्मी (संशोधित नाम श्री आमणकाश बैस पिता चन्द्रभूषण बैस)	देवरी	52792.00	3240.00	भुगतान - 13/10/2017
44	अज्ञान आपुर्गे पिता पिताम्बर अज्ञान पालक बडा बाग खिलेश्वर (संशोधित नाम श्री खिलेश्वर बैस)	देवरी	78740.00	5573.00	भुगतान - 13/10/2017
45	सत्यनारायण पिता शत्रुहन	देवरी	25416.00	4087.00	भुगतान - 24/07/2017
46	शिवराम पिता धनराय कुर्मी (संशोधित नाम श्री शिवराम बैस पिता धनराय बैस)	देवरी	39569.00	3240.00	भुगतान - 13/10/2017
47	श्रीमणकाश पिता खेदूशम रावत	देवरी	11908.00	5031.00	भुगतान - 24/07/2017
48	पुनीत पिता भुलऊ तेली	कुरुद	63912.00	0	भुगतान - 08/08/2017
49	पुनवा पिता धरमु साहू	कुरुद	6560.00	0	भुगतान - 08/08/2017
50	रूपेन्द पिता गोपाल सिंह कुर्मी (संशोधित नाम श्री रूपेन्द चन्द्राकर पिता गोपाल सिंह चन्द्राकर)	कुरुद	83885.00	0	भुगतान - 29/11/2017
51	अरुण कुमार पिता बालमुकुद	चरमुडिया	54576.00	0	भुगतान - 09/08/2017
52	पुस्कर पिता भरतलाल (संशोधित नाम श्री जनकराम पटेल)	चरमुडिया	9914.00	0	भुगतान - 10/10/2017
53	रामगुलाल पिता रूपराम	चरमुडिया	21519.00	0	भुगतान - 09/08/2017
54	जयशम पिता गणेश	चरमुडिया	1917.00	0	भुगतान - 09/08/2017
55	सोहनलाल पिता नाथूराम (संशोधित नाम श्री दुष्यंत पटेल पिता सोहनलाल पटेल)	चरमुडिया	27642.00	0	भुगतान - 10/10/2017
56	बरनत कुमार पिता बरनलाल	चरमुडिया	41808.00	0	भुगतान - 09/08/2017
57	राजेश कुमार पिता साहूकार	चरमुडिया	9735.00	0	भुगतान - 09/08/2017
58	सशमलाल पिता इतवारी तेली	चरमुडिया	105406.00	0	भुगतान - 09/08/2017
59	नेदलाल पिता विसोहा	चरमुडिया	11730.00	0	भुगतान - 09/08/2017
60	अमृत बाई लॉज पुरानिक	चरमुडिया	37564.00	0	भुगतान - 09/08/2017
61	प्रमलान पिता रामकिशुन	चरमुडिया	29849.00	0	भुगतान - 10/08/2017
62	दमन कुमार	चरमुडिया	2601.00	0	भुगतान - 10/08/2017
63	दमन कुमार / सुकलाल	चरमुडिया	71463.00	0	भुगतान - 10/08/2017
64	विशालदीन अजि मराव तेली	चरमुडिया	10395.00	0	भुगतान - 10/08/2017
65	नाथूराम पिता रूपराम	चरमुडिया	34092.00	0	भुगतान - 10/08/2017
66	लखन पिता मंगलराम	चरमुडिया	5912.00	0	भुगतान - 10/08/2017
67	दुधराम पिता लखू	चरमुडिया	8763.00	0	भुगतान - 10/08/2017
68	गुलेश पिता समरक	चरमुडिया	24468.00	0	भुगतान - 10/08/2017

क्रमांक	कृषक का नाम	घर एप वर्ग	मुआवजा राशि (रुपयों में)	भुगतान की स्थिति (तिथि सहित)	रिमार्क
69	कमलेश पिता जयराम (संशोधित नाम श्री कमेश्वर कुमार धीवर पिता जयराम धीवर)	घरमुडिया	15764.00	0	भुगतान - 10/10/2017
70	कुमकरण पिता भगोला	घरमुडिया	10058.00	0	भुगतान - 10/08/2017
71	तुकाराम पिता गुप्तचंद सतनामी वगै.	घरमुडिया	23746.00	0	भुगतान - 10/08/2017
72	पुनिया बेवा रामजी	घरमुडिया	26976.00	0	भुगतान - 10/08/2017
73	जगबती बेवा भारत	घरमुडिया	20570.00	0	भुगतान - 10/08/2017
74	कुमकरण पिता दरबन	घरमुडिया	15937.00	0	भुगतान - 10/08/2017
75	ताराचंद पिता बसलाल (संशोधित नाम श्री ताराचंद साहू पिता वरनलाल साहू)	घरमुडिया	23387.00	0	भुगतान - 10/10/2017
76	कुमेश राम पिता बुद्धुराम	घरमुडिया	8527.00	0	भुगतान - 10/08/2017
77	इन्दरानी बाई साहू	घरमुडिया	14790.00	0	भुगतान - 10/08/2017
78	कमलेश पिता सकालू	घरमुडिया	7774.00	0	भुगतान - 10/08/2017
79	सरोज पिता चेतुराम मरार	घरमुडिया	25750.00	0	भुगतान - 10/08/2017
80	प्रीतम पिता दरबन	घरमुडिया	21748.00	0	भुगतान - 10/08/2017
81	पुरषोत्तम पिता गणेश	घरमुडिया	7939.00	0	भुगतान - 10/08/2017
82	कुमेश पिता बुद्धुराम साहू	घरमुडिया	23291.00	0	भुगतान - 10/08/2017
83	चैतीबाई बेवा बकउ	घरमुडिया	106271.00	0	भुगतान - 10/08/2017
84	यशवत कुमार पिता कृष्णकुमार	घरमुडिया	1167.00	0	भुगतान - 11/08/2017
85	जगदीश पिता झाड़ूगाम साहू	घरमुडिया	69583.00	0	भुगतान - 11/08/2017
86	कुवर सिंह पिता सरवन	राखी	64070.00	0	भुगतान - 12/08/2017
87	गंगाप्रसाद पिता फुलसिंग	राखी	45263.00	0	भुगतान - 12/08/2017
88	जीवनलाल पिता मोरखनाथ	राखी	46832.00	0	भुगतान - 12/08/2017
89	झुरुराम पिता बल्द (संशोधित नाम श्री मोरध्वज पिता झुरुराम साहू)	राखी	44697.00	0	भुगतान - 11/10/2017
90	अर्जुन पिता फुलसिंग (संशोधित नाम श्री अर्जुन राम साहू पिता फुलसिंग साहू)	राखी	16256.00	0	भुगतान - 02/02/2018
91	मनोज कुमार पिता अर्जुनदास	राखी	4644.00	0	भुगतान - 12/08/2017
92	मोरध्वज पिता झुरुराम (संशोधित नाम श्री मोरध्वज पिता झुरुराम साहू)	राखी	11732.00	0	भुगतान - 11/10/2017
93	लीलाशंकर पिता कुंजबिहारी	राखी	33741.00	0	भुगतान - 12/08/2017
94	दानीराम पिता कुंजबिहारी	राखी	58998.00	0	भुगतान - 12/08/2017
95	लीलाशंकर पिता कुंजबिहारी	राखी	33256.00	0	भुगतान - 12/08/2017
96	अंजोरसिंग पिता अनदसिंग	राखी	0.00	0	भुगतान - 12/08/2017
97	खेमन लाल पिता बिरसिंग	राखी	53142.00	0	भुगतान - 12/08/2017
98	चैनेश्वरदास पिता छोदूराम	राखी	77072.00	0	भुगतान - 12/08/2017
99	सोनादास पिता मेहत्तर	राखी	369.00	0	भुगतान - 12/08/2017
100	सुखनदन साहू पिता परउराम साहू	राखी	58512.00	0	भुगतान - 12/08/2017
101	बिसम्बर पिता भानुप्रताप	राखी	63369.00	0	भुगतान - 12/08/2017
102	रामाधीन पिता प्रेमसिंग	राखी	31313.00	0	भुगतान - 12/08/2017
103	चोकाराम पिता रामाधीन	राखी	41027.00	0	भुगतान - 12/08/2017
104	पोहबराम पिता परसराम	राखी	5417.00	0	भुगतान - 12/08/2017
105	पितेश्वर पिता मनहरण	राखी	38491.00	0	भुगतान - 12/08/2017
106	भोजराम पिता तोताराम	राखी	32058.00	0	भुगतान - 12/08/2017
107	दौलतराम पिता दोषराम	राखी	49877.00	0	भुगतान - 12/08/2017
108	पितेश्वर पिता मनहरण	राखी	9331.00	0	भुगतान - 12/08/2017
109	कुंतीबाई पिता जोहन	राखी	16210.00	0	भुगतान - 13/08/2017

क्रमांक	कृषक का नाम	ग्राम एवं तहसील	मुआवजा राशि (रुपयों में)	भुगतान की स्थिति (तिथि सहित)	रिमार्क
110	कुंवर सिंह पिता चमरू (संशोधित नाम श्री गणेश राम साहू पिता कुंवरसिंग साहू)	राखी	79465.00	0	भुगतान - 11/10/2017
111	तेजसम पिता थुकलु (संशोधित नाम श्री तेजसम साहू पिता स्व. श्री थुकलु)	राखी	35238.00	0	भुगतान - 10/02/2018
112	तक्षसिवा पिता भागवत साहू	राखी	14463.00	0	भुगतान - 13/08/2017
113	देवलाल पिता पिलूराम	राखी	2077.00	0	भुगतान - 13/08/2017
114	दुखुराम पिता अघनुराम	राखी	13620.00	0	भुगतान - 13/08/2017
115	दुईज राम पिता अघनु	राखी	20511.00	0	भुगतान - 13/08/2017
116	रामरतन पिता जगदेव (संशोधित नाम श्री सेवक राम साहू पिता रामरतन साहू)	राखी	69683.00	0	भुगतान - 11/10/2017
117	पुरुषोत्तम पिता अजोरसिंह (संशोधित नाम श्री मिथलेश कुमार साहू पिता पुरुषोत्तम साहू)	राखी	12371.00	0	भुगतान - 11/10/2017
118	गोपाल पिता कार्तिकराम	बगौद	22472.00	0	भुगतान - 20/07/2017
119	यशवन्तराम पिता दोवाराम तेली	बगौद	68726.00	0	भुगतान - 20/07/2017
120	हिंशराम पिता मंशाराम	बगौद	88881.00	0	भुगतान - 20/07/2017
121	राकेश कुमार पिता माखनलाल तेली	बगौद	6485.00	0	भुगतान - 20/07/2017
122	परदेशी पिता प्यारी	बगौद	11865.00	0	भुगतान - 20/07/2017
123	कन्हैया पिता सालिक तेली (संशोधित नाम श्री मोहित राम साहू पिता कन्हैया साहू)	बगौद	14186.00	0	भुगतान - 12/10/2017
124	सेवक पिता रामरतन तेली	बगौद	5577.00	0	भुगतान - 20/07/2017
125	इन्द्रजीत पिता बंशीलाल	बगौद	30255.00	0	भुगतान - 20/07/2017
126	मोलाराम पिता टेकराम	बगौद	4419.00	0	भुगतान - 20/07/2017
127	बिसहत पिता सखन (संशोधित नाम श्री बिसहत राम पिता श्रवन साहू)	बगौद	17578.00	0	भुगतान - 12/10/2017
128	रमेशर पिता शिवचरण	बगौद	34244.00	0	भुगतान - 20/07/2017
129	मनोज पिता अजून	बगौद	38698.00	0	भुगतान - 20/07/2017
130	धन्वुराम पिता रजऊ	बगौद	19508.00	0	भुगतान - 20/07/2017
131	त्रिलोचन पिता डोमार	बगौद	4286.00	0	भुगतान - 20/07/2017
132	ना.बा. धनेश्वर पिता आशाराम	बगौद	14786.00	0	भुगतान - 20/07/2017
133	बुन्नीलाल पिता मैलूराम गोड	बगौद	22875.00	0	भुगतान - 20/07/2017
134	अमरसिंग पिता कल्याण सिंह गोड	बगौद	40577.00	0	भुगतान - 20/07/2017
135	राजेश्वर सिंह पिता अंजोर सिंह	बगौद	1851.00	0	भुगतान - 20/07/2017
136	देवनाथ पिता परसुराम तेली	बगौद	23785.00	0	भुगतान - 20/07/2017
137	कुमार पिता बिसेलाल	बगौद	5885.00	0	भुगतान - 20/07/2017
138	ना.बा. ओमप्रकाश पिता सन्तुराम	बगौद	34817.00	0	भुगतान - 20/07/2017
139	प्रकाशराम पिता बिसाहुराम	बगौद	42980.00	0	भुगतान - 16/08/2017
140	जितेन्द्र कुमार पिता वेद प्रकाश	बगौद	119846.00	0	भुगतान - 20/07/2017
141	हेमकुंवर पति गंगाप्रसाद तेली (संशोधित नाम श्री हेमकुंवर सतनामी पति गंगाप्रसाद सतनामी)	बगौद	16659.00	0	भुगतान - 12/10/2017
142	जगदीश पिता हीराधर तेली (संशोधित नाम श्री डोमनलाल पिता खिलावन राम साहू)	बगौद	10073.00	0	भुगतान - 12/10/2017
143	कचराबाई धुरी पति रमेश्वर धुरी	बगौद	26468.00	0	भुगतान - 20/07/2017
144	गोपीचंद पिता यमनलाल साहू	बगौद	16210.00	0	भुगतान - 20/07/2017
145	नोहरसिंग पिता फकीरराम	बगौद	28219.00	0	भुगतान - 20/07/2017
146	सखन पिता मिलाप	बगौद	16574.00	0	भुगतान - 21/07/2017
147	भुनेश्वर पिता फत्ते लोहार	बगौद	12602.00	0	भुगतान - 21/07/2017
148	बिहारी पिता फुलसिंग (संशोधित नाम श्री गुमान सिंह पिता बिहारी)	बगौद	3975.00	0	भुगतान - 12/10/2017

क्रमांक	कृषक का नाम	ग्राम एवं तहसील	मुआवजा राशि (रुपयों में)		भुगतान की स्थिति (तिथि सहित)	टिप्पणी
149	नोहरसिंग पिता मन्नालाल (संशोधित नाम श्री कमलेश्वर सिंह चंद्राकर पिता नोहर सिंह चंद्राकर)	बगौद	96429.00	0	भुगतान - 12/10/2017	
150	पुनमचंद पिता खुबलाल	बगौद	38331.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
151	टिकेन्द्र कुमार पिता हीरालाल	बगौद	2338.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
152	डीहराम पिता मशाराम	बगौद	31019.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
153	शोभितराम पिता सेवकराम तारक	बगौद	5668.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
154	सोहन पिता सुरजभान तेली	बगौद	29955.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
155	संतोष कुमार पिता बहुराम तेली	बगौद	31761.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
156	सुरजाबाई पति भूखेलाल	बगौद	11868.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
157	शिवनाथ पिता लेखुराम	बगौद	2115.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
158	बिसरीबाई जी रघुवीर	बगौद	2532.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
159	उखाबाई पिता बन्दन	बगौद	15302.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
160	सुखदेव पिता भारत	बगौद	13170.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
161	जेदुराम पिता जगेश्वर तेली	बगौद	8623.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
162	खुलेश्वर पिता जगदीश मरार	बगौद	1921.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
163	ईश्वरी बाई पिता गुमान	बगौद	65461.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
164	भानेश पिता भाखनलाल साहू	बगौद	4828.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
165	गैंगू पिता हगरू तेली (संशोधित नाम श्री लोक सिंह साहू पिता हगरू राम साहू)	बगौद	16710.00	0	भुगतान - 12/10/2017	
166	बाबुलाल पिता रामरतन तेली	बगौद	15826.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
167	शोभाराम पिता डमरुराम तेली	बगौद	17711.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
168	उमेश कुमार पिता शोभाराम तेली	बगौद	23716.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
169	सेवक पिता डमरुराम	बगौद	14348.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
170	सोमनाथ पिता पुरानिक (संशोधित नाम मानबाई साहू पति सोमनाथ साहू)	बगौद	68627.00	0	भुगतान - 12/10/2017	
171	बालुराम पिता घुटरू	बगौद	33399.00	0	भुगतान - 21/07/2017	
172	कौशल पिता पंचराम डीमर	बगौद	11366.00	0	भुगतान - 22/07/2017	
173	भीमराम पिता रामा	बगौद	30077.00	0	भुगतान - 22/07/2017	
174	सन्नी पिता अजय बैस	कुर्वा	42830.00	0	भुगतान - 22/07/2017	
175	उषाबाई पिता नरसिंग कुर्मी	देवरी	13338.00	0	भुगतान - 13/10/2017	
176	रघुनंदन सिंह पिता खेलन सिंह कुर्मी	देवरी	3756.00	0	भुगतान - 13/10/2017	
177	रामेश्वर पिता भानसिंग तेली	देवरी	32509.00	0	भुगतान - 13/10/2017	
178	चित्रलेखा पिता रामजी	देवरी	18806.00	0	भुगतान - 13/10/2017	
179	पुनीतराम पिता रघुनाथ रावत	देवरी	10737.00	0	भुगतान - 13/10/2017	
180	छबिलाल पिता बनवाली तेली	देवरी	2825.00	0	भुगतान - 13/10/2017	
181	अशोक पिता खेलनसिंह	देवरी	38736.00	0	भुगतान - 13/10/2017	
182	मिलन पिता सखाराम डीमर	देवरी	3215.00	0	भुगतान - 24/07/2017	
183	गोपीराम पिता खोमूराम कुर्मी	देवरी	9442.00	0	भुगतान - 13/10/2017	
184	हेमलाल पिता तनगू तेली	देवरी	1187.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
185	खिलेश्वर पिता भूषणलाल कुर्मी	देवरी	50595.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
186	सम्पतलाल पिता गोवर्धनलाल कुर्मी	देवरी	15055.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
187	अंशुबाई पति भरत कुर्मी (संशोधित नाम अनुसुइया बाई बैस पति भरत बैस)	देवरी	15514.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
188	मुनेश्वर पिता लतेल कुर्मी	देवरी	14983.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
189	पवन कुमार पिता लतेल कुर्मी	देवरी	10256.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
190	कायेंस पिता लतेल	देवरी	7374.00	0	भुगतान - 24/07/2017	
191	जगमोहन पिता नोहर (संशोधित नाम चन्दाबाई बैस पति जगमोहन बैस)	देवरी	16029.00	0	भुगतान - 14/10/2017	

क्रमांक	कृषक का नाम	ग्राम एवं तहसील	मुआवजा राशि (रुपयों में)		भुगतान की स्थिति (तिथि सहित)	रिमार्क
192	न गेत्तम पिता हीरालाल कुर्मी	देवरी	11996.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
193	जगमोहन पिता नोहर (संशोधित नाम चन्दाबाई बैस पति जगमोहन बैस)	देवरी	16941.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
194	प्रहलाद पिता बालाराम	देवरी	15705.00	0	भुगतान - 24/07/2017	
195	धवाला पिता दल्लूराम कुर्मी	देवरी	3163.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
196	राजेन्द्र पिता बिसहत	देवरी	13231.00	0	भुगतान - 24/07/2017	
197	जगदीश पिता बिसहत कुर्मी	देवरी	9893.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
198	जवाहर पिता कार्तिक कुर्मी	देवरी	56588.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
199	श्यामलाल पिता सालिकराम कुर्मी	देवरी	7457.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
200	बिसराम पिता पलटन रावत	देवरी	593.00	0	भुगतान - 24/07/2017	
201	रामआसरा पिता लखनगिर	देवरी	29206.00	0	भुगतान - 24/07/2017	
202	जामेश्वर पिता गोकुल प्रसाद कुर्मी	देवरी	23172.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
203	केशवकुमार पिता चन्द्रभूषण कुर्मी	देवरी	33548.00	0	भुगतान - 14/10/2017	
		कुल राशि :-	6499939.00	345524.00		
			कुल योग रु.	6845463.00		

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1864) की जानकारी]

वनमंडल का नाम	वर्ष	बांस प्रदाय का लक्ष्य (नग)	प्रदायित बांस (नग)
राजनांदगांव	2015-16	135000	39400
	2016-17	127500	52685
	2017-18	127500	49525
	(2018-19 जनवरी, 2019 तक)	127500	44215
योग		517500	185825
खैरागढ़	2015-16	67500	44040
	2016-17	67500	32800
	2017-18	67500	43390
	(2018-19 जनवरी, 2019 तक)	67500	0
योग		270000	120230
महायोग		787500	306055

परिशिष्ट "दस"
[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1411) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अ.क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आबेदक संस्थान का नाम	कहाँ से कहाँ तक	वन भूमि का प्रकार		कुल क्षेत्रफल (हे.में.)	लम्बाई (कि.मी.में)	छ.ग. शासन वन विभाग/वनमंडलाधिकारी का स्वीकृति आदेश दिनांक
							वन भूमि (RF/PF/OA) (हे.में.)	राजस्व वन भूमि (हे.में.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कांकेर	कांकेर	कांकेर	बस्तर नेट परियोजना अंतर्गत कांकेर से भानुप्रतापपुर तक ओ एफ सी. लाईन बिछाने हेतु	मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स रायपुर (छ.ग.)	कांकेर से भानुप्रतापपुर	0.146	1.442	1.588	61.33	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 28.04.2018
2	कांकेर	कांकेर	कांकेर	चारामा से दोदरापाल तक ओ एफ सी. लाईन बिछाने हेतु	महाप्रबंधक रिलायंस जियो इफोकॉम लिमिटेड रायपुर	चारामा से दोदरापाल	0.204	0.109	0.313	41.90	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 13.11.2018
3	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	कांकेर	बस्तर नेट परियोजना अंतर्गत ग्राम भानुप्रतापपुर से अंतागढ तक ओ एफ सी. लाईन बिछाने हेतु	मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स रायपुर (छ.ग.)	भानुप्रतापपुर से अंतागढ	1.185	1.879	3.064	68.09	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 26.04.2018
4	कांकेर	केशकाल	कोण्डागाव	ग्राम जैतपुरी से पाटला तक ओ एफ सी. लाईन बिछाने हेतु	महाप्रबंधक रिलायंस जियो इफोकॉम लिमिटेड रायपुर	ग्राम जैतपुरी से पाटला	0.500	0.174	0.674	13.48	व म अ आदेश दिनांक 01.08.2018
5	कांकेर	केशकाल	कोण्डागाव	बस्तर नेट परियोजना अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से दोदरापाल तक ओ एफ सी. लाईन बिछाने हेतु	मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स रायपुर (छ.ग.)	ग्राम जैतपुरी से दोदरापाल	1.123	0.099	1.222	68.88	व म अ आदेश दिनांक 29.08.2018
6	कांकेर	दक्षिण कोण्डागाव	कोण्डागाव	जाया से फरसागुडा तक ओ एफ सी. लाईन बिछाने हेतु	प्राधिकृत अधिकारी रिलायंस इण्डाटेल लिमिटेड रायपुर	जाया से फरसागुडा	0.495	0.106	0.601	16.40	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 19.02.2018
7	कांकेर	दक्षिण कोण्डागाव	कोण्डागाव	कोण्डागाव से जाया तक ओ एफ सी. लाईन बिछाने हेतु	प्राधिकृत अधिकारी रिलायंस इण्डाटेल लिमिटेड रायपुर	कोण्डागाव से जाया तक	0.087	0.042	0.129	2.10	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 03.03.2018

अ.क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आवेदक संस्थान का नाम	कहाँ से कहाँ तक	वन भूमि का प्रकार		कुल क्षेत्रफल (हे.में.)	लम्बाई (कि.मी.में)	छ.ग. शासन वन विभाग/वनमंडलाधिकारी का स्वीकृति आदेश दिनांक
							वन भूमि (RF/PF/OA) (हे.में.)	राजस्व वन भूमि (हे.में.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	कांकेर	दक्षिण कोण्डागांव	कोण्डागांव	बस्तर नेट परियोजना अंतर्गत ग्राम भाटपाल से फरसागुडा तक ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु	मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स रायपुर (छ.ग.)	भाटपाल से फरसागुडा	0.729	0.218	0.947	68.94	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 28.04.2018
9	कांकेर	नारायणपुर	नारायणपुर	बस्तर नेट परियोजना अंतर्गत कोण्डागांव से नारायणपुर तक ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु	मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स रायपुर (छ.ग.)	कोण्डागांव से नारायणपुर	0.736	0.118	0.854	45.06	व.म.अ. आदेश दिनांक 09.08.2018
योग									9.392		
10	बिलासपुर	कटघोरा	कोरबा	ऑप्टिकल फाइबर केबल	अनुविभागीय अधिकारी भारत संचार निगम लि. जिला कोरबा (छ.ग.)	माखनपुर से झूमरकछार तक	0.110	-	0.110	2.2	व.म.अ. आदेश दिनांक 26.03.2018
11	बिलासपुर	कटघोरा	कोरबा	ऑप्टिकल फाइबर केबल	अनुविभागीय अधिकारी भारत संचार निगम लि. जिला कोरबा (छ.ग.)	पाली राहाडीह से मुनगाडीह	0.105	-	0.105	2.1	व.म.अ. आदेश दिनांक 26.03.2018
12	बिलासपुर	कटघोरा	कोरबा	ऑप्टिकल फाइबर केबल	महाप्रबंधक (कॉर्पो. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़	कटघोरा से हाडमोर	0.687	0.032	0.719	15.02	व.म.अ. आदेश दिनांक 13.07.2018
13	बिलासपुर	कटघोरा	कोरबा	ऑप्टिकल फाइबर केबल	महाप्रबंधक (कॉर्पो. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़	केतमा से सात्ही	0.495	-	0.495	9.9	व.म.अ. आदेश दिनांक 23.07.2018

अ.क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आव्रे दक संस्थान का नाम	कहाँ से कहाँ तक	वन भूमि का प्रकार		कुल क्षेत्रफल (हे.में.)	लम्बाई (कि.मी.में)	छ.ग. शासन वन विभाग/वनमंडलाधिकारी का स्वीकृति आदेश दिनांक
							वन भूमि (RF/PE/OA) (हे.में.)	राजस्व वन भूमि (हे.में.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	विलासपुर	कटघोरा	कोरबा	ऑप्टिकल फाइबर केबल	महाप्रबंधक (कोर्पो अफेयर्स) रिलायंस जिओ इफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़	पाली से कटघोरा	0.332	0.249	0.581	11.62	व.म.अ आदेश दिनांक 31.07.2018
योग									2.010		
15	जगदलपुर	बस्तर	बस्तर	बस्तर नेट परियोजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईफोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर	भानपुरी-केशलूर -दरभा-बास्तानार	1.741	0.273	2.014	44.750	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 11.06.2018
16	जगदलपुर	बस्तर	बस्तर	ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु	महाप्रबंधक, रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड, रायपुर	जगदलपुर से भानपुरी	0.449	0.250	0.699	13.990	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 04.01.2018
17	जगदलपुर	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	बस्तर नेट परियोजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईफोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर	1. बस्तानार से केशकुतुल 2. गीदम से मोखपाल (सुकमा वन मंडल सीमा तक)	1.354	2.605	3.959	83.498	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 28.04.2018

अ.क्र.	पृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आवेदक संस्थान का नाम	कहाँ से कहाँ तक	वन भूमि का प्रकार		कुल क्षेत्रफल (हे.में.)	लम्बाई (कि.मी.में)	छ.ग. शासन वन विभाग/वनमंडलाधिकारी का स्वीकृति आदेश दिनांक
							वन भूमि (RF/PF/OA) (हे.में.)	राजस्व वन भूमि (हे.में.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	जगदलपुर	सुकमा	सुकमा	बस्तर नेट परियोजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईफोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर	तोगपाल से कोन्दा	1.435	0.949	2.384	52.957	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 25.04.2018
19	जगदलपुर	बीजापुर	बीजापुर	बस्तर नेट परियोजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईफोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर	केशकुतुल से भोपालपट्टनम	2.188	0.300	2.488	55.295	छ.ग. शासन आदेश दिनांक 19.08.2018
योग									11.544		
20	सरगुजा	सरगुजा	सरगुजा	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) परियोजना	दूरसंचार जिला प्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड अम्बिकापुर	ग्राम पंचायत चकरी अतर्गत	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक पी 2058, 2059, 2056, 2100 व 2060		0.225	4.500	व.मं.अ. आदेश दिनांक 26.02.2018
21	सरगुजा	सरगुजा	सरगुजा	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) परियोजना	दूरसंचार जिला प्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड अम्बिकापुर	ग्राम पंचायत चकरी से ग्राम पंचायत पेण्डरखी तक	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक पी 2099, 2114, 2074, 2131, 2137, 2125, 2126 व 2127		0.675	13.500	व.मं.अ. आदेश दिनांक 26.02.2018

अ.क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आदेवक संस्थान का नाम	कहाँ से कहाँ तक	वन भूमि का प्रकार		कुल क्षेत्रफल (हे.में.)	लम्बाई (कि.मी.में)	छ.ग. शासन वन विभाग/वनमंडलाधिकारी का स्वीकृति आदेश दिनांक
							वन भूमि (RF/PF/OA) (हे.में.)	राजस्व वन भूमि (हे.में.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	सरगुजा	सूरजपुर	सूरजपुर	ग्राम पंचायत भवन तेलईकछार से ग्राम पंचायत भवन पर्वतीपुर तक ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।	भारत संचार निगम लिमिटेड अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग.	ग्राम पंचायत भवन तेलईकछार से ग्राम पंचायत भवन पर्वतीपुर तक	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक पी 1720	-	0.020	0.400	व.मं.अ. आदेश दिनांक 12.01.18
23	सरगुजा	सूरजपुर	सूरजपुर	ग्राम पंचायत भवन कनकपुर से कुम्दा मोड तक ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।	भारत संचार निगम लिमिटेड अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग.	ग्राम पंचायत भवन कनकपुर से कुम्दा मोड तक	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक पी 1718	-	0.100	2.000	व.मं.अ. आदेश दिनांक 12.01.18
24	सरगुजा	सूरजपुर	सूरजपुर	ग्राम पंचायत भवन नमदगिरी रो भारत सरकार निगम लिमिटेड सूरजपुर कार्यालय भवन तक ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।	भारत संचार निगम लिमिटेड अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग.	ग्राम पंचायत भवन नमदगिरी रो भारत सरकार निगम लिमिटेड सूरजपुर कार्यालय भवन	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक पी 1736	-	0.040	0.800	व.मं.अ. आदेश दिनांक 12.01.18
25	सरगुजा	बलरामपुर	बलरामपुर	ओ.एफ.सी. केबल लाईन	मण्डल अभियन्ता दूरसंचार परियोजना विलासपुर SAR/SAR/ESAR/MIS/09/043 (VOL-01)	ग्राम पंचायत भवन अम्बिकापुर से रामानजगंज तक (सेमरसौत अभ्यारण्य को छोड़कर)	आरक्षित वनभूमि 2753, 2754, 2758, 2806, 2824 संरक्षित वनभूमि 3373, 3374, 3375, 3395, 3398, 3391, 3392, 3393, 3399, 3403, 3442, 3440, 3419, 3422	-	4.000	40.000	व.मं.अ. आदेश दिनांक 27.07.2018

अ.क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आग्रेदक संस्थान का नाम	कहाँ से कहाँ तक	वन भूमि का प्रकार		कुल क्षेत्रफल (हे.में.)	लम्बाई (कि.मी.में)	छ.ग. शासन वन विभाग/वनमंडलाधिकारी का स्वीकृति आदेश दिनांक
							वन भूमि (RF/FF/OA) (हे.में.)	राजस्व वन भूमि (हे.में.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	सरगुजा	बलरामपुर	बलरामपुर	ओ.एफ.सी. केबल लाईन	S.D.E (C.M.) Telephone Exchange, Ramanujganj	ग्राम बारहनगर, कुण्डपान एवं द्वैकुण्डपुर	संरक्षित वनभूमि पी 828 पी. 849, 835, 851	-	0.338		व.मं.अ. आदेश दिनांक 01.12.2018
27	सरगुजा	कोरिया	कोरिया	भारत नेट परियोजना डीजिटल इण्डिया	बी.एस.एन.एल	मनसूख से चिल्का	आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 489 ए. 484	-	0.205	2.050	व.मं.अ. आदेश दिनांक 27.07.2018
28	सरगुजा	कोरिया	कोरिया	भारत नेट परियोजना डीजिटल इण्डिया	बी.एस.एन.एल	मनसूख से सलबा	संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 482	-	0.004	0.039	व.मं.अ. आदेश दिनांक 27.07.2018
29	सरगुजा	कोरिया	कोरिया	भारत नेट परियोजना डीजिटल इण्डिया	बी.एस.एन.एल	अमरपुर से सलबा	संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 486	-	0.025	0.255	व.मं.अ. आदेश दिनांक 27.07.2018
योग									5.632		

प्रपत्र "ब"

प्रश्नांश 'क' हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के मापदण्ड निम्नानुसार है :-

- i) इन निर्देशों के अंतर्गत वन मंडल अधिकारी, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की सीमा के बाहर, मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में, निर्धारित साईज (2 मीटर गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई) की खन्ती हेतु अनुमति जारी कर सकते हैं। इसमें क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है।
- ii) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी।
- iii) वन भूमि व्यपर्वतन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही दी जाएगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।
- iv) वन भूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।
- v) अगर प्रस्ताव में वृक्ष का विदोहन सम्मिलित है अथवा भूमिगत टेलीफोन लाईन/ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल मार्ग के राईट ऑफ वे के बाहर है अथवा खन्ती का आकार अधिकतम 2 मी. गहराई एवं 1 मी. चौड़ाई से अधिक है, तो आवेदक द्वारा नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पृथक से प्रस्ताव राज्य शासन/भारत शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- vi) ऐसे प्रत्येक प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के द्वारा ऑन लाईन पंजीयन किये जाने के उपरांत ही वन मंडलाधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त कर भूमिगत टेलीफोन लाईन/ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने की स्वीकृति जारी करेंगे। प्रत्येक प्रकरण में निर्धारित पंजीयन एवं प्रोसेसिंग फीस की वसूली की जाएगी।
- vii) आवेदक/आवेदक संस्थान को स्वीकृति जारी करने के पूर्व वन संरक्षण नियम, 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव में वन अथवा पर्यावरण को हानि पहुंचने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा की जायेगी, इस आशय का वचन पत्र अनिवार्यतः सम्मिलित रहेगा।
- viii) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
- ix) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जाएगा।
- x) कार्य उपरांत रखरखाव की अनुमति वन मंडलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खन्ती की खुदाई के उपरांत समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी।
- xi) समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।
- xii) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा।

- xiii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में जारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.02.2009 के अनुसार भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कोई वृक्ष नहीं कट रहा हो एवं आबंटित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो। शेष कार्यों के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि आवेदक संस्थान से स्वीकृति जारी करने के पूर्व वसूल की जाएगी।
- xiv) खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।
- xv) यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मंडलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डित कार्यवाही की जाएगी।
- xvi) आवेदक/आवेदक संस्थान से लिखित में वचन-पत्र लिया जाएगा कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें मान्य होंगी।
- xvii) आवेदक/आवेदक संस्थान से जिन प्रकरणों में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि ली जानी है उसे अग्रिम में जमा करने के उपरांत ही औपचारिक अनुमति कार्य करने हेतु प्रदान की जाएगी। इस औपचारिक अनुमति के जारी होने के पूर्व प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।
- xviii) भूमिगत टेलीफोन लाईन/ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल के प्रकरणों में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में परिभाषित है, के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक/आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर प्रस्तुत किया जावेगा। यदि छोटे बड़े झाड़ का जंगल या "Identified Forest" मद की भूमि प्रस्ताव में आ रही है तो उसको भी सम्मिलित कर एकजाई प्रस्ताव प्राप्त किये जाये, अर्थात् यह सुनिश्चित किया जावे कि वन भूमि उपयोग का पूर्ण प्रत्यावर्तन प्रस्ताव उपयोगकर्ता संस्थान द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया जावे तथा प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरांत आदेश जारी किया जावे। एक ही भूमि के उपयोग के प्रस्ताव की स्वीकृति टुकड़ों में जारी नहीं होनी चाहिए। राजस्व वन क्षेत्र के लिए प्रस्ताव में कलेक्टर की अनापत्ति लगाना अनिवार्य होगा।
- xix) आवेदक/आवेदक संस्थान से प्रत्येक प्रकरण में आवेदन के साथ पूर्ण विवरण व मानचित्र भी प्राप्त किया जाए ताकि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध द्वारा समय-समय पर निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेख प्राप्त कर वन मंडल कार्यालय में रखे जाएं।

प्रपत्र "स"

पत्रांक 23011/15/2008-एस.जी.-2 का अनुलग्न
तिथि: 18 मई, 2009

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यविधि ।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उप-धारा(2) में यह प्रावधान है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी भी बात के रहते हुए भी, केन्द्र सरकार उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट सरकार द्वारा प्रबंधित कतिपय सुविधाओं हेतु वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान करेगी, जिसमें प्रति हेक्टेयर 75 पेड़ से अधिक नहीं काटे जाएंगे, बशर्ते वन भूमि के इस प्रकार के विपथन की अनुमति तभी होगी, यदि :-

- (1) उपर्युक्त उपधारा में उल्लिखित उद्देश्यों हेतु विपथित भूमि प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम हो; तथा
- (2) ऐसी विकास परियोजनाओं को इस शर्त के अधीन क्लीयरेंस दी जा सकती है कि उसे ग्राम सभा की संस्तुति प्राप्त हो ।

2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उप-धारा(2) के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार ने निम्नांकित कार्यविधि बनाई है -

परिभाषा- इस कार्यविधि में यदि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो -

- क 'अधिनियम' का अर्थ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) अभिप्रेत है ;
- ख 'जिला स्तरीय समिति' का अर्थ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 7 के अंतर्गत गठित समिति है ;
- ग 'वन भूमि' का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (घ) में यथा परिभाषित अर्थ के समान है ;
- घ 'ग्राम सभा' का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (छ) में यथा परिभाषित अर्थ के समान है .
- ङ. 'नोडल अधिकारी' का अर्थ कोई भी अधिकारी जो वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे राज्य सरकार के इस अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के विपथन से संबंधित मामले को निपटाने हेतु प्राधिकृत किया हो ;
- च 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
- छ 'यूजर एजेंसी' का अर्थ एक केन्द्रीय विभाग अथवा राज्य सरकार अथवा एक जिला पंचायत है जो इस अधिनियम की धारा 3 उप-धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार सरकार द्वारा प्रबंधित विकास परियोजनाओं हेतु वन भूमि के विपथन हेतु आग्रह से है ;

ज "ग्राम" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (त) में यथा परिभाषित अर्थ से है ;

2.2 इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 के अंतर्गत वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों की प्रस्तुति -

1. इस अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार किसी विकास परियोजना हेतु वन भूमि का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक यूजर एजेंसी एक उचित प्रारूप जो फार्म सं. (क) के रूप में संलग्न है, में प्रस्ताव देंगे तथा यह प्रस्ताव संबंधित ग्राम सभा के सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वह इस पर संकल्प ले सके ।
2. वन भूमि के विपथन हेतु संस्तुति देने के लिए संकल्प हेतु ग्राम सभा में कम से कम कुल संख्या के आधे सदस्यों की न्यूनतम संख्या का कोरम अनिवार्य है ।
3. ग्राम सभा की संस्तुति की प्राप्ति के उपरांत यूजर एजेंसी उस प्रस्ताव को उस क्षेत्र के रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसमें ग्राम सभा द्वारा लिए गए संकल्प भी संलग्न होंगे ।
4. संबंधित रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) उस प्रस्ताव क्षेत्र के स्थल का दौरा करेंगे तथा प्रस्ताव की स्वीकृति पर अपने विचार देंगे ।
5. संबंधित रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) संबंधित मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) को फार्म ख के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा यूजर एजेंसी से प्राप्त प्रस्ताव की तिथि के तीन सप्ताह के भीतर स्थल दौरा निरीक्षण रिपोर्ट एवं अपने विचार प्रस्तुत करेंगे ।
6. संबंधित मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे तथा यदि वह सहमत होंगे तो अपनी सहमति एवं अनुमोदन संबंधी रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) को आर.एफ.ओ. से प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष को एक प्रति के साथ प्रस्तुत करेंगे ।
7. संबंधित डी.एफ.ओ. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आर.एफ.ओ. उक्त क्षेत्र में वन भूमि को चिह्नित कर उसे ग्राम सभा के निरीक्षण के अधीन उक्त यूजर एजेंसी को भूमि विपथन को मान्यता देते हुए सौंप देंगे ।
8. यदि संबंधित मंडल अधिकारी यूजर एजेंसी द्वारा रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देते हैं तो अंतिम निर्णय हेतु वह जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव भेज देंगे ।
9. जिला स्तरीय समिति न्यूनतम 1/3 कोरम के साथ बैठक कर एक अंतिम निर्णय लेकर यदि प्रस्ताव स्वीकृत करती है तो अभिलेख तथा नक्शे में सुधार को क्रियान्वित करने हेतु डी.एफ.ओ. को अपना निर्णय सूचित कर सकती है ।
10. मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) अथवा जिला स्तरीय समिति द्वारा वन भूमि के विपथन को अनुमोदन, जैसा भी मामला हो, इस शर्त के अधीन दिया जा सकता है कि वन भूमि का विपथन एक विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अनुमत्य होगा तथा उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य हेतु नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार विपथित भूमि जिस उद्देश्य से इसका विपथन किया गया था, उस उद्देश्य हेतु यूजर एजेंसी को भूमि सौंपने की तिथि से एक वर्ष के भीतर शुरू नहीं किए जाने की स्थिति में वन विभाग पुनः उस भूमि को विनियोजित करेगा ।
11. इस अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदनों की तिमाही रिपोर्ट डी.एफ.ओ. द्वारा उस राज्य के नोडल अधिकारी को दी जाएगी तथा वह समेकित तिमाही सूचना सचिव, जनजाति कल्याण विभाग को देंगे, तथा आगे वे समेकित सूचना जनजातीय कार्य एवं पर्यावरण तथा वन मंत्रालयों को देंगे ।
12. नोडल अधिकारी भी प्रगति की निगरानी करेंगे ।

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1848) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

(1) जिला का नाम	(2) लक्ष्य (डिजिटাইज्ड) हितग्राहियों की संख्या	(3) कुल वितरण	(4) लागत राशि
बालोद	160,769	128,253	36.185
बलौदाबाजार	222,194	153,010	42.678
बलरामपुर	81,510	48,520	13.659
बस्तर	118,687	99,644	28.126
बेमेतरा	132,315	96,817	26.977
बीजापुर	4,071	2,775	0.814
बिलासपुर	303,774	245,593	73.812
दन्तेवाड़ा	30,255	17,046	4.883
धमतरी	123,778	102,793	29.543
दुर्ग	268,899	230,673	71.412
गरियाबंद	89,384	71,216	20.037
जांजगीर चांपा	302,758	244,207	69.511
जशपुर	109,454	85,730	23.934
कबीरधाम	118,233	86,467	24.356
कोन्डागांव	46,035	39,757	11.027
कोरबा	167,455	120,988	34.704
कोरिया	70,129	51,529	14.554
महासमुन्द	191,314	119,471	33.647
मुंगेली	120,674	88,570	24.621
नारायणपुर	3,569	2,044	0.703
रायगढ़	267,845	185,715	52.905
रायपुर	278,072	246,575	76.816
राजनादगांव	262,149	175,807	50.764
सुकमा	4,113	2,173	0.677
सुरजपुर	145,143	108,371	29.851
सरगुजा	138,971	109,474	31.817
कांकेर	73,813	51,627	14.878
कुल	38,35,363	2,914,845	842.891

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1543) के भाग (क) की जानकारी]

जिला बिलासपुर अंतर्गत अरपा नदी में स्वीकृत रेत खदानों की जानकारी

क्र.	स्वीकृत रेत खदान का ग्राम	संबंधित ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय	तहसील	खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	लछनपुर	पेण्डरवा	कोटा	1	4.900
2	बिल्लीबंद	बिल्लीबंद	कोटा	757	4.00
3	कोनचरा	कोनचरा	कोटा	212 / 1	4.60
4	पहंदा	पहंदा	कोटा	111	4.75
5	नवागांव सल्का	नवागांव सल्का	कोटा	748	4.85
6	सरकंडा	नगर पालिक निगम बिलासपुर	बिलासपुर	1137 / 1	4.86
7	निरतू-2	निरतू	तखतपुर	1549	6.259
8	घुटकू-3	घुटकू	तखतपुर	21	8.097
9	कोनी-3	कोनी	बिलासपुर	118	5.230
10	लमेर	लमेर	तखतपुर	919	12.145
11	करहीकछार	करहीकछार	कोटा	204 / 1	5.483
12	मंगला-2	मंगला	बिलासपुर	850	5.192
13	लोफंदी-2	लोफंदी	बिलासपुर	1	10.121
14	लोखण्डी	लोखण्डी	तखतपुर	28, 324	5.333
15	खरगहना	गोबंद(खरगहना)	तखतपुर	485	5.101
16	सेंदरी-4	सेन्दरी	बिलासपुर	2096	6.234
17	तुलुप	तुलुप	कोटा	8 / 1	4.000
18	अकलतरी	अकलतरी	बिलासपुर	1	4.30
19	मंगला-3	मंगला	बिलासपुर	850	2.025
20	सेन्दरी-2	सेन्दरी	बिलासपुर	2096	9.00 एकड
21	सिलदहा-2	सिलदहा	कोटा	1	4.00
22	उरतुम	उरतुम	बिलासपुर	541 / 1	1.82
23	चोरहादेवरी	चोरहादेवरी	बिलासपुर	584	4.50
24	सोढाखुर्द	छतौना	कोटा	1	1.98
25	रतखण्डी	रतखण्डी	कोटा	1	3.00
26	जोधरा	जोधरा	मस्तूरी	1054	4.90
27	घुटकू-4	घुटकू	तखतपुर	21	3.00
28	मंगला - 4	मंगला	बिलासपुर	850	4.30

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1668) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

वर्ष 2014 से दिसम्बर 2018 तक वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों, लगाये गये धाराओं, प्रस्तुत चालान एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	अपराध क्र./ पंजीबद्ध दिनांक	धारा	अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम	प्रकरण	ट्रेप राशि	छापे पर अनुमानित चल अचल सम्पत्ति (रूपये में)	छापा पर जप्त नकद राशि (रूपये में)	छापे पर अनुमानित कुल सम्पत्ति (रूपये में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	12/2014 24.02.2014	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री राजेश कुमार चंदेले (आई.एफ.एस.) वन मण्डलाधिकारी मरवाही जिला बिलासपुर	आय से अधिक सम्पत्ति	—	4,97,82,700	2,17,300	5,00,00,000	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित
2.	36/2014 26.08.2014	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री शत्रुघन प्रसाद कौशिक, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बलौदा, जिला—जांजगीर चांपा (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति	—	6,61,83,022	1,32,700	6,63,15,722	चालान पेश
3.	41/2015 17.07.2015	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री अजय कावरे, रेंजर सुकमा (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति	—	2,82,75,470	20,50,000	3,03,25,470	चालान पेश
4.	01/2016 14.01.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री टेकराम वर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी, दुगली वनमण्डल, जिला— धमतरी (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति	—	2,30,24,844	57,400	2,30,82,244	चालान लंबित
5.	02/2016 14.01.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री शिवशंकर बडगेय्या (आई.एफ.एस.) वन मण्डलाधिकारी, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति	—	4,84,65,875	1,78,750	4,86,44,625	खात्मा पेश

अपरध क्र./ दिनांक	धारा	अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम	प्रकरण	ट्रेप राशि	छापे पर अनुमानित चल अचल सम्पत्ति (रूपये में)	छापा पर जप्त नकद राशि (रूपये में)	छापे पर अनुमानित कुल सम्पत्ति (रूपये में)	वर्तमान स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 06/2016 15.01. 2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं सहपठित धारा 193, 465, 467, 468, 471, 201 भा.द.वि.	श्री ए.एच. कपासी (आई.एफ.एस.) वन संरक्षक, मुख्यालय— फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति	—	4,83,41,365	11,13,500	4,94,54,865	चालान पेश	
7. 08/2016 15.01. 2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री के.के. बिसेन (किशोर कुमार बिसेन) आई.एफ.एस., संचालक सह वन मण्डलाधिकारी, नंदनवन जू एवं सफारी, पुलिस मुख्यालय के सामने, रायपुर (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति	—	1,49,81,241	1,42,500	1,51,23,741	खात्मा पेश	
8. 39/2016 11.05. 2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988	श्री नन्द किशोर अग्रवाल, मण्डल प्रबंधक, बारनवापारा परियोजना मण्डल, वन विकास निगम, रायपुर (छ.ग.)	ट्रेप	50,000	—	—	—	चालान पेश	
9. 45/2016 02.06. 2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद दुबे, एस.डी.ओ. वन मण्डल कार्यालय, राजपुर, रामानुजगंज, बलरामपुर जिला बलरामपुर (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति	—	2,36,32,078	2,25,220	2,38,57,298	चालान पेश	
10. 48/2016 02.06. 2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री आनंद राव नायडू, रेंजर, वन विभाग, मानपुर मोहला, जिला—राजनांदगांव (छ. ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति	—	1,40,21,343	1,10,600	1,41,31,943	चालान पेश	
11. 52/2016 21.06. 2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री नन्द किशोर अग्रवाल, मण्डल प्रबंधक, बारनवापारा परियोजना मण्डल, वन विकास निगम, रायपुर (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति	—	2,53,73,207	15,08,000	2,68,81,207	खात्मा पेश	

अपराध क्र. /पंजीबद्ध दिनांक	धारा	अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम	प्रकरण	ट्रेप राशि	छापे पर अनुमानित चल अचल सम्पत्ति (रूपये में)	छापा पर जप्त नकद राशि (रूपये में)	छापे पर अनुमानित कुल सम्पत्ति (रूपये में)	वर्तमान स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	68/2016 15.11. 2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री शंकर दास, वन परिक्षेत्र अधिकारी धमधा, जिला-दुर्ग	आय से अधिक सम्पत्ति	—	13,84,100	82,000	14,66,100	चालान पेश
13.	08/2017 14.02. 2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री रामेश्वर प्रसाद साहू, एस.डी.ओ. वन विभाग बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति	—	4,53,38,680	5,10,180	4,58,48,860	विवेचना में
14.	24/2017 04.09. 2017	13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री कौशलेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर (छ.ग.)	पद का दुरुपयोग	—	—	—	—	विवेचना में
15.	30/2017 10.10. 2017	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988	श्री घनश्याम प्रसाद कंडरा, वरिष्ठ लेखापाल, छ.ग. राज्य वन विकास निगम कार्यालय, मण्डल प्रबंधक कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.)	ट्रेप	8000	—	—	—	चालान पेश
16.	11/2018 25.05. 2018	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988	श्री आर.पी. दुबे (राजेन्द्र प्रसाद दुबे) सहायक संचालक(एस.डी.ओ.) उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व, मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.)	ट्रेप	1,00,000	—	—	—	चालान लंबित

परिशिष्ट "चौदह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1943) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में 400 यूनिट तक प्रतिमाह खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संभावित संख्या

क्र.	संभागीय कार्यालय का विवरण	कुल
1	नगर संभाग पूर्व	56999
2	नगर संभाग पश्चिम	69868
3	नगर संभाग दक्षिण	46811
4	नगर संभाग मध्य	42301
5	रायपुर उत्तर	66983
6	उरला	21099
7	सिलतरा	9615
8	रायपुर	149668
9	न राजिम	79472
10	धमतरी	96765
11	कुरुद	80609
12	बलौदाबाजार	76406
13	कसडोल	68691
14	भाटापारा	71465
15	महासमुन्द	117806
16	सरायपाली	86379
17	गरियाबंद	88851
18	दुर्ग नगर	67777
19	भिलाई पूर्व	80094
20	भिलाई पश्चिम	63341
21	दुर्ग	114971
22	भिलाई	90462
23	बालोद	149398
24	बेमतरा	64393
25	साजा	66318
26	राजनांदगांव	103580
27	खैरागढ	71963
28	डोंगरगढ	63284
29	डोंगरगांव	91105
30	कवर्धा	88840

क्र.	संभागीय कार्यालय का विवरण	कुल
31	पण्डरिया	55277
32	जगदलपुर	179289
33	दन्तेवाड़ा	64183
34	बीजापुर	39002
35	सुकमा	50215
36	कांकेर संभाग	83007
37	भानुप्रतापपुर संभाग	77048
38	नारायणपुर	26388
39	कोण्डागांव	111675
40	बिलासपुर(पूर्व)	49132
41	बिलासपुर(पश्चिम)	48288
42	बिलासपुर	154995
43	पेण्ड्रा रोड	111920
44	मुंगेली	124122
45	चाम्पा	101840
46	अकलतरा	70177
47	सक्ती	113908
48	कोरबा	125990
49	कोरबा(शहर)	64934
50	रायगढ-1	128145
51	रायगढ-2	61564
52	सारगढ	71185
53	अबिकापुर शहर	43068
54	अबिकापुर	117005
55	बलरामपुर	115271
56	जशपुर	89145
57	पत्थलगांव	69042
58	मनेन्द्रगढ	90483
59	सूरजपुर	123435
कुल उपभोक्ता		49,05,047

परिशिष्ट "पंद्रह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1785) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रदेश में किम्बरलाईट एवं अलेक्जेंड्राईट खनिज पर किये गये सर्वेक्षण/पूर्वक्षण की जानकारी

क्र.	वर्ष	एजेंसी का नाम	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
किम्बरलाईट			
1	1991-92	संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म	गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के दक्षिणी-पूर्वी भाग में मैनपुर तहसील के ग्राम पायलीखण्ड के ग्रैवल होराइजन में भू-वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर हीरा खनिज पाये जाने की पुष्टि की गई।
2	1992-93		गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के दक्षिणी-पूर्वी भाग में हीरा खनिज हेतु अन्वेषण कार्य के आधार पर क्षेत्र में 2 हीरा धारित किम्बरलाईट पाइप (बेहराडीह एवं पायलीखण्ड) की खोज की गई।
3	1993-94		गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के दक्षिणी-पूर्वी भाग में कोदोमाली, जांगड़ा कुसुमबुरा ग्राम के पास 2 किम्बरलाईट पाइप की खोज की गई।
4	1995-97		वन विभाग से अनुमति पश्चात् गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के बेहराडीह क्षेत्र में पूर्वक्षण का कार्य किया गया। इस कार्य से प्राप्त बोरहोल कोर/स्लज से प्राप्त नमूनों में हीरा कणों की पुष्टि की गई।
5	1997-98		गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के मैनपुर तहसील के किम्बरलाईट धारित क्षेत्रों में जियोफिजिकल सर्वे कार्य किया गया।
6	1999-2000	मेसर्स बी0विजय कुमार छत्तीसगढ़ एक्सप्लोरेशन प्रायवेट लिमिटेड	गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के मैनपुर एवं देवभोग तहसील के 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा लार्ज एरिया प्रास्पेक्टिंग लाईसेंस स्वीकृत किया गया।
7	2000-2001	मेसर्स बी0विजय कुमार छत्तीसगढ़ एक्सप्लोरेशन प्रायवेट लिमिटेड	गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के मैनपुर तहसील में 2 किम्बरलाईट पाइप कुसुमबुरा तथा बाजाघाटी(टेम्पल) की खोज की गई।
8	1992-94	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के मैनपुर क्षेत्र में पांच किम्बरलाईट पाइप की खोज की गई।
9	1997-2000		गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) में सराईपाली के छत्तीसगढ़ बेसिन में किम्बरलाईट हेतु क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य।
10	2007		महासमुद्र तथा बलौदाबाजार जिले के बसना क्षेत्र में एकीकृत सर्वेक्षण अंतर्गत एयर बॉर्न जियोफिजिकल एण्ड सैटेलाईट इमेजरी फोटो स्टडी एवं भू-भौतिकी कार्य।
11	2012-13		धमतरी जिले में किम्बरलाईट क्षेत्र हेतु अन्वेषण कार्य।
12	2012-14		धमतरी जिले में किम्बरलाईट क्षेत्र हेतु अन्वेषण कार्य।
13	2014-15		गरियाबन्द जिले में किम्बरलाईट क्षेत्र हेतु अन्वेषण कार्य।

1	2	3	4
14	2015-17	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	महासमुंद जिले में लैम्प्रोईट हेतु अन्वेषण कार्य।
15	2017-18		महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, धमतरी जिलों में अन्वेषण कार्य।
16	2018-19		कबीरधाम जिले के महाराजपुर तथा पिपराधार क्षेत्र में किम्बरलाईट/लैम्प्रोईट हेतु क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य।
अलेक्जेंड्राईट			
1	1981-82	संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म	गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के देवभोग क्षेत्र में अलेक्जेंड्राईट खनिज के लिए सर्वेक्षण कार्य।
2	1988-90		गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के दक्षिणी-पूर्वी भाग में अलेक्जेंड्राईट तथा अन्य खनिजों हेतु भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य।
3	1994-96	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	गरियाबन्द जिले (पूर्ववर्ती रायपुर जिला) के देवभोग तहसील के ग्राम सेंदमुड़ा, सुपापेड़ा, झीरीपानी आदि के 25 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में खनिज अलेक्जेंड्राईट का पूर्वक्षण कार्य किया गया।

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारंकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 351) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित रेत खदानों से वित्तीय वर्षवार प्राप्त रायल्टी राशि की जानकारी

क्र०	रेत खदान का नाम	रेत खदान संचालनकर्ता ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत/ नगर पालिका	नदी का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2018-19 जनवरी 2019 तक	
				रेत संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	प्राप्त रायल्टी राशि (रुपये में)	रेत संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	प्राप्त रायल्टी राशि (रुपये में)	रेत संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	प्राप्त रायल्टी राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जुनाडीह	ग्राम पंचायत सोनाईडीह	हसदेव	18.03.2016 से 17.03.2018	130000	18.03.2016 से 17.03.2018	113992	18.10.2018 से 17.10.2023	0
2	बसंतपुर	ग्राम पंचायत बसंतपुर	महानदी	22.03.2017 से 21.03.2020	0	22.03.2017 से 21.03.2020	552000	22.03.2017 से 21.03.2020	420000
3	धाघरनाला (चांपा)	नगर पालिका चांपा	हसदेव	01.12.2015 से 30.11.2017	430180	01.12.2015 से 30.11.2017	0	--	--
4	मवशी बाजार (चांपा)	नगर पालिका चांपा	हसदेव	01.12.2015 से 30.11.2017	305590	01.12.2015 से 30.11.2017	78120	--	--
5	हथनेवरा	ग्राम पंचायत हथनेवरा	हसदेव	28.05.2016 से 27.05.2018	690000	28.05.2016 से 27.05.2018	790000	18.10.2018 से 17.10.2023	520000
6	खपरीडीह	ग्राम पंचायत खपरीडीह	हसदेव	--	--	21.03.2018 से 20.03.2020	--	21.03.2018 से 20.03.2020	72800
7	चोरिया	ग्राम पंचायत चोरिया	सोन नदी	--	--	21.03.2018 से 20.03.2020	--	21.03.2018 से 20.03.2020	90000
8	अमझर	ग्राम पंचायत उच्चभिड़ी	हसदेव	18.05.2015 से 17.09.2017	735500	18.05.2015 से 17.09.2017	528000	--	--
9	महुदा (घ)	ग्राम पंचायत महुदा	हसदेव	01.12.2015 से 30.11.2017	293000	01.12.2015 से 30.11.2017	0	--	--
10	मदनपुर	ग्राम पंचायत रैनपुर	हसदेव	23.12.2013 से 22.12.2016	0	--	--	--	--
11	नवागाव	ग्राम पंचायत नवागाव	हसदेव	09.12.2016 से 08.12.2019	276000	09.12.2016 से 08.12.2019	346000	09.12.2016 से 08.12.2019	1100000
12	घुठिया	ग्राम पंचायत कुदरी	हसदेव	28.06.2016 से 27.06.2018	222000	28.06.2016 से 27.06.2018	65000	28.06.2016 से 27.06.2018	0
13	देवरी	ग्राम पंचायत देवरी (बलोदा)	हसदेव	18.10.2016 से 17.10.2019	18000	18.10.2016 से 17.10.2019	18000	18.10.2016 से 17.10.2019	37000
14	लच्छनपुर	ग्राम पंचायत लच्छनपुर	हसदेव	11.11.2016 से 10.11.2018	25800	11.11.2016 से 10.11.2018	297000	11.11.2016 से 10.11.2018	288000
15	कुरदा	ग्राम पंचायत कुरदा	हसदेव	--	--	12.01.2018 से 11.01.2020	150000	12.01.2018 से 11.01.2020	75000

क्र०	रेत खदान का नाम	रेत खदान संचालनकर्ता ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत/ नगर पालिका	नदी का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2018-19 जनवरी 2019 तक	
				रेत संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	प्राप्त रायल्टी राशि (रूपये में)	रेत संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	प्राप्त रायल्टी राशि (रूपये में)	रेत संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	प्राप्त रायल्टी राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	भडोरा	ग्राम पंचायत भडोरा	बोराई	27.11.2015 से 26.11.2017	379500	27.11.2015 से 26.11.2017	69000	—	—
17	सुलोनी	ग्राम पंचायत सुलोनी	बोराई	28.05.2016 से 27.05.2018	31800	28.05.2016 से 27.05.2018	68350	18.10.2018 से 17.10.2023	41300
18	माहन्दीकला	ग्राम पंचायत माहन्दीकला	बोराई	09.12.2016 से 08.12.2019	0	09.12.2016 से 08.12.2019	99600	09.12.2016 से 08.12.2019	3750
19	डिक्की	ग्राम पंचायत डिक्की	बोराई	—	—	21.03.2018 से 20.03.2020	98950	21.03.2018 से 20.03.2020	202050
20	मिरोनी	ग्राम पंचायत मिरोनी	महानदी	11.04.2016 से 10.04.2018	489200	17.03.2016 से 16.03.2018	618500	18.10.2018 से 17.10.2023	68300
21	बोटरहीघाट	ग्राम पंचायत कमरीद	शिवनाथ नदी	—	—	—	—	18.10.2018 से 17.10.2023	60000
22	देवरी	ग्राम पंचायत देवरी (पामगढ़)	महानदी	05.10.2015 से 04.10.2017	913000	05.10.2015 से 04.10.2017	112000	18.10.2018 से 17.10.2023	153000
23	तनोद	ग्राम पंचायत तनोद	महानदी	14.03.2016 से 13.03.2018	938700	14.03.2016 से 13.03.2018	765000	30.06.2018 से 29.06.2020	728000
24	खोरसी	ग्राम पंचायत खोरसी	महानदी	14.03.2016 से 13.03.2018	288185	14.03.2016 से 13.03.2018	1512000	—	—
25	खोरसी (भाग 1)	ग्राम पंचायत खोरसी	महानदी	—	—	—	—	18.10.2018 से 17.10.2023	1312500
26	खोरसी (भाग 2)	ग्राम पंचायत खोरसी	महानदी	—	—	—	—	18.10.2018 से 17.10.2023	1312500
27	पडरिया	ग्राम पंचायत पडरिया	महानदी	19.01.2017 से 18.01.2019	456000	19.01.2017 से 18.01.2019	1472000	19.01.2017 से 18.01.2019	1782460
28	खरौद	नगर पंचायत खरौद	महानदी	—	—	01.04.2017 से 31.03.2019	1732180	01.04.2017 से 31.03.2019	130170
29	देवरघटा	ग्राम पंचायत कमरीद	महानदी	05.10.2015 से 04.10.2017	61000	05.10.2015 से 04.10.2017	42000	18.10.2018 से 17.10.2023	230000
30	पलाडीखुर्द	ग्राम पंचायत पलाडीखुर्द	सोन नदी	11.09.2016 से 10.09.2018	60000	11.09.2016 से 10.09.2018	90000	11.09.2016 से 10.09.2018	165000
31	कवलाझर	ग्राम पंचायत कवलाझर	बोराई	11.11.2016 से 10.11.2018	0	11.11.2016 से 10.11.2018	78000	11.11.2016 से 10.11.2018	42000
32	खुरघटी	ग्राम पंचायत खुरघटी	महानदी	05.10.2015 से 04.10.2017	403000	05.10.2015 से 04.10.2017	169000	—	—

क्र०	रेत खदान का नाम	रेत खदान संचालनकर्ता ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत/ नगर पालिका	नदी का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2018-19 जनवरी 2019 तक	
				रेत संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	प्राप्त रायल्टी राशि (रूपये में)	रेत संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	प्राप्त रायल्टी राशि (रूपये में)	रेत संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	प्राप्त रायल्टी राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	बरहागुडा	ग्राम पंचायत बरहागुडा	मांड नदी	28.05.2016 से 27.05.2018	65000	28.05.2016 से 27.05.2018	75000	18.10.2018 से 17.10.2023	85000
34	बिलाईगढ	ग्राम पंचायत चन्दली	मांड नदी	-	-	18.10.2017 से 17.10.2020	42000	18.10.2017 से 17.10.2020	85900
35	भिरहभाठा	ग्राम पंचायत पलसदा	मांड नदी	22.07.2016 से 21.07.2018	0	22.07.2016 से 21.07.2018	0	22.07.2016 से 21.07.2018	0
36	अमलडीहा (राधापुर)	ग्राम पंचायत अमलडीहा	मांड नदी	27.07.2016 से 26.07.2018	0	27.07.2016 से 26.07.2018	12000	27.07.2016 से 26.07.2018	0
37	हरदी	ग्राम पंचायत हरदी	बोराई	15.09.2017 से 14.09.2020	0	15.03.2017 से 14.03.2020	77000	15.03.2017 से 14.03.2020	23000
38	डोटमा	ग्राम पंचायत डोटमा	महानदी	-	-	21.03.2018 से 20.03.2020	0	21.03.2018 से 20.03.2020	0
39	भोगहामरा	नगर पंचायत शिवरीनारायण	महानदी	17.03.2016 से 16.03.2018	4839500	17.03.2016 से 16.03.2018	2018820	30.06.2018 से 29.06.2020	1157850
40	महन्तपारा	नगर पंचायत शिवरीनारायण	महानदी	-	-	-	-	18.10.2018 से 17.10.2023	0
41	तुस्मा	ग्राम पंचायत तुस्मा	महानदी	-	-	22.01.2018 से 21.01.2020	191000	22.01.2018 से 21.01.2020	94000
42	भादा	ग्राम पंचायत नवापारा	हसदेव	22.07.2016 से 21.07.2018	418000	22.07.2016 से 21.07.2018	553000	22.07.2016 से 21.07.2018	259000
43	पीथमपुर	ग्राम पंचायत पीथमपुर	हसदेव	14.03.2016 से 13.03.2018	1322078	22.07.2016 से 21.07.2018	538591	30.06.2018 से 29.06.2020	480000
		कुल :-			13772943		13372103		11018580

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 1669) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रेत उत्खनन हेतु पंचायतों को दी गई अनुमति की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	निजी/शासकीय भूमि	रकबा (हेक्टर में)	अवधि	व्यक्ति/ ठेकेदार/ फर्म का नाम जिसे अनुमति दी गई	अनुमति दिनांक	प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता (घ.मी. में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सिंगनपुर	203	शासकीय	5.03	05.05.2017 से 04.05.2019 तक	सरपंच ग्राम पंचायत सिंगनपुर केशकाल जिला कोण्डागांव	05.05.2017 से 04.05.2019 तक	50000
2	बड़ेखौली	3	शासकीय	4.95	31.10.2017 से 30.10.2019 तक	सरपंच ग्राम पंचायत केशकाल जिला कोण्डागांव	31.10.2017 से 30.10.2019 तक	74250

खनिज रेत से प्राप्त राजस्व का मदवार, वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त रायल्टी (रूपये में)	वितरित राशि (रूपये में)	मदवार खर्च का विवरण		
				विकासखंड	मद	राशि (रूपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	2016-17	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	2017-18	2,40,460	1,05,855	केशकाल	गली मरम्मत	15000
					कार्यालयीन व्यवस्था	7635
					खेल मैदान समतलीकरण	30000
					मंच निर्माण	10000
					ग्रामीण खेलकूद	3220
					शिव मंदिर परिसर में आहता निर्माण	40000
3	2018-19	1,08,000	1,15,000	केशकाल	स्वच्छता कार्यक्रम	10000
					खदान मुंशी कमीशन	25000
					गली मरम्मत कार्य	25000
					कच्ची नाली निर्माण	35000
					पॉवर पम्प स्थापना	20000

परिशिष्ट "अट्टारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 1786) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में माह जनवरी-19 तक निजी उत्पादकों से क्रय की गई बिजली की उत्पादकवार,
बिजली की मात्रा एवं क्रय की दर की जानकारी

स. क्र.	स्थलवार बिजली उत्पादक का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2018-19 (जनवरी-19 तक)	
		बिजली की मात्रा मिलियन यूनिट में	क्रय की दर रुपये प्रति यूनिट में	बिजली की मात्रा मिलियन यूनिट में	क्रय की दर रुपये प्रति यूनिट में
1	2	3	4	5	6
बायोमॉस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र					
1	मेसर्स के.वी.के. बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर	51.61	5.82	निरंक	निरंक.
2	मेसर्स अग्रवाल विद्युत लिमिटेड रायपुर	28.83	5.82	0.89	5.87
3	मेसर्स सुधा एग्रो आईल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिलासपुर	76.76	5.82	60.65	5.87
4	मेसर्स नीरज पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	48.74	5.82	24.97	5.87
5	मेसर्स रीयल पावर प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर	50.91	5.82	41.58	5.87
6	मेसर्स रूक्मणी पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, रायगढ़	50.41	5.82	27.38	5.87
7	मेसर्स बालाजी पावर, महासमुंद	51.26	5.82	19.67	5.87
8	मेसर्स महेन्द्रा पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर चांपां	22.06	6.07	11.59	6.07
9	मेसर्स अनिमेश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, बलौदाबाजार	56.97	6.08	32.81	6.07
10	मेसर्स महावीर एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, रायगढ़	52.45	6.10	21.50	6.09
11	मेसर्स श्री श्याम वेयर हाउसिंग एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	71.79	6.46	60.15	6.46
12	मेसर्स इन्द्रा पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, सरगुजा	37.48	6.10	27.65	6.09

13	मेसर्स बन्दना विद्युत लिमिटेड, बिलासपुर	48.19	5.96	31.00	5.96
14	मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर- चांपा	103.01	6.57	82.58	6.57
15	मेसर्स श्री विष्णु पावर एण्ड एनर्जी लिमिटेड, राजनांदगांव	44.25	7.11	26.45	7.11
16	मेसर्स आर. आर. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़	103.18	5.99	79.02	5.99
जल विद्युत उत्पादन संयंत्र					
1	मेसर्स सावित्री पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, धमतरी	0.36	5.46	0.77	5.46
2	मेसर्स शालीवाहना ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा	5.84	4.40	4.35	4.40
3	मेसर्स छत्तीसगढ़ हाइड्रो पावर एल. एल.पी., गुल्लू, जशपुर	63.96	4.61	60.71	5.21
4	मेसर्स आई. ए. हाइड्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश	40.75	3.14	16.48	3.13
सौर उर्जा उत्पादन संयंत्र					
1	मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, खरोरा, रायपुर	2.81	5.67	2.27	5.67
2	मेसर्स सिधल फारेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, सराईपाली	3.18	5.67	2.52	5.67
3	मेसर्स सार्थक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग	2.64	6.44	2.01	6.44
4	मेसर्स आरक्रस्ट्रेट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	2.81	6.46	2.12	6.46
5	मेसर्स एज्यूर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट-1), दुर्ग	15.13	6.44	12.28	6.44
6	मेसर्स एज्यूर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट-2), दुर्ग	16.64	6.45	13.46	6.45
7	मेसर्स एज्यूर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट-3), दुर्ग	16.64	6.46	13.20	6.46
8	मेसर्स एक्मे रायपुर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, महासमुद्र	46.40	6.46	37.56	6.46
9	मेसर्स विपुल विद्युत प्राइवेट लिमिटेड, (प्रोजेक्ट-1), महासमुद्र	3.33	6.46	2.70	6.46
10	मेसर्स विपुल विद्युत प्राइवेट लिमिटेड, महासमुद्र (प्रोजेक्ट-2), महासमुद्र	3.33	6.46	2.71	6.46
11	मेसर्स परमपूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड राजनांदगांव (सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के माध्यम से)	68.08	3.70	181.80	4.50

आई.पी.पी. एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी के मध्य निष्पादित पावर परचेज एग्रीमेंट के साथ-साथ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी के मध्य 'बेक-टू-बेक' पावर परचेज एग्रीमेंट के अन्तर्गत					
1	मेसर्स ए.सी.बी. (इंडिया) लिमिटेड, कोरबा	78.63	1.60	73.95	1.80
2	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर लिमिटेड (यूनिट-1 एण्ड यूनिट-2), कोरबा	24.54	1.60	15.21	1.80
3	मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड, रायगढ़	317.09	1.60	277.29	1.80
4	मेसर्स ए.सी.बी. (इंडिया) लिमिटेड, कोरबा	9.51	1.60	7.40	1.80
5	मेसर्स कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड, कोरबा	24.74	1.60	निरंक	निरंक.
6	मेसर्स साई लीलागर पावर जनरेशन लिमिटेड, बिलासपुर	105.16	1.60	निरंक	निरंक.
7	मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	251.38	1.60	174.52	1.80
8	मेसर्स बालको लिमिटेड, कोरबा	241.28	1.60	302.17	1.80
9	मेसर्स मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड, कोरबा	69.80	1.60	72.87	1.80
10	मेसर्स एस.वी. पावर प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा	1.79	1.60	निरंक	निरंक.
11	मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, कोरबा	98.91	1.60	93.36	1.80
12	मेसर्स टी.आर.एन. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़	42.83	1.60	86.39	1.80
13	मेसर्स के.एस.के. महानदी, जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक.	150.37	1.80
14	मेसर्स एस.के.एस. (छत्तीसगढ़) पावर जनरेशन लिमिटेड, रायगढ़	निरंक	निरंक.	51.79	1.80

केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों से अनशेडयूल पॉवर का कय					
1	मेसर्स ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पॉवरटेक प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	7.53	1.33	5.25	1.35
2	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर	3.89	1.30	1.76	1.35
3	मेसर्स भगवती पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, रायपुर	0.82	1.30	0.71	1.34
4	मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर	14.60	1.32	4.16	1.35
5	मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायगढ़	257.42	1.32	100.11	1.35
6	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायगढ़	3.98	1.33	7.11	1.34
7	मेसर्स रीयल इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर	2.08	1.34	1.95	1.39
8	मेसर्स श्री बंजरंग मेटालिक्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर	5.67	1.31	4.36	1.34
9	मेसर्स श्री बंजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर	3.65	1.35	4.13	1.36
10	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल लिमिटेड रायपुर	15.64	1.30	18.63	1.34
11	मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर	23.88	1.32	25.31	1.34
12	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	10.60	1.36	6.75	1.38
13	मेसर्स श्री नकोडा इस्पात लिमिटेड रायपुर	0.34	1.37	0.35	1.34
14	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	0.19	1.38	निरंक	निरंक.
15	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड जांजगीर-चांपा	0.07	1.32	निरंक	निरंक.
16	मेसर्स वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	निरंक	निरंक	1.61	1.35
	कुल	2805.86		2390.34	

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ के निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा ग्रिड में डाली गई विद्युत की मात्रा तथा शेड्यूल की गई विद्युत की मात्रा की जानकारी

क्र.	विवरण	वर्ष 2017-18				वर्ष 2018-19 (31-जनवरी-2019 तक)			
		ग्रिड में डाली गई विद्युत की कुल मात्रा मिलियन युनिट में	शेड्यूल की गई विद्युत की कुल मात्रा मिलियन युनिट में			ग्रिड में डाली गई विद्युत की कुल मात्रा मिलियन युनिट में	शेड्यूल की गई विद्युत की कुल मात्रा मिलियन युनिट में		
			राज्य के भीतर	राज्य के बाहर	कुल शेड्यूल		राज्य के भीतर	राज्य के बाहर	कुल शेड्यूल
1	निजी विद्युत उत्पादक जिन्होंने लघु अवधि हेतु ओपन एक्सेस लिया है	202.14	197.63	23.86	221.49	61.83	63.35	0.21	63.57
2	निजी विद्युत उत्पादक जिन्होंने बिना शेड्यूल के सी.एस.पी.डी.सी.एल. को बिजली सप्लाई करने हेतु पॉवर परचेज एग्रीमेंट निष्पादित किया है	374.97	निरंक	निरंक	निरंक	200.72	निरंक	निरंक	निरंक
3	निजी विद्युत उत्पादक जो सी.एस.पी.डी.सी.एल. को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादित बिजली को सप्लाई कर रहे हैं तथा जिनकी स्थापित क्षमता 5 मेगावाट अथवा उससे अधिक है	1,026.87	998.38	निरंक	998.38	648.80	628.73	निरंक	628.73
4	निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा दीर्घकालीन ओपन एक्सेस के तहत अनुमति उपरांत उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु उपयोग किये गये राज्य की पारेषण प्रणाली हेतु	217.03	निरंक	निरंक	निरंक	858.74	निरंक	निरंक	निरंक
5	निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा अल्प अवधि ओपन एक्सेस के तहत अनुमति उपरांत उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु उपयोग किये गये राज्य की पारेषण प्रणाली हेतु	908.75	निरंक	निरंक	निरंक	408.17			
	कुल योग:-	2,729.76	1,196.01	23.86	1,219.88	2178.26	692.09	0.21	692.30

A-51

I 5 मार्च, 2019

प्रपत्र "स"

वर्ष 2017-18 में लघु अवधि हेतु ओपन एक्सेस के तहत ट्रांसमिट की गई बिजली के लिये प्राप्त ट्रांसमिशन शुल्क

माह	एम.डब्ल्यू.एच.	ट्रांसमिशन शुल्क रूपये में	एस.एल.डी.सी.चार्जस रूपये 2000 प्रतिदिन	कुल प्राप्त राजस्व रूपये में
अप्रैल-17	37704	10465920	1,11,000	1,05,76,920
मई-17	60024	14405760	1,56,000	1,45,61,760
जून-17	36624	8789760	3,38,000	91,27,760
जुलाई-17	22056	5051520	3,68,000	54,19,520
अगस्त-17	2337.6	561024	4,87,000	10,48,024
सितम्बर-17	7944	1906560	5,78,000	24,84,560
अक्टूबर-17	5148	1235520	2,40,000	14,75,520
नवम्बर-17	निरंक	निरंक	2,46,000	2,46,000
दिसम्बर-17	निरंक	निरंक	4,17,000	4,17,000
जनवरी-18	6144	1474560	6,49,000	21,23,560
फरवरी-18	17376	4170240	2,76,000	44,46,240
मार्च-18	18767.25	4504140	5,05,000	50,09,140
दीर्घकालीन ओपन एक्सेस के तहत वर्ष 2017-18 हेतु	निरंक	69,87,00,000	निरंक	69,87,00,000
कुल योग		7,75,12,65,004	43,71,000	75,56,36,004

प्रपत्र "द"

वर्ष 2018-19 में 31 जनवरी 2019 तक लघु अवधि हेतु ओपन एक्सेस तहत ट्रांसमिट की गई बिजली के लिये प्राप्त ट्रांसमिटेशन शुल्क

माह	एम.डब्लू.एच.	ट्रांसमिशन शुल्क रूपये में	एस.एल.डी.सी.चार्जस रूपये 2000 प्रति दिन	कुल प्राप्त राजस्व रूपये में
अप्रैल-18	9204	3214036.80	5,77,000	37,91,036.80
मई-18	8052	2811758.40	4,61,000	32,72,758.40
जून-18	5892	2057486.40	4,57,000	25,14,486.40
जुलाई-18	6276	2191579.20	3,98,000	25,89,579.20
अगस्त-18	4380	1529496.00	2,21,000	17,50,496.00
सितम्बर-18	6480	2262816.00	4,26,000	26,88,816.00
अक्टूबर-18	4072	1421942.40	10,02,000	24,23,942.40
नवम्बर-18	9744	3402604.80	3,68,000	37,70,604.80
दिसम्बर-18	2856	997315.20	3,12,000	13,09,315.20
जनवरी-19	10152	3545078.40	5,39,000	40,84,078.40
दीर्घकालीन ओपन एक्सेस के तहत वर्ष 2017-18 हेतु		15,27,00,000		15,27,00,000
कुल योग		17,61,34,113.60	47,61,000	18,08,95,113.60

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1865) की जानकारी]

जिला-राजनांदगांव में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2019 तक संचालित केशर खदानों में किये गये वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी

विकासखंड-राजनांदगांव

क्रमांक	खदान का नाम व पता	वृक्षारोपण की संख्या	वृक्षारोपण की प्रजाति
1.	मेसर्स नारायण दास लोहानी स्टोन कशर उद्योग, ग्राम-जोरातराई, मनगट्टा, जिला-राजनांदगांव	105	नीलगिरी, बबूल, मुनगा
2.	मेसर्स एस.एस.डी. इन्टरप्राइजेस ग्राम-जोरातराई जिला-राजनांदगांव	150	बबूल, बेल, नीलगिरी,
3.	मेसर्स अटल गोदवानी स्टोन कशर, ग्राम-जोरातराई, जिला-राजनांदगांव	40	नीलगिरी, बबूल, बेल
4.	मेसर्स चन्द्रा कशर, ग्राम-डुमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	100	गुलमोहर, शिवबबूल, नीलगिरी
5.	मेसर्स चेतना मानेक माइनिंग यूनिट, ग्राम-डुमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	95	मुनगा, अशोक, गुलमोहर, कनेर, नीबू, सीताफल
6.	मेसर्स सत्यनारायण शर्मा माइनिंग यूनिट, ग्राम-जोरातराई, जिला-राजनांदगांव	70	नीम, बबूल जाम, गुलमोहर, जामून, नीबू, कटहल, शीशम, आम
7.	मेसर्स गिरिश तलरेजा माइनिंग यूनिट, ग्राम-चवेली, जिला-राजनांदगांव	90	नीम, आंवला, बबूल, करंज, गुलमोहर, करण
8.	मेसर्स पियुश श्रीवास्तव ग्राम-डुमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	350	करण, नीम, जामून, शिवबबूल, रीया, सीताफल, शीशम
9.	मेसर्स शिव अग्रवाल माइनिंग युनिट, ग्राम-डुमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	82	कटहल, शीशम, नीम, आंवला, रीया, बबूल, अमरुद
10.	मेसर्स संतोष कुमार लोहानी माइनिंग यूनिट, ग्राम-जोरातराई, जिला-राजनांदगांव	200	कनेर, अमलताश, गुलमोहर
11.	मेसर्स अभय जैन माइनिंग युनिट, ग्राम-डुमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	75	महुवा, पीपल, आम, मौहा, मुनगा, बेल, कटहल, जाम, नीलगिरी
12.	मेसर्स महेश कुमार लोहानी माइनिंग यूनिट, ग्राम-जोरातराई, जिला-राजनांदगांव	70	कनेर, गुलमोहर
13.	मेसर्स सत्या मिनरल्स, ग्राम-चवरढाल, देवडोंगर, जिला-राजनांदगांव	152	गुलमोहर, बांस, शिवबबूल, सातपन्नी
14.	मेसर्स भागचंद जैन माइनिंग यूनिट, ग्राम-चवेली, जिला-राजनांदगांव		धनबहेर, आंवला, नीबू, बेल, जामुन, गुलमोहर

15.	मेसर्स शशिकला गुप्ता माइनिंग एंड कशिंग, ग्राम-चवेली, जिला-राजनांदगांव	107	गुलमोहर, बांस, सातपन्नी, शिवबबूल, बादाम,
16.	मेसर्स गणपति मिनरल्स, ग्राम-डूमरडीहकला, घुमका, जिला-राजनांदगांव	100	सागोन, नीम, करण, बबूल
17.	मेसर्स रितेश जैन माइनिंग यूनिट, ग्राम-डूमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	95	गुलमोहर, कनेर, नीबू आम, मुनगा, सीताफल
18.	मेसर्स शिवलाल चक्रधारी माइनिंग यूनिट, ग्राम-जोरातराई, जिला-राजनांदगांव	120	पेन्टाफाम, करंज, बेल, जाम, जामुन, गुलमोहर, शिशम, नीम, धनबोहार, कटहल, नीबू, मुनगा
19.	मेसर्स नरेश लाल तलरेजा माइनिंग यूनिट, ग्राम-चवेली, जिला-राजनांदगांव	60	गुलमोहर, बांस, नीलगिरी
20.	मेसर्स गिरधारी लाल तलरेजा माइनिंग यूनिट, ग्राम-चवेली, जिला-राजनांदगांव	138	गुलमोहर, जामून, बबूल, कटहल, आम, नीबू
21.	मेसर्स रमेश लाल तलरेजा माइनिंग यूनिट, ग्राम-चवेली, जिला-राजनांदगांव	90	नीलगिरी, बबूल, बेल
22.	मेसर्स अरुण रंगलानी माइनिंग यूनिट, ग्राम-डूमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	185	आम, बादाम, खमार, सागौन, जामुन, सीताफल, लेसवा
23.	मेसर्स मनींदर सिंह माइनिंग यूनिट, ग्राम-डूमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	68	आंवला, आम, नीम, जामुन, नीलगिरी, बेल
24.	मेसर्स योगेश डाकलिया माइनिंग यूनिट, ग्राम-डूमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	50	सागोन, नीम, बबूल
25.	मेसर्स गौतम चंद्र डाकलिया माइनिंग यूनिट, ग्राम-बिहावबोड, जिला-राजनांदगांव	35	बबूल, करंज, नीम
26.	मेसर्स दिव्या डाकलिया माइनिंग यूनिट, ग्राम-डूमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	100	सागोन, नीम, करण, जाम
27.	मेसर्स पवन वाधवा माइनिंग यूनिट, ग्राम-डूमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	50	कटहल, आंवला, नीम, रीया, बबूल, गुलमोहर, शीशम
28.	मेसर्स पुष्पलता ओसवाल माइनिंग यूनिट, ग्राम-चवंरढाल, जिला-राजनांदगांव	55	गुलमोहर, नीलगिरी, बबूल
29.	मेसर्स एम0एल0 कशर, ग्राम-डूमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	55	नीम, करंज, नीबू, बबूल
30.	मेसर्स श्री राम मिनरल्स, ग्राम-नवागांव, मुडीपार, जिला-राजनांदगांव	60	नीलगिरी, गुलमोहर, बबूल
31.	मेसर्स श्री शक्ति मिनरल्स, ग्राम-डूमरडीहकला, जिला-राजनांदगांव	140	बांस, नीलगिरी, सातपन्नी, शिवबबूल
32.	मेसर्स दीपक शर्मा स्टोन कशर उधोग, ग्राम-जोरातराई, मनगट्टा, जिला-राजनांदगांव	135	नीम, बबूल जाम, गुलमोहर, जामून, नीबू, कटहल, शीशम, आम
33.	मेसर्स प्रवीण कुमार जैन कशर, ग्राम-जोरातराई, जिला-राजनांदगांव	143	शिवबबूल, गुलमोहर

34.	मेसर्स भागीरथी चकधारी स्टोन कशर, ग्राम-जोरातराई, जिला-राजनांदगांव	127	बबूल जाम, गुलमोहर, जामून, नींबू, कटहल, आम, मुनगा, धनबोर, करंज, बेल
35.	मेसर्स भागीरथी चकधारी स्टोन कशर, यूनिट 02ए, ग्राम-जोरातराई, जिला-राजनांदगांव	127	बबूल, जाम, गुलमोहर, जामून, नींबू, कटहल, आम, मुनगा, धनबोर, करंज, बेल
36.	मेसर्स झुराडबरी क्वार्टर्जाईट एंड सिलिका सेन्ड माइन, ग्राम-झोलाडबरी, जिला-राजनांदगांव	200	महुआ, नीम, करंज, बबूल

विकासखंड-डोंगरगढ़

क्रमांक	खदान का नाम व पता	वृक्षारोपण की संख्या	वृक्षारोपण की प्रजाति
1.	मेसर्स श्री मिनरल्स माइनिंग यूनिट, ग्राम-बागरेकसा, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	20	बबूल, नीम
2.	मेसर्स दिलीप कुमार अग्रवाल माइनिंग यूनिट, ग्राम-पारागांवखुर्द, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	100	बबूल, करंज, शीशम

विकासखंड-डोंगरगांव

क्रमांक	खदान का नाम व पता	वृक्षारोपण की संख्या	वृक्षारोपण की प्रजाति
1.	मेसर्स हिरवानी स्टोन कशर, ग्राम-अर्जुनी, जिला-राजनांदगांव	111	शिवबबूल, नीलगिरी, गुलमोहर, सातपन्नी, बेल
2.	मेसर्स भारत बिल्डर्स, माइनिंग यूनिट, ग्राम-परना, डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव	35	बबूल, बाँस
3.	मेसर्स संजय कुमार ठाकुर माइनिंग एंड कशिंग यूनिट, ग्राम-परना, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	42	बबूल, बेल, कउवा, छीन
4.	मेसर्स नवीन कुमार जैन माइनिंग यूनिट, ग्राम-अर्जुनी, जिला-राजनांदगांव	115	बेल, नीलगिरी, बबूल, मुनगा, कटहल, आम
5.	मेसर्स निर्मलचंद जैन माइनिंग यूनिट, ग्राम-गोरधा, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	120	बबूल, आम, अमरुद, नींबू, कटहल
6.	मेसर्स हरिचंद साहू माइनिंग यूनिट, ग्राम-अर्जुनी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	50	गुलमोहर, बेल, बबूल, बेर, नीम
7.	मेसर्स श्रीमति पुर्णिमा बोहरा स्टोन कशर, (नया नाम महावीर कन्स्ट्रक्शन) ग्राम-बनहरदी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	90	गुलमोहर, जामून, कटहल, बेल, बबूल
8.	मेसर्स संचेती कशर उद्योग ग्राम-सालिक झिटिया, तहसील- डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	120	सीताफल, बबूल, बेल, नीलगिरी, नींबू

9.	मेसर्स जालम सिंग गौड, स्टोन कशर यूनिट, ग्राम-अलीखूटा, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	20	बबूल, बेल
10.	मेसर्स अनिल पारख माइनिंग यूनिट, ग्राम-अर्जुनी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	99	गुलमोहर, नीलगिरी, बांस, बबूल
11.	मेसर्स संजय कुमार सचेती, ग्राम-सालिक झिटिया, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	120	सीताफल, बबूल, बेल, नीलगिरी, नीबू

विकासखंड-खैरागढ़

क्रमांक	खदान का नाम व पता	वृक्षारोपण की संख्या	वृक्षारोपण की प्रजाति
1.	मेसर्स जिस्को इटरप्राइजेस माइनिंग यूनिट, ग्राम-कलकसा, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	83	नीलगिरी, जामून, आम, कटहल
2.	मेसर्स सुमन सिंह माइनिंग यूनिट, ग्राम-बल्देवपुर, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	85	आंवला, आम, शीशम, नीलगिरी, जामुन, कटहल
3.	मेसर्स सुमन सिंह माइनिंग यूनिट, ग्राम-कलकसा, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	65	आंवला, शीशम, आम, कहुआ
4.	मेसर्स खैरागढ़ मिनरल्स, ग्राम-बल्देवपुर, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	60	बेल, कटहल, सीताफल, नीबू, आम
5.	मेसर्स रमेश डाकलिया माइनिंग एंड कशर यूनिट, ग्राम-पिपलाकछार, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	10	बबूल, करंज
6.	मेसर्स अरुणा जोगेवार माइनिंग यूनिट, ग्राम-कलकसा, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	50	सातपन्नी, नीलगिरी, बांस, जाम, नीम
7.	मेसर्स प्रशांत कांकरिया लाइम स्टोन, ग्राम-कलकसा, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	70	नीलगिरी, गुलमोहर, बांस, आम, नीबू, कटहल
8.	मेसर्स मीना रंगलानी माइनिंग यूनिट, ग्राम-कलकसा, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	105	कटहल, जाम, जामुन, सातपन्नी, आंवला, गुलमोहर, बांस
9.	मेसर्स श्रीचंद चावड़ा माइनिंग यूनिट, ग्राम-कलकसा, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	50	बेर, अशोक, बबूल, कहुवा
10.	मेसर्स उमेद इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पिपलाकछार, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	35	नीम, बबूल, करंज
11.	मेसर्स उदय कशर, ग्राम-बल्देवपुर, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	25	नीम, बबूल, करंज, रिया

विकासखंड-मोहला			
क्रमांक	खदान का नाम व पता	वृक्षारोपण की संख्या	वृक्षारोपण की प्रजाति
1.	मेसर्स राधेश्याम गुप्ता माइनिंग यूनिट, ग्राम-खमटोला, मोहला, जिला-राजनांदगांव	20	बबूल, गुलमोहर
2.	मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लि०, ग्राम-बोरियाटिब्बू, मोहला, जिला-राजनांदगांव	25000	केसिया, सेमिया, पेल्टाफोरम, गुलमोहर
3.	मेसर्स शारडा इनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, (डोंगरबोर आयरन ओर माइन्स), ग्राम-डोंगरबोर, खडगांव, मोहला, जिला-राजनांदगांव	12277	करंज, शीशम, एलएसटोनिया, आकाशमीन, सीताफल, नीलगिरी, महुआ, बादाम,
विकासखंड-छुरिया			
क्रमांक	खदान का नाम व पता	वृक्षारोपण की संख्या	वृक्षारोपण की प्रजाति
1.	मेसर्स लैण्डमार्क रायल इंजिनियरिंग इंडिया प्रा० लि०, ग्राम-चिरचारीकला, जिला-राजनांदगांव	30	नीम, करंज,
2.	मेसर्स तरुण गांधी माइनिंग यूनिट, ग्राम-हैदलकोढो, छुरिया, जिला-राजनांदगांव	1000	गुलमोहर, आवला, शीशम, सागौन, काला शीशम, नीबू
3.	मेसर्स शिवा मिनरल्स, ग्राम-कापा, छुरिया, जिला-राजनांदगांव	25	सागौन, नीम, बबूल, रिया

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1871) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में संचालित रेत खदानों की संख्या एवं प्राप्त राजस्व की जानकारी वर्षवार

(राशि लाख रु. में)

क्र.	जिला	वर्ष									
		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19(जनवरी 2019 तक)	
		खदानों की संख्या	प्राप्त राजस्व	खदानों की संख्या	प्राप्त राजस्व	खदानों की संख्या	प्राप्त राजस्व	खदानों की संख्या	प्राप्त राजस्व	खदानों की संख्या	प्राप्त राजस्व
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	रायपुर	16	105.39	15	82.87	20	108.27	16	108.44	13	95.86
2.	बलौदाबाजार	5	33.93	9	92.04	18	115.13	38	145.89	37	114.55
3.	गरियाबंद	8	21.43	7	51.32	23	59.00	27	45.40	9	107.47
4.	धमतरी	14	115.85	21	188.68	30	248.43	26	192.79	11	110.81
5.	महासमुंद	5	26.00	8	27.74	7	23.98	6	23.24	9	88.29
6.	राजनांदगांव	16	78.21	14	24.68	16	42.75	20	46.22	16	58.10
7.	कबीरधाम	1	0	1	0.03	0	0	2	0.18	2	0.48
8.	दुर्ग	7	2.47	20	21.44	14	19.05	27	9.58	26	19.88
9.	बालोद	11	50.15	14	29.43	21	36.28	27	65.20	26	81.84
10.	बेमेतरा	5	1.27	9	23.08	10	22.94	7	11.92	1	2.06
11.	बस्तर	0	0	5	4.82	14	34.27	16	49.12	16	20.88
12.	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0.77	0	0.81	0	0
13.	सुकमा	0	0	0	0	6	20.77	6	12.45	0	0
14.	कोंकेर	7	14.30	6	33.17	20	22.88	17	46.95	15	60.68
15.	कोण्डागांव	4	1.64	3	0.66	1	2.26	8	9.38	7	8.44
16.	दंतेवाड़ा	1	6.27	3	7.18	8	20.04	9	11.98	9	26.76
17.	बीजापुर	0	0	0	0	7	3.06	9	13.92	8	11.23
18.	बिलासपुर	24	89.70	24	40.38	34	87.87	38	105.42	43	87.47
19.	मुंगेली	0	0	3	0.12	3	2.72	6	0.06	6	0.41
20.	कोरबा	4	13.26	10	59.66	25	92.25	27	74.48	30	209.28
21.	जाजगीर	7	18.97	19	69.06	31	137.73	38	133.72	34	110.19
22.	रायगढ़	13	84.06	20	40.72	30	62.80	18	70.60	19	59.19
23.	जशपुर	3	4.50	3	4.30	6	11.16	6	5.26	1	2.18
24.	सरगुजा	0	0	7	4.29	9	6.60	11	3.58	4	0.37
25.	बलरामपुर	0	0	3	0	4	5.35	4	0	3	0.46
26.	सूरजपुर	5	10.24	5	9.82	15	0.59	21	0.47	18	28.80
27.	कोरिया	10	7.44	3	5.08	18	11.53	21	80.82	19	80.22
	योग	166	685.08	232	820.57	390	1198.48	451	1267.88	382	1385.90

A-59

[5 मार्च, 2019]

प्रपत्र "ब"

प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की राशि की जानकारी वर्षवार

(राशि लाख रु. में)

क्र.	जिला	२५									
		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19(जनवरी 2019 तक)	
		अवैध उत्खनन से वसूल की गई राशि	अवैध परिवहन से वसूल की गई राशि	अवैध उत्खनन से वसूल की गई राशि	अवैध परिवहन से वसूल की गई राशि	अवैध उत्खनन से वसूल की गई राशि	अवैध परिवहन से वसूल की गई राशि	अवैध उत्खनन से वसूल की गई राशि	अवैध परिवहन से वसूल की गई राशि	अवैध उत्खनन से वसूल की गई राशि	अवैध परिवहन से वसूल की गई राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	रायपुर	1.09	22.78	7.51	21.53	12.40	17.87	11.38	16.05	0.55	38.34
2.	बलौदाबाजार	0	3.58	0.36	7.92	2.99	14.77	1.44	4.42	2.18	8.22
3.	गरियाबंद	0.39	1.43	1.28	3.15	2.88	2.38	4.02	4.57	4.50	6.88
4.	धमतरी	0	10.88	0	8.90	0.80	7.26	0.20	6.38	0.50	16.86
5.	महासमुंद	3.96	2.40	0.64	6.15	1.34	2.46	0.83	8.89	4.03	11.63
6.	राजनादगांव	1.05	9.23	0.55	14.17	0.60	6.44	0.25	8.55	0.15	9.02
7.	कबीरधाम	0	4.49	0.39	1.90	0	0.88	0.29	1.07	0.46	1.04
8.	दुर्ग	0.38	3.14	0	2.27	0	3.03	0.40	0.85	0.75	0.76
9.	बालोद	0.74	2.56	0	3.09	0.35	2.89	0.89	1.08	0	2.64
10.	बेमेतरा	0	2.57	0	3.44	0	2.60	0	2.87	0	4.58
11.	बरतर	0.02	2.24	0.06	3.67	0	1.58	0.62	1.39	0	2.96
12.	नारायणपुर	0	0	0	0	0.25	0	0.31	0	0.17	0.39
13.	सुकमा	0	0.40	0	0.33	0.27	0.27	0	1.42	0	1.00
14.	कांकर	0.28	7.09	0	6.15	0.92	9.21	3.78	8.13	0	2.45
15.	कोण्डागांव	0	1.25	0	0.76	0	2.20	0	1.75	0	1.87
16.	दंतेवाड़ा	0	0.20	0	2.20	0.68	0.48	0	1.34	0	0.86
17.	बीजापुर	0	0	0	0	0	0.78	0	0.89	0	0.11
18.	बिलासपुर	29.89	52.72	49.86	45.82	86.57	46.93	29.01	32.64	21.64	29.04
19.	मुंगेली	0.25	2.21	0.38	2.10	0	1.78	0	1.84	0	2.63
20.	कोरबा	1.23	10.93	0	9.96	1.39	7.06	0.72	7.52	0	5.13
21.	जांजगीर	0.83	6.90	2.43	15.25	1.66	7.71	8.90	7.55	0.25	4.65
22.	रायगढ़	0.59	5.67	0.25	7.76	0	1.83	0	2.06	0.80	3.15
23.	जशपुर	0	7.07	0	4.67	0	1.15	0	0.94	0	0.30
24.	सरगुजा	0	0.53	0	5.65	0	3.57	0.19	2.25	0	3.85
25.	बलरामपुर	0	1.13	0	0.33	0	4.93	0	3.76	0	1.14
26.	रुरजपुर	0	1.61	0	2.97	1.45	5.61	0.18	9.07	0.54	4.42
27.	कोरिया	0	6.03	0	5.98	0	3.16	0	2.44	0	1.18
	योग	40.70	169.04	63.71	186.22	114.55	158.83	63.41	139.72	36.52	165.30

परिशिष्ट "इक्कीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1944) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2018-19 में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में राज्यमद एवं डीएमएफ फंड के अंतर्गत स्वीकृत आवर्धन योजना/
नल जल योजना की जानकारी

क्र.	योजना/ग्राम का नाम	लागत (रु. लाख में)	मद
1	धुराबांधा आवर्धन	47.52	राज्यमद
2	दामाखेड़ा आवर्धन	38.31	राज्यमद
3	खोखली आवर्धन	40.18	राज्यमद
4	कोलिहा आवर्धन	47.52	राज्यमद
5	दतरेंगी आवर्धन	47.20	राज्यमद
6	कचलोन आवर्धन	37.48	राज्यमद
7	चौरेंगा आवर्धन	44.21	राज्यमद
8	चकरवाय आवर्धन	33.15	राज्यमद
9	धोबनी आवर्धन	37.40	राज्यमद
10	बिलारी (ज) आवर्धन	31.58	राज्यमद
11	छांछी आवर्धन	34.82	राज्यमद
12	मोहतरा (क) आवर्धन	37.19	राज्यमद
13	कोट (क) आवर्धन	49.26	राज्यमद
14	देवरीकला आवर्धन	41.38	राज्यमद
15	रिंकोकला आवर्धन	45.92	राज्यमद
16	सेन्दूरस	58.01	डीएमएफ
17	कोट आवर्धन	40.64	डीएमएफ
18	बालपुर आवर्धन	45.69	डीएमएफ
19	मड़कड़ा	49.94	डीएमएफ
20	खैरा	65.79	डीएमएफ
21	तुरमा (फेस-2)	34.08	डीएमएफ
22	चुचरुंगपुर आवर्धन	33.99	डीएमएफ
23	टीपावन	44.08	डीएमएफ
24	छेरकाडीह	44.86	डीएमएफ
25	लकड़िया	40.70	डीएमएफ
26	बोईरडीह	39.82	डीएमएफ
27	दतरेंगी	62.93	डीएमएफ
28	दावनबोड आवर्धन	41.55	डीएमएफ
29	बरडीह	49.67	डीएमएफ

परिशिष्ट "बाईस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1957) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष अप्रैल 2015 से जनवरी 2019 तक हैण्डपंपों के खनन की विकाखंडवार जानकारी

क.	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19 (जनवरी 2019 तक)		
		एजेंसी का नाम	नलकूप की संख्या	दर (प्रति नलकूप)	नलकूप की संख्या	दर (प्रति नलकूप)	नलकूप की संख्या	दर (प्रति नलकूप)	नलकूप की संख्या	दर (प्रति नलकूप)
1	नदागढ़	मे. लक्ष्मी बोरवेल्स	13	69487.00	-	-	-	-	-	-
		मे. भवानी बोरवेल्स	8	67359.00	-	-	-	-	-	-
		मे. लक्ष्मी बोरवेल्स	15	69099.00	-	-	-	-	-	-
		मे. घनश्याम अग्रवाल	10	58020.00	-	-	-	-	-	-
		विभागीय	32	69600.00	46	70500.00	41	76800.00	28	88000.00
		विभागीय	29	70200.00	7	71200.00	42	79100.00	18	92100.00
2	बम्हनीडीह	मे. भवानी बोरवेल्स	14	60997.00	-	-	-	-	-	-
		मे. सुरजमल ओंकारमल	15	73448.00	-	-	-	-	-	-
		मे. घनश्याम अग्रवाल	5	59417.00	-	-	-	-	-	-
		विभागीय	39	69900.00	19	70900.00	14	76900.00	9	88200.00
		विभागीय	3	70500.00	4	71700.00	3	79000.00	5	92200.00
3	अकलतरा	मे. व्ही.के. रॉक ड्रीलर्स	6	70211.00	-	-	-	-	-	-
		मे. घनश्याम अग्रवाल	6	64708.00	-	-	-	-	-	-
		मे. भवानी बोरवेल्स	15	71715.00	-	-	-	-	-	-
		विभागीय	18	70700.00	37	71500.00	18	76900.00	10	89200.00
		विभागीय	23	71200.00	13	72000.00	18	79000.00	-	-
4	बलौदा	मे. घनश्याम अग्रवाल	10	63380.00	-	-	-	-	-	-
		मे. गोयल बोरवेल्स	7	71414.00	-	-	-	-	-	-
		मे. लक्ष्मी बोरवेल्स	8	71419.00	-	-	-	-	-	-
		मे. भवानी बोरवेल्स	8	71419.00	-	-	-	-	-	-
		मे. विघ्नेश्वर रॉक ड्रीलर्स	5	72549.00	-	-	-	-	-	-
		मे. लक्ष्मी बोरवेल्स	15	74303.00	-	-	-	-	-	-
		विभागीय	15	71800.00	5	72500.00	7	80100.00	-	-
		विभागीय	21	72500.00	28	73000.00	11	77900.00	5	90500.00
5	पामगढ़	मे. गोयल बोरवेल्स	15	71009.00	-	-	-	-	-	-
		मे. लक्ष्मी बोरवेल्स	5	54773.00	-	-	-	-	-	-
		मे. गोयल बोरवेल्स	4	74338.00	-	-	-	-	-	-
		मे. एस.के. बोरवेल्स	9	69440.00	-	-	-	-	-	-
		विभागीय	33	71200.00	26	72000.00	32	78300.00	16	89500.00
		विभागीय	11	72000.00	36	72900.00	28	80500.00	32	93700.00

क्र.	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2015-16			वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19 (जनवरी 2019 तक)	
		एजेंसी का नाम	नलकूप की संख्या	दर (प्रति नलकूप)	नलकूप की संख्या	दर (प्रति नलकूप)	नलकूप की संख्या	दर (प्रति नलकूप)	नलकूप की संख्या	दर (प्रति नलकूप)
6	सक्ती	मे. घनश्याम अग्रवाल	12	59407.00	-	-	-	-	-	-
		मे. घनश्याम अग्रवाल	9	69473.00	-	-	-	-	-	-
		मे. घनश्याम अग्रवाल	5	73889.00	-	-	-	-	-	-
		मे. लक्ष्मी बोरवेल्स	9	69487.00	-	-	-	-	-	-
		विभागीय	33	70800.00	10	71900.00	30	79900.00	16	92900.00
		विभागीय	7	71100.00	23	71500.00	15	77800.00	1	88900.00
7	जैजैपुर	मे. सुभाष बोरवेल्स	12	69440.00	-	-	-	-	-	-
		मे. भवानी बोरवेल्स	15	71244.00	-	-	-	-	-	-
		विभागीय	30	70400.00	44	71000.00	62	77400.00	24	181000.00
		विभागीय	1	71000.00	20	71600.00	11	79500.00	-	-
8	डभरा	मे. सुभाष बोरवेल्स	15	71009.00	-	-	-	-	-	-
		मे. घनश्याम अग्रवाल	4	59358.00	-	-	-	-	-	-
		मे. सुभाष बोरवेल्स	12	70786.00	-	-	-	-	-	-
		विभागीय	32	70700.00	13	71200.00	25	77300.00	-	-
		विभागीय	5	71100.00	12	71900.00	18	79500.00	6	92000.00
9	मालखरौदा	मे. घनश्याम अग्रवाल	10	77968.00	-	-	-	-	-	-
		मे. सुरजमल ओंकारमल	18	69393.00	-	-	-	-	-	-
		मे. बजरंग अग्रवाल	12	72423.00	-	-	-	-	-	-
		मे. सुभाष बोरवेल्स	15	70194.00	-	-	-	-	-	-
		विभागीय	22	70900.00	4	72300.00	15	80100.00	15	93100.00
		विभागीय	3	71200.00	13	71900.00	6	77900.00	18	89000.00
योग :-		-	698	-	360	-	396	-	203	-

परिशिष्ट "तेईस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2024) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क.	अपराध क./ पंजीबद्ध दिनांक	धारा	अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम	कार्यवाही	अद्वयतन स्थिति
1.	23/2014 31.05. 2014	13(1)ई, 13(2) पी. सी.एक्ट1988	श्री मध्येश्वर प्रसाद साह, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार	अनुपातहीन संपत्ति	विवेचना में है।
2.	44/2015 23.07.2015	467, 468, 471, 120बी एवं 13(1)डी, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988	(1) श्री एस.सी. खण्डेलवाल, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर (2) श्री पी.एस. चंदेल, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (3) श्री आर.के. वर्मा, तत्का. उप अभियंता	पद का दुरुपयोग	न्यायालय लंबित
3.	45/2015 25.07.2015	420, 120-बी एवं 13(1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988	(1) श्री व्ही0के0 भतपहरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (2) श्री ए0के0 चक्रवर्ती, अधीक्षण अभियंता (3) श्री ए0के0 श्रीवास, कार्यपालन अभियंता (4) श्री आशीष भट्टाचार्य, अनुविभागीय अधिकारी (5) श्री ए0के0 वर्मा, विभागीय उप अभियंता	पद का दुरुपयोग	अभियोजन लंबित
4.	05/2016 15. 01.2016	13(1)ई, 13(2) पी. सी.एक्ट1988	श्री टी. आर. कुंजाम कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (ई./एम) बिलासपुर (छ.ग.)	अनुपातहीन संपत्ति	चालान तैयार न्यायालय से स्टे
5.	21/2016 05. 04.2016	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	श्री कुंवरलाल उर्फ कवर लाल रंगारी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग मद्देड, बीजापुर, जिला- बीजापुर (छ.ग.)	ट्रेप	सजा
6.	32/2016 22. 04.2016	13(1) ई, 13(2) पी. सी.एक्ट1988	श्री फेबियन खेस कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग वि./या. संभाग अबिकापुर छ.ग.	अनुपातहीन संपत्ति	न्यायालय से खात्मा स्वीकृत
7.	63/2016 16.09.2016	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	श्री प्रमोद श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग संभाग-1, पेशनबाड़ा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	ट्रेप	सजा
8.	15/2017 20.04. 2017	13(1)ई, 13(2) पी. सी.एक्ट1988 एवं सहपठित धारा 109, 120बी, 193, 201 भादवि.	श्री रामकरण कुम्हार, कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, संभाग जगदलपुर.	अनुपातहीन संपत्ति	न्यायालय लंबित
9.	10/2018 22. 05.2018	13(1)ई, 13(2) पी. सी.एक्ट 1988	श्री राम मोहन दुबे उप अभियंता लोक निर्माण विभाग बिलासपुर, छ.ग.	अनुपातहीन संपत्ति	विवेचना में है।
10.	13/2018 20. 07.2018	13(1)ई, 13(2) पी. सी.एक्ट 1988	श्री हिन्दू लाल शर्मा, उर्फ एच.एल. शर्मा, पिता स्व. रामकुमार शर्मा, उम्र-56 वर्ष, पद अनुविभागीय अधिकारी (सहायक अभियंता) विधुत एवं यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग बस्तर परिक्षेत्र बस्तर जिला-जगदलपुर	अनुपातहीन संपत्ति	विवेचना में है।

प्रपत्र "ब"

क्र.	अपराध क्र./ पंजीबद्ध दिनांक	धारा	अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम	कार्यवाही	न्यायालय चालान पेश	अद्वयतन स्थिति
1.	44/2015 23.07.2015	467, 468, 471, 120बी एवं 13(1)डी, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988	(1) श्री एस.सी. खण्डेलवाल, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर (2) श्री पी.एस. चंदेल, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (3) श्री आर.के. वर्मा, तत्का. उप अभियंता	पद का दुरुपयोग	चालान पेश	न्यायालय लंबित
2.	21/2016 05.04.2016	7.13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	श्री कुंवरलाल उर्फ कंवर लाल रंगारी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप सभाग मद्देड, बीजापुर, जिला- बीजापुर (छ.ग.)	ट्रेप	चालान पेश	सजा
3.	63/2016 16.09.2016	7.13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	श्री प्रमोद श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग सभाग-1, पेशनबाड़ा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	ट्रेप	चालान पेश	सजा
4.	15/2017 20.04.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट1988 एवं सहपठित धारा 109, 120बी, 193, 201 भादवि.	श्री रामकरण कुम्हार, कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, सभाग जगदलपुर,	अनुपातहीन संपत्ति	चालान पेश	न्यायालय लंबित

क.	अपराध क. / पंजीबद्ध दिनांक	धारा	अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम	कार्यवाही	छापे पर अनुमानित दल अचल सम्पत्ति	छापा पर जप्त नकद राशि	छापे पर अनुमानित कुल सम्पत्ति
1.	23/2014 31.05.2014	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	श्री मध्येश्वर प्रसाद साह कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग बलौदावाजार	अनुपातहीन संपत्ति	45058000	4942000	50000000
2.	05/2016 15.01.2016	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	श्री टी. आर. कुजाम कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (ई./एम) बिलासपुर (छ.ग.)	अनुपातहीन संपत्ति	11460861	240000	11700861
3.	32/2016 22.04.2016	13(1) ई, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	श्री फेबियन खेस कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग वि./या. संभाग अंबिकापुर छ.ग.	अनुपातहीन संपत्ति	25202865	110550	25313415
4.	15/2017 20.04.2017	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट1988 एवं सहपठित धारा 109, 120बी, 193, 201 भादवि.	श्री रामकरण कुम्हार, कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, संभाग जगदलपुर,	अनुपातहीन संपत्ति	—	1100000	1100000
5.	10/2018 22.05.2018	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री राम मोहन दुबे उच अभियंता लोक निर्माण विभाग बिलासपुर, छ.ग.	अनुपातहीन संपत्ति	15536734	—	15536734
6.	13/2018 20.07.2018	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री हिन्ड लाल शर्मा, उर्फ एच.एल. शर्मा, पिता स्व. रामकुमार शर्मा, उम्र-56 वर्ष, पद अनुविभागीय अधिकारी (सहायक अभियंता) विधुत एवं यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग बस्तर परिक्षेत्र बस्तर जिला-जगदलपुर	अनुपातहीन संपत्ति	36559081	4165272	40724353

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 18) की जानकारी]

जशपुर जिले में दिनांक 01-01-2016 से 15-01-2016 तक जप्त की गई अन्य सामग्री एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	विकासखण्ड	प्रकरण दर्ज होने का दिनांक	व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई	स्थान पता	जप्त सामग्री की मात्रा धान (क्विंटल में)	की गई कार्यवाही का विवरण
1	फरसाबहार	11/1/2016	1. बसंत गुप्ता आ दुलेश्वर ग्राम कोल्हेनझरिया तह0 फरसाबहार जिला जशपुर 2. जितेन्द्र साय-आ. मनोहर साय ग्राम कोल्हेनझरिया तह0 फरसाबहार जिला जशपुर	कोल्हेनझरिया	51.20	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 5.12 क्विंटल धान शासन के पक्ष में राजसात किया गया। राजसात धान समर्थन मूल्य की राशि रु0 7168/- शासकीय मद में जमा कराया गया।
2	पत्थलगांव	15/01/2016	रामलाल साहू निवासी कोतबा तह0 पत्थलगांव जिला जशपुर	बागबहार	118.00	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 13.845 क्विंटल शासन के पक्ष में राजसात किया गया। राजसात धान के समर्थन मूल्य की राशि 19383/- जमा कराया गया।
3	पत्थलगांव	15/01/2016	शिवनरायण चौधरी निवासी कोतबा तह0 पत्थलगांव जिला जशपुर	कोतबा	121.20	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 6.06 क्विंटल धान शासन के पक्ष में राजसात की गई। राजसात धान के समर्थन मूल्य की राशि 8484/- शासकीय मद में जमा कराया गया।
4	पत्थलगांव	15/01/2016	भजन साय ग्राम बुलडेगा तह0 पत्थलगांव जिला जशपुर	कोतबा	168.80	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 8.44 क्विंटल धान शासन के पक्ष में राजसात किया गया। राजसात धान में समर्थन मूल्य की राशि 11816/- शासन के शासकीय मद में जमा कराया गया।
5	पत्थलगांव	15/01/2016	सुन्दर पटेल ग्राम कोतबा तह0 पत्थलगांव जिला जशपुर	कोतबा	100	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 5.00 क्विंटल धान शासन के पक्ष में राजसात किया गया। राजसात धान समर्थन मूल्य की राशि रु0 7000/- शासकीय मद में जमा कराया गया।
6	पत्थलगांव	15/01/2016	बसंत गुप्ता ग्राम कोतबा तह0 पत्थलगांव जिला जशपुर	कोतबा	51.20	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 6.30 क्विंटल धान शासन के पक्ष में राजसात किया गया। राजसात धान समर्थन मूल्य की राशि रु0 8820/- शासकीय मद में जमा कराया गया।
7	पत्थलगांव	15/01/2016	शिवनरायण चौधरी ग्राम कोतबा तह0 पत्थलगांव जिला जशपुर	कोतबा	121.20	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 6.80 क्विंटल धान शासन के पक्ष में राजसात किया गया। राजसात धान समर्थन मूल्य की राशि रु0 9520/- शासकीय मद में जमा कराया गया।

8	पत्थलगांव	15/01/2016	महेन्द्र कुमार कंवर ग्राम झिक्की, तह0 पत्थलगांव जिला जशपुर	कोतबा	93.60	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 2.68 क्विंटल धान शासन के पक्ष में राजसात किया गया। राजसात धान समर्थन मूल्य की राशि रु0 6552/- शासकीय मद में जमा कराया गया।
9	पत्थलगांव	15/01/2016	दशरथ कंवर ग्राम गोलियागढ तह0 पत्थलगांव जिला जशपुर	कोतबा	20.80	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 2.08 क्विंटल धान शासन के पक्ष में राजसात किया गया। राजसात धान समर्थन मूल्य की राशि रु0 2912/- शासकीय मद में जमा कराया गया।
10	पत्थलगांव	15/01/2016	कामेश्वर पैकरा ग्राम आमाटोली तह0 पत्थलगांव जिला जशपुर	कोतबा	120	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 12.00 क्विंटल धान शासन के पक्ष में राजसात किया गया। राजसात धान समर्थन मूल्य की राशि रु0 16800/- शासकीय मद में जमा करने पर जप्त धान जप्ती से मुक्त किए जाने का आदेश दिया गया।
11	कुनकुरी	15/01/2016	1. रवि सोनी आ0 रव. परमेश्वर सोनी कम्प्यूटर ऑपरेटर आ.जा.से. सह. सह. समिति नारायणपुर निवासरी ग्राम पुरानी बरती तह. कुनकुरी जिला जशपुर 2. ललित आ0 खाया, निवासी ग्राम नारायणपुर तह. कुनकुरी जिला जशपुर 3. राजेश एक्का पिता करलुस एक्का निवासी ग्राम नारायणपुर तह. कुनकुरी जिला जशपुर	नारायणपुर	40.80	न्यायालय कलेक्टर जशपुर द्वारा जप्त धान में से 2.54 क्विंटल धान शासन के पक्ष में राजसात किया गया। राजसात धान के समर्थन मूल्य की राशि रु. 3556/- शासकीय मद में जमा किए जाने पर जप्त धान एवं ट्रेक्टर मय ट्राली को जप्ती से तथा जमानत पर पेश ऋण पुस्तिका को जप्ती से मुक्त किए जाने का आदेश दिया गया।

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 76) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक की अवधि में रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल द्वारा किए गए वृक्षारोपण की परिक्षेत्रवार, संख्यावार सुरक्षित पौधों की संख्या की जानकारी

वर्ष	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	वन मंडल	परिक्षेत्र का नाम	रोपित पौधों की संख्या	सुरक्षित पौधों की संख्या (जीवित पौधों की संख्या)	सुरक्षित पौधों का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	
2017-18	वन विभाग	रायगढ़	सारगढ़	45641	26476	58.01	
			तमनार	83140	30879	37.14	
			घरघोडा	78150	31727	40.60	
			रायगढ़	49300	9921	20.12	
			खरसिया	57040	21373	37.47	
		योग रायगढ़ वनमण्डल --			313271	120376	38.43
		धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	27980	20985	75.00	
			ढाल	108960	54480	50.00	
			वारी	27000	13500	50.00	
			वाकारुमा	38040	24726	65.00	
			कापू	52000	17430	33.52	
			जेल्गुमा	96080	59858	62.30	
योग धरमजयगढ़ वनमण्डल --			350060	190979	54.56		
योग वन विभाग				663331	311355	46.94	

वर्ष	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	वन मंडल	परिक्षेत्र का नाम	रोपित पौधों की संख्या	सुरक्षित पौधों की संख्या (जीवित पौधों की संख्या)	सुरक्षित पौधों का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	
2017-18	वन विकास निगम	औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, रायगढ़	रायगढ़	70000	65667	93.81	
			धरमजयगढ़	7000	6596	94.23	
			तमनार	30500	28536	93.56	
			छाल	7905	7431	94.00	
	योग वन विकास निगम			115405	108230	93.78	
		योग 2017-18		778736	419585	53.88	
2018-19 तक	वन विभाग	रायगढ़	सारंगढ़	439483	427362	97.24	
			तमनार	95460	50504	52.91	
			घरघोड़ा	126130	94467	74.90	
			रायगढ़	46974	26107	55.58	
			खरसिया	82965	25824	31.13	
		योग रायगढ़ वनमण्डल -			791012	624264	78.92
		धरमजयगढ़	छाल	278000	227657	81.89	
			कापू	154000	133100	86.43	
धरमजयगढ़	246222		214092	86.95			

वर्ष	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	वन मंडल	परिक्षेत्र का नाम	रोपित पौधों की संख्या	सुरक्षित पौधों की संख्या (जीवित पौधों की संख्या)	सुरक्षित पौधों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2018-19 तक	वन विभाग		लैलूंगा	335522	283288	84.43
			बाकारुमा	100000	76000	76.00
			बोरो	40000	31200	78.00
		योग धरमजयगढ़ वनमण्डल -		1153744	965337	83.67
	योग वन विभाग			1944756	1589601	81.74
2018-19 तक	वन विकास निगम	औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, रायगढ़	धरमजयगढ़	7500	6941	92.55
			छाल	10000	9545	95.45
			तमनार	25000	24380	97.52
			रायगढ़	30000	28668	95.56
			रायगढ़	33000	28661	86.85
	योग वन विकास निगम			105500	98195	93.08
		योग 2018-19		2050256	1687796	82.32

परिशिष्ट "छब्बीस"
[अतारंकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 980) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष	प्रदेश में आंकलित बाघों की कुल संख्या	टायगर रिजर्ववार आंकलित बाघों की संख्या			रिजर्व फॉरेस्ट, अग्यारण्य, लैण्डस्कैप में	रिमार्क
		अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर	उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर	इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर		
1	2	3	4	5	6	
2010	26	12	8	5	1	आदिलाबाद खम्मम एवं इन्द्रावती टायगर रिजर्व लैण्डस्कैप तथा उदन्ती-सीतानदी टा. रि. एवं सोनाबेड़ा लैण्डस्कैप को संबद्ध कर रिपोर्ट तैयार की गई है।
2014	46	11	04	12	19	-

परिशिष्ट "सनाईस"
[अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1286) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र सिहावा में धान उपार्जन, किसानों को भुगतान एवं भुगतान शेष

मात्रा क्विंटल व राशि लाख में

क्र०	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या	उपार्जित धान दिनांक 30-01-2019 तक		उपार्जित धान दिनांक 31-01-2019 तक		दिनांक 19-02-2019 तक ऑनलाईन भुगतान की गई राशि			दिनांक 19-02-2019 की स्थिति में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान		
				मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	समर्थन मूल्य राशि	प्रोत्साहन राशि 300 रु प्रति क्विंटल	योग	प्राप्त योग्य राशि	भुगतान राशि	भुगतान शेष
1	ककरेल	माकरदोना	935	44978.80	11.4 47	44987.60	1124.69	794.76	134.96	929.72	194.97	142.10	52.87
2	ककरेल	सलीनी	1236	53242.80	1331.07	53267.80	1331.69	940.93	159.80	1100.73	230.96	168.24	62.72
3	कपालफोडी	अमलीडीह	425	18908.40	472.71	18908.40	472.71	332.11	56.73	388.84	83.87	61.52	22.35
4	कपालफोडी	कपालफोडी	439	18610.80	465.27	18520.80	465.52	327.00	55.86	382.86	82.86	60.34	22.02
5	खिसोरा	खिसोरा	1135	54039.20	1350.98	54054.80	1351.37	947.51	162.16	1109.67	241.40	176.13	65.23
6	खिसोरा	नवागाव	687	33610.00	840.25	33616.00	840.40	590.85	100.85	691.70	148.70	108.10	41.60
7	गट्टासिल्ली	केरगाव	532	27118.60	672.97	27118.80	672.97	479.37	81.06	560.73	117.24	86.53	30.71
8	गट्टासिल्ली	गट्टासिल्ली	1024	54139.20	1353.46	54139.20	1353.48	957.68	162.42	1120.10	233.38	172.07	61.31
9	गट्टासिल्ली	डोंगरडूला	925	49804.00	1245.10	49804.00	1245.10	850.73	149.41	1030.14	214.96	158.61	56.35
10	घुटकेल	कसपूर	554	32949.20	823.73	32949.20	823.73	582.63	98.85	681.48	142.25	142.25	0.00
11	घुटकेल	घुटकेल	365	17771.20	444.28	17771.20	444.28	314.53	53.31	367.84	76.44	17.09	59.34
12	नगरी	नगरी	1302	64013.60	1600.34	64013.60	1600.34	1131.57	192.04	1323.61	276.73	276.73	0.00
13	नगरी	फरसिया	806	42641.60	1066.04	42641.60	1066.04	754.11	127.92	882.03	184.01	65.09	118.92
14	बेलरगांव	बेलरगांव	1110	59967.46	1499.19	59967.46	1499.19	1059.42	179.90	1239.32	259.87	189.52	70.35
15	बेलरगांव	सेम्हरा	877	42215.00	1055.38	42255.00	1056.38	747.29	126.77	874.06	182.32	132.67	49.65
16	बेलरदोना	बेलरदोना	1278	56218.80	1405.47	56236.40	1405.91	990.49	168.71	1159.20	246.71	179.75	66.96
17	बोरसी	बोरसी	1027	50031.60	1250.79	50062.80	1251.57	883.90	150.19	1034.09	217.48	159.46	58.02
18	मगरलोड	करेलीछोटी	749	36008.80	900.22	36008.80	900.22	634.19	108.03	742.22	158.00	115.60	42.40
19	मगरलोड	मगरलोड	1493	66589.60	1664.74	66626.40	1665.66	1171.07	199.88	1370.95	294.71	216.35	78.36
20	मोहदी	मोहदी	1396	61910.80	1547.77	61964.80	1549.12	1091.15	185.98	1277.03	272.09	198.25	73.84
21	साकरा	उमरगांव	579	29632.40	740.61	29632.40	740.61	523.99	88.50	612.49	117.93	93.19	34.74
22	साकरा	बेलरबाहरा	433	24541.40	613.54	24541.40	613.54	433.77	73.62	507.39	106.15	77.34	28.81
23	साकरा	साकरा	1425	65818.80	1645.47	65818.80	1645.47	1153.55	197.46	1351.01	284.46	207.20	77.17
24	सिंगपूर	मोहरा	486	27016.00	675.40	27016.00	675.40	476.80	61.05	537.85	117.36	85.55	31.81
25	सिंगपूर	सिंगपूर	1387	75303.60	1882.59	75303.60	1882.58	1330.40	225.91	1556.31	326.27	237.68	88.59
26	सिहावा	घट्टला	1120	55706.80	1392.67	55706.80	1392.67	985.40	167.12	1152.52	240.15	240.15	0.00
27	सिहावा	सिहावा	795	38872.00	971.80	38872.00	971.80	687.20	115.60	802.80	167.98	57.21	110.77
विधानसभा क्षेत्र सिहावा का योग			4434	120160.66	3004.53	120190.46	3004.64	21212.99	3605.71	24818.59	5229.05	3825.11	1403.94

A-73

[5 मार्च, 2019]

परिशिष्ट "अट्ठाईस"
[अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1287) की जानकारी]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में पीडीएस के अंतर्गत प्रदाय राशन सामग्री की मात्रा एवं दर की जानकारी

क.	योजना का नाम					
		खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड आर्थाडाईज्ड अमृत नमक	मिट्टीतेल	चना
1	प्राथमिकता (नीला) राशनकार्ड	7 किलो प्रति सदस्य, 1 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम 17.00 रु. प्रतिकिलो की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार (निःशुल्क)	नगरीय क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम - 2 लीटर तथा अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर, न्यूनतम 30 रु. एवं अधिकतम 32 रु. प्रति लीटर की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	अनुसूचित विकासखण्ड क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किलो 5 रु. प्रतिकिलो की दर से
2	अन्त्योदय (गुलाबी) राशनकार्ड	35 किलो, 1 रूपए प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
3	अन्नपूर्णा (स्पेशल गुलाबी)	10 किलो निःशुल्क, 25 किलो 1 रूपए प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड				
4.	एकल निराश्रित (गुलाबी)	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड	निरक	निरक	निरक	निरक
5.	निःशक्तजन (हरा) राशनकार्ड	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशनकार्ड				

परिशिष्ट "उन्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1303) की जानकारी]

वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवेदन, लाभान्वित हितग्राही, लंबित प्रकरण की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	प्राप्त आवेदनों की संख्या	लाभान्वित हितग्राही	लंबित प्रकरण (2017-18 में स्वीकृत)
1	कोण्डागांव	384	168	158
2	माकडी	585	144	369
3	बडेराजपुर	164	42	90
4	केशकाल	315	104	163
5	फरसगांव	161	64	61
	कुल	1609	522	841

वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवेदन, लाभान्वित हितग्राही, लंबित प्रकरण की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकास खण्ड	प्राप्त आवेदनों की संख्या	लाभान्वित हितग्राही	लंबित प्रकरण (2018-19 में स्वीकृत)
1	कोण्डागांव	461	293	92
2	माकडी	638	318	272
3	बडेराजपुर	388	288	71
4	केशकाल	545	222	215
5	फरसगांव	450	263	139
	कुल	2482	1384	789

परिशिष्ट "तीस"
[अतारंकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1343) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण							किये गये कार्य पर व्यय का विवरण					रिमार्क
		मार्ग				पुल-पुलिया			मार्ग		पुल-पुलिया		योग राशि (रु.में)	
		नाम	प्रकार	लंबाई (कि.मी.)	राशि (रु.में)	संख्या	राशि (रु.में)	योग राशि (रु.में)	लंबाई (कि.मी.)	राशि (रु.में)	संख्या	राशि (रु.में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2016-17	तालगाव से सेमरकोना	वनमार्ग	2.5	200000	0	0	200000	2.5	176181	0	0	176181	मरम्मत कार्य
2		सानी मों से बडभूम	वनमार्ग	0	0	1	30000	30000	0	0	1	29740	29740	मरम्मत कार्य
3		बोरिकला से आगपानी	वनमार्ग	6	29000	0	0	29000	6	28086	0	0	28086	मरम्मत कार्य
4		जगतारा से मडवापथला	वनमार्ग	2	10000	0	0	10000	2	9840	0	0	9840	मरम्मत कार्य
5		जगतारा से खैरडिगी	वनमार्ग	6	52500	0	0	52500	6	52002	0	0	52002	मरम्मत कार्य
6		मरकाटोला से नगबेलडीह	वनमार्ग	2	15000	0	0	15000	2	14700	0	0	14700	मरम्मत कार्य
7		घिरघारी से हितोकसा तक	वनमार्ग	10	60000	0	0	60000	10	48244	0	0	48244	मरम्मत कार्य
8		कोसमी से मंगधुवा तक	वनमार्ग	8	39000	0	0	39000	8	38643	0	0	38643	मरम्मत कार्य
9		धानापुरी से ओडेनाडीह तक	वनमार्ग	2.2	10000	0	0	10000	2.2	9840	0	0	9840	मरम्मत कार्य
10		ओडेनाडीह से फूटहालारी तक	वनमार्ग	1.6	9500	0	0	9500	1.6	9402	0	0	9402	मरम्मत कार्य
11		करियाटोला से चुल्हापथरा चौक तक	वनमार्ग	3	16000	0	0	16000	3	15935	0	0	15935	मरम्मत कार्य
12		पेटेघुवा से मंगलराई	वनमार्ग	2.5	2335000	0	0	2335000	2.5	2268079	0	0	2268079	उन्नयन कार्य
13		भेजा चौक से मंगलराई	वनमार्ग	2	1872000	0	0	1872000	2	1804703	0	0	1804703	उन्नयन कार्य
14		भेजा नाला से ककालीन मंदिर	वनमार्ग	2.4	2233000	0	0	2233000	2.4	2132643	0	0	2132643	उन्नयन कार्य
15		भैसबोड से दल्लीमुख्य मार्ग	अन्य मार्ग	2	1836000	0	0	1836000	0	0	0	0	0	मु.का अधिकारी जिला पंचायत बालोद द्वारा पत्र क्र. / 8073 दि. 11.01.2017 द्वारा पहचान मार्ग के कार्य को प्रारम्भ न किये जाने के निर्देश दिये गये।
16		दहान से भैसबोड	अन्य मार्ग	1.6	1473000	0	0	1473000	0.985	11857	0	0	11857	मार्ग साफ रफाई पर व्यय
17		सानी मों से सियादेवी	अन्य मार्ग	2.8	2562000	0	0	2562000	0.770	116399	0	0	116399	साफ रफाई, दाग बेल, मिट्टी कार्य पर व्यय
18		मंगधुवा से शक्कर कारखाना तक	अन्य मार्ग	3.1	3139000	0	0	3139000	3.1	2944622	0	0	2944622	उन्नयन कार्य
			59.7	15891000	1	30000	15921000	55.055	9681176	1	29740	9710916		

क.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण							किये गये कार्य पर व्यय का विवरण					रिमार्क
		मार्ग				पुल-पुलिया		योग राशि (रु. में)	मार्ग		पुल-पुलिया		योग राशि (रु. में)	
		संख्या	राशि (रु. में)	लंबाई (कि.मी.)	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)		संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2017-18	दानीटोला से देहान	वनमार्ग	5	46000	0	0	46000	5	45480	0	0	45480	मरम्मत कार्य
2		अमलीडीह से रामनगर	वनमार्ग	6	44000	0	0	44000	6	43661	0	0	43661	मरम्मत कार्य
3		बोरिकला से आमापानी	वनमार्ग	6	90000	0	0	90000	6	89965	0	0	89965	मरम्मत कार्य
4		जगतरा से मड़वापथरा	वनमार्ग	2	25000	0	0	25000	2	24738	0	0	24738	मरम्मत कार्य
5		जगतरा से खैरडिगी	वनमार्ग	6	55000	1	30000	85000	6	54670	1	26865	81535	मरम्मत कार्य
6		भेजा नाला से कंकालीन मंदिर	वनमार्ग	3	24000	0	0	24000	3	23969	0	0	23969	मरम्मत कार्य
7		मरकाटोला से नगबेलडीह	वनमार्ग	2	30000	0	0	30000	2	29878	0	0	29878	मरम्मत कार्य
8		नगबेलडीह से कंकालीन	वनमार्ग	1	15000	0	0	15000	1	14782	0	0	14782	मरम्मत कार्य
9		धिरघारी से हितेकसा तक	वनमार्ग	10	150000	0	0	150000	10	149837	0	0	149837	मरम्मत कार्य
10		कोसमी से मंगचुवा तक	वनमार्ग	8	80000	3	40000	120000	8	76203	3	33680	109883	मरम्मत कार्य
11		धानपुरी से ओडेनाडीह तक	वनमार्ग	2.2	40000	0	0	40000	2.2	37484	0	0	37484	मरम्मत कार्य
12		ओडेनाडीह से फूटहालारी तक	वनमार्ग	1.6	20000	1	10000	30000	1.6	19913	1	5769	25682	मरम्मत कार्य
13		करियाटोला से बुल्हापथरा चौक तक	वनमार्ग	3	20000	0	0	20000	3	18154	0	0	18154	मरम्मत कार्य
14		दानीटोला से देहान	वनमार्ग	0	0	2	1000000	1000000	0	0	2	998115	998115	मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य
15		भेजा चौक से मंगलतराई	वनमार्ग	0	0	1	500000	500000	0	0	1	499910	499910	मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य
16		धिरघारी से हितेकसा तक	वनमार्ग	0	0	1	500000	500000	0	0	1	499993	499993	मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य

क.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण							किये गये कार्य पर व्यय का विवरण					शिर्षक
		मार्ग				पुल- पुलिया			मार्ग		पुल- पुलिया		योग राशि (रु.में)	
		नाम	प्रकार	लंबाई (कि.मी.)	राशि (रु.में)	संख्या	राशि (रु.में)	योग राशि (रु.में)	लंबाई (कि.मी.)	राशि (रु.में)	संख्या	राशि (रु.में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2018-19 (माह जनवरी 2019 तक)	तालगाव से सेमरकोना	वनमार्ग	2.5	25000	0	0	25000	2.5	24820	0	0	24820	मरम्मत कार्य
2		रानी गाँ से बड़भूम	वनमार्ग	2	90000	0	0	90000	2	83140	0	0	83140	मरम्मत कार्य
3		अमलीडीह से रामनगर	वनमार्ग	5	500000	0	0	500000	5	431888	0	0	431888	मरम्मत कार्य
4		बोरिकला से आमापानी	वनमार्ग	6	40000	0	0	40000	6	35910	0	0	35910	मरम्मत कार्य
5		जगतरा से मड़वापथरा	वनमार्ग	2	15000	0	0	15000	2	11880	0	0	11880	मरम्मत कार्य
6		जगतरा से खैरडिगी	वनमार्ग	6	40000	0	0	40000	6	35910	0	0	35910	मरम्मत कार्य
7		भेजा चौक से मंगलतराई	वनमार्ग	2	10000	0	0	10000	2	7830	0	0	7830	मरम्मत कार्य
8		भेजा नाला से ककालीन मंदिर	वनमार्ग	3	20000	0	0	20000	3	18090	0	0	18090	मरम्मत कार्य
9		मरकाटोला से नगबेलडीह	वनमार्ग	2	15000	1	30000	45000	2	11880	1	20398	32278	मरम्मत कार्य
10		नगबेलडीह से ककालीन	वनमार्ग	1	10000	0	0	10000	1	6072	0	0	6072	मरम्मत कार्य
11		चिरघारी से हितेकसा तक	वनमार्ग	10	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	मरम्मत कार्य
12		कोसमी से मंगचुवा तक	वनमार्ग	8	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	मरम्मत कार्य
13		धानापुरी से ओडेनाडीह तक	वनमार्ग	2.2	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	मरम्मत कार्य
14		ओडेनाडीह से फूटहालाडी तक	वनमार्ग	1.6	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	मरम्मत कार्य
15		करियाटोला से बुल्हापथरा चौक तक	वनमार्ग	3	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	मरम्मत कार्य
16		तालगाव से सेमरकोना	वनमार्ग	0	0	1	500000	500000	0	0	1	362684	362684	पुलिया निर्माण कार्य
17		जगतरा से खैरडिगी	वनमार्ग	1	1510000	1	500000	2010000	0	0	1	10925	10925	मार्ग उन्नयन एवं पुलिया निर्माण कार्य
18		कोसमी से मंगचुवा तक	वनमार्ग	0	0	1	500000	500000	0	0	1	10925	10925	पुलिया निर्माण कार्य
19		दानीटोला से देहान	वनमार्ग	5	7550000	0	0	7550000	0	0	0	0	0	उन्नयन कार्य
योग (2018-19)				62.3	9995000	4	1530000	11525000	31.5	667420	4	404932	1072352	

(राशि रुपये में)

क्रमांक	सभाग का नाम	जिला	वर्ष	वनमण्डल का नाम	जनहानि			मकान क्षति		
					प्रकरण संख्या	निर्धारित सहायता राशि	वितरित सहायता राशि	प्रकरण संख्या	निर्धारित सहायता राशि	वितरित सहायता राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सरगुजा	सरगुजा	2016-16	सरगुजा	9	3600000	3600000	580	5482403	5482403
2	"	सूरजपुर	"	सूरजपुर	3	900000	900000	615	2925018	2925018
	"	"	"	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	0	0	0	16	140000	140000
3	"	बलरामपुर	"	बलरामपुर	7	2800000	2800000	292	3899565	3899565
	"	"	"	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	1	400000	400000	25	163860	163860
4	"	कोरिया	"	कोरिया	2	800000	800000	42	422495	422495
	"	"	"	गुरु घासीदास रा.उ.	0	0	0	5	10500	10500
5	"	"	"	मनेन्द्रगढ़	1	400000	400000	15	125260	125260
6	"	जशपुर	"	जशपुर	7	2800000	2800000	782	6546245	6546245
	"	"	"	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	0	0	0	0	0	0
योग :-					30	11700000	11700000	2372	19715346	19715346
1	सरगुजा	सरगुजा	2016-17	सरगुजा	10	4000000	4000000	502	9285416	9285416
2	"	सूरजपुर	"	सूरजपुर	17	6800000	6800000	242	2723082	2723082
	"	"	"	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	0	0	0	30	160100	160100
3	"	बलरामपुर	"	बलरामपुर	8	3200000	3200000	310	10346426	10346426
	"	"	"	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	0	0	0	10	663365	663365
4	"	कोरिया	"	कोरिया	0	0	0	15	52770	52770
	"	"	"	गुरु घासीदास रा.उ.	0	0	0	9	46558	46558
5	"	"	"	मनेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0
6	"	जशपुर	"	जशपुर	15	6000000	6000000	742	8868369	8868369
	"	"	"	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	0	0	0	0	0	0
योग :-					50	20000000	20000000	1860	32146086	32146086
1	सरगुजा	सरगुजा	2017-18	सरगुजा	13	5200000	5200000	501	17873790	17873790
2	"	सूरजपुर	"	सूरजपुर	16	6400000	6400000	778	8068021	8068021
	"	"	"	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	0	0	0	8	33000	33000
3	"	बलरामपुर	"	बलरामपुर	7	2800000	2800000	316	21259183	21259183
	"	"	"	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	0	0	0	25	721830	721830
4	"	कोरिया	"	कोरिया	0	0	0	21	39227	39227
	"	"	"	गुरु घासीदास रा.उ.	0	0	0	7	123880	123880
5	"	"	"	मनेन्द्रगढ़	0	0	0	7	44600	44600
6	"	जशपुर	"	जशपुर	6	2400000	2400000	365	2838725	2838725
	"	"	"	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	0	0	0	0	0	0
योग :-					42	16800000	16800000	2028	51002256	51002256
महायोग :-					122	48500000	48500000	6760	107863689	107863689

[अतिरिक्त प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1479) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

परिशिष्ट "इकतीस"

प्रश्न "अ"

A-79

[5 मार्च, 2019]

प्रपत्र "ब"

1. हाथी रहवास क्षेत्र का विकास :-

जंगली हाथी वन क्षेत्र से बाहर न आने पाये इस हेतु शासन द्वारा संचालित गजराज योजना के अंतर्गत हाथी रहवास क्षेत्रों एवं कॉरिडोर क्षेत्र में जल स्रोतों का निर्माण, फलदार पौधों का रोपण, धारागाह का विकास कार्य, अग्नि सुरक्षा इत्यादि रहवास क्षेत्रों के विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

2. मानव-हाथी द्वंद्व की रोकथाम :-

- जंगली हाथियों से जन-धन की क्षति की रोकथाम हेतु हाथी प्रभावित गांव में गीतों/मुक्कड़ नाटकों, द्वार-द्वार प्रचार, रैली, कार्यशाला, इत्यादि के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बचाव के उपायों में दिव्यों तथा पोस्टरों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। प्रभावित गांवों में संयुक्त वन प्रबंध समिति/हाथी मित्र दल को बचाव की विभिन्न तकनीक से प्रशिक्षित किया जा रहा है एवं तकनीकी के उपयोग करने हेतु संसाधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आकाशवाणी केन्द्र के माध्यम से हाथी विचरण की जानकारी प्रतिदिन प्रसारित की जा रही है, ताकि जिन क्षेत्रों में हाथी विचरण कर रहे हैं, वहां के ग्रामवासियों को हाथियों की उपस्थिति की सूचना पूर्व में ही प्राप्त हो जाये तथा हाथी से बचाव की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। जंगली हाथियों पर सतत निगरानी रखने हेतु 08 चलित हाथी सुरक्षा दस्तों का गठन कर जंगली हाथियों की गतिविधियों पर दिन एवं रात में लगातार निगरानी की जा रही है। एलीफेन्ट कॉरिडोर क्षेत्र में हाथियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आने से रोकने हेतु चलित पावर फेंसिंग तथा सोलर पावर फेंसिंग का उपयोग किया जा रहा है।

भारतीय बन्द्यजीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों द्वारा मानव-हाथी द्वंद्व को नियंत्रित करने एवं गुरुघासी दास राष्ट्रीय उद्यान तथा एलीफेन्ट रिजर्व (तमोर पिंगला, सेमरसीत एवं बादलखोल अभ्यारण्य) की सीमाओं के अंतर्गत जंगली हाथियों की गतिविधियों को सीमित रखे जाने हेतु शोध कार्य किया जा रहा है। संस्थान द्वारा शोध उपरांत प्रस्तुत किये जाने वाले उपायों का क्रियान्वयन मानव-हाथी द्वंद्व की रोकथाम एवं हाथी प्रबंधन में किया जावेगा। हाथियों द्वारा की जाने वाली जन-धन की क्षति की मुआवजा राशि का भुगतान प्रभावितों को शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिकता से किया जा रहा है।

• हाथी बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र का निर्माण :-

सूरजपुर वनमण्डल के रमकोला बाट में हाथी बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र पिंगला का निर्माण किया गया है जिसमें समस्या मूलक हाथियों को पकड़ कर सुधार हेतु रखा जा रहा है वर्तमान में इस केन्द्र में 02 समस्या मूलक हाथियों को अचानकमार टायगर रिजर्व से लाकर रखा गया है।

• जंगली हाथियों की रेडियों कॉलरिंग :-

हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए 12 हाथियों को सेटलाइट रेडियों कॉलर करने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाकर, अब तक 04 जंगली हाथियों (महासमुंद वनमण्डल में 01, बलरामपुर वनमण्डल में 01, सरगुजा वनमण्डल में 01 तथा सूरजपुर वनमण्डल में 01) को सेटलाइट रेडियों कॉलर लगाया गया है। इन हाथियों के विचरण क्षेत्र की जानकारी प्रतिदिन सेटलाइट के माध्यम से प्राप्त कर तात्कालिक प्रबंधन रणनीति तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है।

परिशिष्ट "बत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1514) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

राशि (रुपये में)

क्र.	वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र	वनमण्डल	परिक्षेत्र	जामवंत परियोजना के अंतर्गत परिक्षेत्र को आवंटित राशि	भालू के हमले से प्रभावितों की संख्या	जनहानि			जनघायल			फसलहानि					
								प्रकरण संख्या	निर्धारित सहायता राशि	वितरित सहायता राशि	प्रकरण संख्या	निर्धारित सहायता राशि	वितरित सहायता राशि	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)	निर्धारित सहायता राशि	वितरित सहायता राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2017-18	कांकेर	79-अंतागढ़	पूर्व भानुप्रतापपुर	अंतागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					आमाबेड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				पश्चिम भानुप्रतापपुर	कापसी	0	1	0	0	0	1	5000	5000	0	0	0	0	0	0
					पूर्व परलकोट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					पश्चिम परलकोट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					कोयलीबेड़ा	0	1	0	0	0	1	3647	3647	0	0	0	0	0	0
				योग (अंतागढ़ विधानसभा):-						0	2	0	0	0	2	8647	8647	0	0
2	2017-18	कांकेर	80- भानुप्रतापपुर	कांकेर	चारामा	5000000	1	0	0	0	1	13552	13552	0	0	0	0		
					कोरर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					दुर्गूकोदल	0	1	0	0	0	1	25712	25712	0	0	0	0	0	
योग (भानुप्रतापपुर विधानसभा):-						5000000	2	0	0	0	2	39264	39264	0	0	0	0		
3	2017-18	कांकेर	81-कांकेर	कांकेर	कांकेर	0	5	0	0	0	5	230985	230985	0	0	0	0		
					सरोना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					नरहपुर	0	1	0	0	0	1	13635	13635	0	0	0	0		
				योग (कांकेर विधानसभा):-						0	6	0	0	6	244620	244620	0	0	0
योग(2017-18 कांकेर जिला):-						5000000	10	0	0	0	10	292531	292531	0	0	0	0		

राशि (रुपये में)

क्र.	वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र	वनमण्डल	परिक्षेत्र	जामवंत परियोजना के अंतर्गत परिक्षेत्र को आवंटित राशि	भालू के हमले से प्रभावितों की संख्या	जनहानि			जनघायल			फसलहानि									
								प्रकरण संख्या	निर्धारित सहायता राशि	वितरित सहायता राशि	प्रकरण संख्या	निर्धारित सहायता राशि	वितरित सहायता राशि	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)	निर्धारित सहायता राशि	वितरित सहायता राशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
4	2018-19 (31 जनवरी 2019 तक)	कांकेर	79-अंतागढ़	पूर्व भानुप्रतापपुर	अंतागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					आमाबेड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				पश्चिम भानुप्रतापपुर	कापसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					पूर्व परलकोट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				पश्चिम परलकोट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				कोयलीबेड़ा	0	1	0	0	0	1	0	500	0	0	0	0	0	0	0				
योग(अंतागढ़ विधानसभा) :-						0	1	0	0	0	1	0	500	0	0	0	0						
5			2018-19 (31 जनवरी 2019 तक)	कांकेर	80- भानुप्रतापपुर	कांकेर	चारामा	3607500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							कोरर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							दुर्गुकोदल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
योग(भानुप्रतापपुर विधानसभा) :-						3607500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6					2018-19 (31 जनवरी 2019 तक)	कांकेर	81-कांकेर	कांकेर	कांकेर	6430000	5	1	400000	400000	4	7666	7666	0	0	0	0		
									सरोना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									नरहपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								योग(कांकेर विधानसभा) :-						6430000	5	1	400000	400000	4	7666	7666	0	0
योग(2018-19 कांकेर जिला):-							10037500	6	1	400000	400000	5	7666	8166	0	0	0	0					
कुल योग (2017-18 + 2018-19) :-							15037500	16	1	400000	400000	15	300197	300697	0	0	0	0					

परिशिष्ट "तैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1560) के भाग (क) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र तखतपुर के अंतर्गत 25 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि की स्थापित विद्युत लाईनों के ग्रामों की सूची

क्र०	ग्राम का नाम	क्र०	ग्राम का नाम	क्र०	ग्राम का नाम	क्र०	ग्राम का नाम	क्र०	ग्राम का नाम	क्र०	ग्राम का नाम
1	खरगहना	30	कुरेली	59	चोरभट्टी कला	88	अमने	117	टिकरी	146	करही
2	गौबध	31	ठाकुरकापा	60	बेलटुकरी	89	पोंगरिया	118	कठमुडा	147	खटोला
3	लभेर	32	सिंघरी	61	गनियारी	90	कठमुडा माल	119	सिंघनपुरी बाजार	148	कुआ
4	घुटकू	33	कोपरा	62	भाडम	91	जुनापारा	120	टिंगीपुर	149	गुनसरी
5	निरतु	34	सैदा	63	जोंकी	92	निगारबंध	121	बेलसरा	150	पिपरहट्टा
6	तुरकाडीह	35	धुरु	64	भिलौनी	93	राजाकापा	122	दर्शी	151	टिमडी
7	कबराकापा	36	मेन्डा	65	खजुरी नवागाँव	94	पण्डरैया	123	छिरहाकापा	152	पंढरहट्टा
8	गुरु	37	पाउ	66	बरगन	95	टिहुलाडीह	124	साल्हेकापा	153	सकरी
9	पथराली	38	बहलराई	67	साम्हेपुर	96	देवरी	125	गौहाकापा	154	नगौई
10	पाली	39	सलामपुरी	68	बिजयपुर	97	सांगंधा	126	पकरिया	155	दितावर
11	बोडसरा	40	दवना	69	लिम्ही	98	कठमुडा रैत	127	खटोलिया	156	जरीधा
12	छतौना	41	बिद्धयासार	70	लिमहा	99	रानीडेरा	128	नवागाँव	157	कोडे
13	वेनमुडे	42	काठाकोनी	71	सिलतरा	100	खुडियाडीह	129	बीजा	158	खैरी
14	अमसेना	43	बिनीरी	72	ढनढन	101	चोरमा	130	दैजा	159	मोछ
15	बूटेना	44	पेंडारी	73	बिचारपुर	102	देवतरा	131	बघेलकापा	160	गिरौना
16	उडेली	45	अमेरी	74	कचनपुर	103	देवतरी	132	देवरीखुद	161	गोकुलपुर
17	सकरा	46	उसलापुर	75	सावंतपुर रैत	104	नेवसा	133	खम्हरिया	162	पथरी
18	चिचिरदा	47	हांफा	76	पोडी	105	डोमनपुर	134	गगजू	163	कलमीटार
19	मेडपार छोटा	48	सरसेनी	77	खम्हरिया	106	बहुरता	135	सफरीभाटा	164	कपशिया खुर्द
20	झिघौरा	49	पोडी	78	कोडासर	107	पुरा	136	बेलगहना	165	कपशिया कला
21	खरकेना	50	सामदील	79	सावाडबरा	108	घवैया बेलपान	137	अरईबध	166	दरी नगा
22	लाखासार	51	भखुरी नवापारा	80	उमरिया	109	पण्डाकापा	138	लिदरी	167	ठाडा
23	सागर	52	घोंघाडीह	81	हरदी	110	घोरामाल	139	कमोदा	168	मोहनभाटा
24	केकराई	53	पेण्डी	82	चोरहासिंघनपुरी	111	घोघरा	140	पाली	169	भरारी
25	कोडापुरी	54	चनाडोंगरी	83	भीमपुरी	112	जोगीपुर	141	राजपुर	170	भाडकापा
26	सावाताल	55	परसदा	84	करनकापा	113	सलहैया	142	केक्ती	171	गुडी
27	खजुरीकुरेली	56	देवरीकला	85	चुलघट	114	बांधा	143	अमोली कापा	172	नेवसा
28	मेडपार बाजार	57	भरनी	86	बराही	115	ठाकुरकापा	144	खपरी	173	मरही कापा
29	साकेती	58	चोरभट्टी खुर्द	87	परसाकापा	116	बेलपान	145	जरेली	174	तोखडी

परिशिष्ट "चौतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1654) की जानकारी]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 1983

भाग 1

वन विभाग

भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 1983

क्र. 5-9-83-X-2--- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8233, 3081, दिनांक 18 दिसम्बर 1972 द्वारा गोमर्डा अभ्यारण्य की सीमाएं घोषित की गई थी, राज्य शासन के विचार से वनस्पति वन्य प्राणी, वन्य प्राणी विज्ञान के दृष्टि से इस अभ्यारण्य का समीप का क्षेत्र भी वन्य प्राणी सुरक्षण, प्रसार, विस्तार एवं उनके पर्यावरण के लिये अति महत्व का है अतः राज्य शासन वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गोमर्डा अभ्यारण्य क्षेत्र के विस्तार एवं सीमाएं संशोधित करते हुए नीचे बताए गए परिशिष्ट के विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सारंगढ़, गोमर्डा अभ्यारण्य घोषित करता है :-
परिशिष्ट

जिला — रायगढ़

वनमण्डल — रायगढ़

तहसील — रायगढ़

परिक्षेत्र का नाम — सारंगढ़

अभ्यारण्य का नाम — सारंगढ़ गोमर्डा अभ्यारण्य

अभ्यारण्य का क्षेत्र — 277.82 किलोमीटर

सीमा का विवरण

उत्तर — कक्ष क्रमांक 967, 966, 965 की उत्तरी सीमा, 965 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्रमांक 965 की दक्षिण पश्चिम की नुक्कड़ एवं कक्ष क्रमांक 943 पी. की उत्तर पश्चिम नुक्कड़ को जोड़ते हुये, कक्ष क्रमांक 943 पी. एवं 942 पी. की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्रमांक 942 पी. की दक्षिणी सीमा एवं पूर्वी सीमा, 971 की करीब आधी पश्चिमी सीमा 972, 973, 938 पी. 939 पी. की पश्चिमी सीमा, 936 पी. की उत्तर-पूर्वी सीमा 937 पी. की दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी सीमा 937 पी. का उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा 936 पी., 935 पी. एवं 934 पी. की उत्तरी सीमा, 934 पी. की पश्चिमी सीमा जो लातनाले को कक्ष क्रमांक 933 पी. के उत्तर पश्चिमी नुक्कड़ एवं कक्ष क्रमांक 924 की उत्तरी पूर्वी नुक्कड़ में मिलता है। लातनाला का किनारा कक्ष क्रमांक 927 की उत्तर पूर्वी सीमा तक, 929 की उत्तरी सीमा, 930, 931 की पूर्वी सीमा, 931 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, 931 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, 930 की उत्तरी सीमा, 932 पी. की दोनों भागों की पूर्वी-उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, 886 पी. की पूर्वी सीमा, 887 की दक्षिणी सीमा, 888 की पश्चिमी-दक्षिणी-पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, 887 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, 886 पी. की उत्तरी सीमा, 883 पी. की उत्तरी पूर्वी नुक्कड़, 885 पी. की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, 884 पी. की उत्तरी सीमा, 883 पी. की पश्चिमी सीमा, 888 की उत्तरी सीमा.

पश्चिम — 898, 899 एवं 900, 910 की पश्चिमी सीमा.

दक्षिण — रायपुर जिले की सीमा.

पूर्व — 1008पी, 984, 1009पी, 980पी, 975, 976पी, 974, 977पी, 973, 972, 971, 970 की पूर्वी सीमा, 968 की दक्षिणी सीमा, 978 पी. की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा, 979 पी. की दक्षिणी, पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, 967 की पूर्वी सीमा कटंगी नाला एवं बांध के भाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार
जे.बी. लाल, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 1983

क्र. 15-9-83-दो—भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक 15-8-83-दस-2 दिनांक 12 अप्रैल 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार
जे.बी. लाल, उपसचिव

Bhopal, the 12th April 1983

No. 15-9-83-X-2---Vide this Department's Notification No. 8233-3081, dated the 18th December 1972 boundaries of Gomarda Sanctuary were notified. State Government considers that area adjacent to Gomarda sanctuary is of ecological, faunal, floral and zoological significance for the purpose of protecting propagating and developing wild life and its environment. Hence in exercise of the powers vested under section 18 (1) of Indian Wild Life Protection Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh State Government declares the area specified below in the Schedule as Sarangarh-Gomarda Sanctuary after extending the area and modifying the boundaries of Gomarda Sanctuary.

SCHEDULE

District---Raigarh

Forest Division ---Raigarh

Tahsil ----Sarangarh

Range---Sarangarh

Name of the Sanctuary --- Sarangarh-Gomarda Sanctuary

Area of the Sanctuary --- 277.82 sq. km.

BOUNDARY DESCRIPTION

North.- Northern boundary of Comptt. No. 967, 966, 965 and western boundary of Comptt. No. 965, line joining the south-western corner of 965 and north-western corner of 943P, western boundary of comptt. No. 943P and 942P, southern and eastern boundary of 942P, about half the western boundary 971, western boundary of 972, 973, 938P, 939P north-eastern boundary of 936P, south eastern, eastern, northern and western boundary of 937P, northern boundary of 936P, 935P and 934P, western boundary of 934P which meets the Lath Nala at

the north western corner of 933P and north-eastern corner of 924, bank of Lath Nala up to north-eastern boundary of 927, northern boundary of 929 eastern boundary of 930, 931 northern and western boundary of 931, northern boundary of 930, eastern-northern and western boundary of both the parts of comptt. No. 932P, eastern boundary of 886P, southern boundary of 887, western, southern, eastern and northern boundary of 888, northern and western boundary of 887, northern boundary of 886P, north-eastern corner of 883P, eastern and northern boundary of 885P, northern boundary of 884P, western boundary of 883P, northern boundary of 898.

- west- Western boundary of 898, 899, 900 and comptt. 910
- South- Boundary line of Raipur district.
- East- Eastern boundary of comptt. 1008P, 984, 1009P, 980P, 975, 976P, 974, 977P, 973, 972, 971, 970, southern boundary of 968, western and southern boundary 978P, southern-eastern and northern boundary of 979P, eastern boundary of 967 up to Katangi Nala dam.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh

J.B. Lal, Dy.Secy.

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1675) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 व 2018-19 में सौर सुजला योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों की विकासखण्डवार संख्या

क्र.	विकास खण्ड	प्राप्त आवेदनों की संख्या		
		वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष 2018-19 में प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल
1	बड़ेराजपुर	388	304	692
2	केशकाल	545	198	743
3	फरसगांव	450	283	733
	कुल	1383	785	2168

केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 व 2018-19 में सौर सुजला योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों में से लाभान्वित हितग्राही एवं लंबित आवेदनों की विकासखण्डवार संख्या

क्र.	विकास खण्ड	प्राप्त आवेदनों की संख्या (वर्ष 2017-18 एवं 2018-19)	लाभान्वित हितग्राही	लंबित प्रकरण	निरस्त प्रकरण
1	बड़ेराजपुर	692	538	114	40
2	केशकाल	743	377	186	180
3	फरसगांव	733	547	124	62
	कुल	2168	1462	424	282

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1676) के भाग (ख) की जानकारी]

केशकाल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 में (31 दिसम्बर, 2018 तक) बिना अनुमति के लाल ईट निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	अवैध निर्माणकर्ता का नाम एवं पता	अवैध निर्माण का ग्राम/ तहसील	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	कार्यवाही दिनांक	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	श्री राधेश्याम श्रीवास पिता श्री प्रेमलाल श्रीवास निवासी ग्राम बड़े डोंगर, तहसील फरसगांव, जिला कोण्डागांव	ग्राम बड़े डोंगर, तहसील फरसगांव, जिला कोण्डागांव	139/53	0.324	16.01.2018	रुपये 32,000/- अर्थादण्ड के रूप में प्रस्तावित	कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 3058/खनिज/ अवैध उत्खनन/ 2017-18, कोण्डागांव दिनांक 04.07.2018 विचाराधीन

परिशिष्ट "सैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1691) के भाग (क) की जानकारी]

केलो नदी में पी.एच. घुलित ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कैल्सियम, मैग्नीसियम, फिनाल, आयरन की मात्रा एवं मापदण्डों संबंधी जानकारी

आई.एस. 2296 के अनुसार सतही जल के मानक

क्र.	जल का उपयोग	श्रेणी	मानक
1	नहाने योग्य	बी	टोटल कोलिफार्म एम.पी.एन. - 500 प्रति 100 मिली लीटर पी.एच. - 6.5-8.5 घुलित ऑक्सीजन - न्यूनतम 5.0 मिलीग्राम प्रतिलीटर बायो कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड (5 दिन 20 अंश सेंटीग्रेट) -- 03 मिलीग्राम प्रतिलीटर फिनालिक कम्पाउंड - 0.005 मिलीग्राम प्रतिलीटर टीप - कैल्सियम, मैग्नीसियम, आयरन के मानक इस श्रेणी हेतु निर्धारित नहीं है।

माह जनवरी 2019 में लिये गये जल नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट

क्र.	प्रचालक	यूनिट	मात्रा	
			केलो नदी अप स्ट्रीम, उर्दना के पास	केलो नदी डाउन स्ट्रीम कयाघाट के पास
1	पी एच	पी एच यूनिट	7.5	7.7
2	डिसाल्व आक्सीजन (DO)	मि.ग्रा/ली.	6.9	6.5
3	बी. ओ. डी (3 day 27°C)	मि.ग्रा/ली.	1.1	3.1
4	कैल्सियम	मि.ग्रा/ली	17.1	20.1
5	मैग्नीसियम	मि.ग्रा/ली	4.9	6.08
6	फिनाल	मि.ग्रा/ली.	पता लगाने योग्य सीमा से कम (बी.डी.एल.)	पता लगाने योग्य सीमा से कम (बी.डी.एल.)
7	आयरन	मि.ग्रा/ली.	0.09	0.26

परिशिष्ट "अड़तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1732) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में अवैध कटाई की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	जिला का नाम	वनमण्डल का नाम	अवैध कटाई के दर्ज प्रकरणों की संख्या	दर्ज प्रकरणों पर की गई कार्यवाही		वसूल की गई मात्रा/महशूल की राशि (राशि रु. में)
					अभिसंधानित	प्रकियाधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015-16	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1176	1176	0	94830
			खैरागढ़	1173	1152	21	142382
			पानाबरस परियोजना मण्डल राजनांदगांव (वन विकास निमग)	597	597	0	32188
योग				2946	2925	21	269400
2	2016-17	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1169	1169	0	142738
			खैरागढ़	1006	982	24	17707
			पानाबरस परियोजना मण्डल राजनांदगांव (वन विकास निमग)	267	251	16	3934
योग				2442	2402	40	164379
3	2017-18	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1159	1159	0	60840
			खैरागढ़	1128	1069	59	62979
			पानाबरस परियोजना मण्डल राजनांदगांव (वन विकास निमग)	47	30	17	22422
योग				2334	2258	76	146241
4	2018-19 (31 जनवरी 2019 तक)	राजनांदगांव	राजनांदगांव	959	690	269	42430
			खैरागढ़	670	488	182	39594
			पानाबरस परियोजना मण्डल राजनांदगांव (वन विकास निमग)	41	2	39	13587
योग				1670	1180	490	95611
महायोग				9392	8765	627	675631

परिशिष्ट "उन्वालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 1787) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में 31 जनवरी 2019 की स्थिति में कृषि सिंचाई पम्प के अस्थायी कनेक्शनों की जिलेवार संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	अस्थायी विद्युत कनेक्शनों की संख्या
1	रायपुर	1436
2	धमतरी	1827
3	बलौदाबाजार-भाटापारा	4397
4	महासमुंद	2135
5	गरियाबंद	391
6	दुर्ग	2810
7	बालोद	2588
8	बेमेतरा	3660
9	राजनांदगांव	6132
10	कबीरधाम	3202
11	बस्तर	868
12	दंतेवाड़ा	1
13	सुकमा	5
14	बीजापुर	4
15	कांकेर	3116
16	कोण्डागांव	3344
17	नारायणपुर	14
18	बिलासपुर	9814
19	मुंगेली	3081
20	जांजगीर-चांपा	5174
21	कोरबा	2338
22	रायगढ़	4324
23	जशपुर	3656
24	सरगुजा	2102
25	बलरामपुर	249
26	सूरजपुर	3218
27	कोरिया	482
	कुल	70368

परिशिष्ट "चालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1788) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

बस्तर संभाग में जिलेवार बीमित तेंदूपत्ता संग्राहक एवं बीमा प्रकरणों के भुगतान की स्थिति की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	बीमित तेंदू पत्ता संग्राहकों की संख्या	भुगतान किये गये बीमा प्रकरणों की संख्या	भुगतान राशि रु. (लाख में)	लंबित बीमा प्रकरण की संख्या
1	बीजापुर	35268	51	12.3	45
2	सुकमा	80373	13	3.9	16
3	दंतेवाड़ा	41114	12	3.315	16
4	बस्तर	99991	45	12.875	43
5	कोंकर	265238	437	76.16	310
6	कोंडागांव	138879	0	0	27
7	नारायणपुर	49233	48	7.7	68
	योग :-	710096	606	116.25	525

परिशिष्ट "इक्वालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1834) की जानकारी]

जिला मुगेली में वन विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में लगाये गये पौधों की रोपण स्थलवार जानकारी

वर्ष	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण स्थल का नाम	रोपण प्रजाति का नाम	रोपित पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2018-19	वन विभाग	मुगेली	किरना	साजा, अर्जुन, नीम, चार, आम, कपोक, अमरुद, सीताफल, रेन्ट्री, कूल्छू, बहेड़ा, आंवला, हर्रा, शिशु, करंज, बोहार, बीजा, मुहआ, बेल, ईमली, काजू, लक्ष्मीतरु, पीपल, पारिजात, कटहल, बांस, खैर	4180
			मामाभांवा	साजा, अर्जुन, नीम, चार, आम, कपोक, अमरुद, सीताफल, रेन्ट्री, कूल्छू, बीजा, कुसुम, बहेड़ा, पीपल, बरगद, काजू, बेल, शिशु, आंवला, लक्ष्मीतरु अमरुद, मुण्डी, बोहारा, पारिजात, मुनगा, कटहल,	4400
			जरहागांव	साजा, अर्जुन, नीम, चार, आम, कपोक, अमरुद, सीताफल, रेन्ट्री, कूल्छू, बांस, आंवला, काजू, शिशु, करंज, जामुन, ईमली, लक्ष्मीतरु, पीपल, पारिजात, बीजा, खैर, मुण्डी, बरगद, साल	4400
			कौहाबांधा	साजा, अर्जुन, नीम, चार, आम, कपोक, अमरुद, सीताफल, रेन्ट्री, कूल्छू, बांस, आंवला, काजू, शिशु, करंज, जामुन, ईमली, लक्ष्मीतरु, पीपल, पारिजात, बीजा, खैर, बरगद, मुनगा, कटहल, अमलतास, कुसुम,	7700
		नवागढ मोड़ रोड से पथरिया मोड़ तक	कहुआ, नीम, जामुन, पीपल, रेन्ट्री	936	
		पथरिया	जादूबन	बीजा, करंज, शिशु, नीम, आंवला, बेल, कूल्छू, सीताफल, कटहल, जामुन, पारिजात, अमरुद, लक्ष्मीतरु, पीपल, बरगद, काजू, बहेड़ा, सेनहा, मुण्डी, साल, कुसुम, अर्जुन, गुलमोहर, बांस, रेन्ट्री, आम, ईमली, मुनगा, कपोक, साजा, चार, खैर	13200

वर्ष	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण स्थल का नाम	रोपण प्रजाति का नाम	रोपित पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2018-19	वन विभाग	पथरिया	किसानों के खेतों एवं मेढों में रोपण : करूपान, चोरहा बुंदेली, धनगांव, (च), खैरवार, रामगढ़, निरजाम, बामपारा, कंतेली, रोहरा, गीधा, बछेरा, दामापुर, हथनी, मनोहरपुर, लिम्हा, कैरालीकला, तरवरपुर, छाता, देवरी, मोतिमपुर, करही	क्लोनल नीलगिरी, सागौन	60000
			किसानों के खेतों की मेढों में रोपण : जुनवानी, बदरा ठा., कलारजेवरा, तोरला, जोता, पथरीगढ़ी, दौना, खपरी, करही, चंदखुरी, भटगांव, डाङगांव, बावली, भुलनकापा, कुकुसदा, जेवरा, पुछेंली, हथनी, अण्डा, ढोढमा	क्लोनल नीलगिरी, सागौन	107900
		खुडिया	किसानों के खेतों एवं मेढों में रोपण : भूतकछार, राम्हेपुर, खुडिया, दुल्लापुर, चचेड़ी, सलगी, औरापानी, बिजराकछार, उंगनिया, सांभरधसान, कंसरी, घानाघाट, बघर्रा, साल्हेघोरी	क्लोनल नीलगिरी, सागौन	140000
2018-19	वन विभाग	लोरमी	किसानों के खेतों की मेढों में रोपण : धोबभट्टी, खम्हरिया, खपरी खुर्द, ढोलगी, बांधा, बैगाकापा, कोसाबाड़ी, कुसुमकुण्डा, कमलीडीह, मोहतरा कुर्मी, मोहतरा तेली, मसनी, मनकी, पीपरखुंटी, सिलतरा, पीपरखुंटा, परसवारा, पैजनिया, रहंगी, राउत, टिंगीपुर, रानीडेरा, साल्हेघोरी, सुकली, सेमरिया, डोंगरिया, डोमनपुर, चकला, चेचानडीही, जोगीपुर, नवाडीह लपटी, न्यू जल्दा, लपटी, लोरमी, लालपुर, कला, सुरीघाट, बामपारा, कंतेली, कोलिहापार, चोरहा, बुंदेली	क्लोनल नीलगिरी, सागौन, बांस	190000
योग - (वन विभाग)			Part-1		532716

वर्ष	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण स्थल का नाम	रोपण प्रजाति का नाम	रोपित पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2018-19	वन विकास निगम	तेंदुआ	करपिहा - RF/126	सागौन	40000
			टिंगीपुर - RF/95	सागौन	32500
			सारसडोल - RF/140	सागौन	75000
			टिंगीपुर - RF/92	सागौन	27500
			छिरहापारा - PF/165	सागौन	30000
			करपिहा - RF/127	सागौन	62500
	योग - (वन विकास निगम)				267500
	कुलयोग 2018-19				800216

परिशिष्ट "बयालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 1850) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-18 व 2018-19 (जनवरी 2019) तक की स्थिति में सौर सुजला योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवेदन	वर्ष 2018-19 में प्राप्त आवेदन (जनवरी 2019 तक)	कुल आवेदन
1	जगदलपुर	269	183	452
2	बकावण्ड	409	388	797
3	बस्तर	540	133	673
4	तोकापाल	202	167	369
5	लोहण्डीगुड़ा	122	183	305
6	दरभा	148	156	304
7	बास्तानार	161	132	293
	कुल	1851	1342	3193

प्रपत्र "ब"

बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-18 व 2018-19 (जनवरी 2019) तक की स्थिति में सौर सुजला योजनांतर्गत लाभान्वित किसानों एवं लंबित प्रकरण की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	कुल प्राप्त आवेदन	लाभान्वित हितग्राही	लंबित आवेदनों की संख्या
1	जगदलपुर	452	348	18
2	बकावण्ड	797	695	27
3	बस्तर	673	513	23
4	तोकापाल	369	287	17
5	लोहण्डीगुड़ा	305	258	13
6	दरभा	304	241	18
7	बास्तानार	293	217	22
	कुल	3193	2559	138

(राशि रुपये में)

क्र.	वर्ष	संरक्षित क्षेत्र का नाम	पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या	वेतन भुगतान की राशि	कार्यरत् श्रमिक संख्या	मजदूरी भुगतान की राशि	वन्यप्राणियों हेतु व्यय का विवरण				निर्माण कार्य के मरम्मत पर व्यय	कुल व्यय (5+7+11+12)
							विक्रिसा व्यय	भोजन व्यय	अन्य रख-रखाव व्यय	शोग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2017-18	नंदनवन जू एवं सफारी	अधिकारी 07	4666019.00	224	23621328.00	510781.00	10340214.00	4330416.00	15181411.00	933902.00	51856040.00
			कर्मचारी 23	7453380.00								
2	2018.19 (31 जनवरी 2019 तक)	नंदनवन जू एवं सफारी	अधिकारी 03	3842543.00	171	15266200.00	118546.00	11765799.00	3406918.00	15291263.00	0.00	41694432.00
			कर्मचारी 24	7294426.00								
Total				23256368.00		38887528.00	629327.00	22106013.00	7737334.00	30472674.00	933902.00	93550472.00

[अतार्थित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 1881) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

परिशुद्ध "वित्तीय"।

परिशिष्ट "चौवालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 1990) की जानकारी]

क्र.	आवेदक कंपनी का नाम	खनिपट्टा आवेदन दिनांक	आवेदित क्षेत्र का विवरण	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदन पत्र पर कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	23.06.2015	जिला कबीरधाम, तहसील बोडला, ग्राम इकलामा, चेलीकामा	932.000	भारत सरकार, खान मंत्रालय के निर्देश दिनांक 27.06.2016 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा दिनांक 20.01.2017 को गठित 03 सदस्यीय समिति के प्रतिवेदन/कमेंट्स हेतु प्रकरण लंबित है।
2	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड	27.7.2016	जिला राजनांदगांव, तहसील छुई खदान, ग्राम तेंदुभाठा, बसंतपुर	113.625	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत खनिपट्टा आवेदन पत्र परीक्षण हेतु संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म में प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "पेंतालीस"
[अतारंकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 1910) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

बेमेतरा जिले में वर्ष 2016-17 से माह जनवरी, 2019 तक वृक्षारोपण हेतु वर्षवार, मदवार, परिक्षेत्रवार स्वीकृत राशि एवं रोपित पौधों का विवरण

वर्ष	क्रिया-व्ययन एजेन्सी का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	रोपित पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2016-17	वन विभाग	बेमेतरा	हरियाली प्रसार	12.77	42950
		बेमेतरा	बाड़ी बांस योजना	1.50	2500
		बेमेतरा	कम्पा मद	25.01	19000
			योग बेमेतरा परिक्षेत्र -	39.28	64450
		साजा	हरियर छ.ग. कोष	99.67	11000
		साजा	हरियाली प्रसार	20.10	162760
		साजा	बाड़ी बांस योजना	1.50	2500
			योग साजा परिक्षेत्र -	121.28	176260
	योग वन विभाग :		160.56	240710	
2016-17	वन विकास निगम :	औद्योगिक वृक्षारोपण ईकार्ड भिलाई	हरियर छ.ग. कोष	19.89	7700
	योग वर्ष 2016-17 :			180.45	248410
2017-18	वन विभाग	बेमेतरा	पथ वृक्षारोपण	3.55	2000
		बेमेतरा	पथ वृक्षारोपण	5.33	3000
		बेमेतरा	नदी तट वृक्षारोपण	3.82	11000

वर्ष	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	परिक्षेत्र का नाम	भद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	रोपित पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2017-18	वन विभाग	बेमेतरा	हरियाली प्रसार	35.05	26600
		बेमेतरा	बाड़ी बांस योजना	5.15	6250
			योग बेमेतरा परिक्षेत्र -	52.89	48850
		साजा	पथ वृक्षारोपण	1.78	1000
		साजा	हरियाली प्रसार	14.34	150400
		साजा	बाड़ी बांस योजना	4.88	6250
		साजा	ए.डी.बी. योजना	23.03	2000
			योग साजा परिक्षेत्र -	44.03	159650
	योग वर्ष 2017-18 :			96.92	208500
2018-19 (जनवरी 2019 तक)	वन विभाग	बेमेतरा	पथ वृक्षारोपण	2.52	2000
		बेमेतरा	पथ वृक्षारोपण	3.78	3000
		बेमेतरा	नदी तट वृक्षारोपण	2.61	11000
		बेमेतरा	हरिहर छ.ग. कोष	21.13	8800
		बेमेतरा	हरिहर छ.ग. कोष	16.92	6600

वर्ष	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	रोपित पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2018-19 (जनवरी 2019 तक)	वन विभाग	बेमेतरा	डी.एम.एफ. मद	24.70	5390
		बेमेतरा	हरियाली प्रसार	3.28	40000
			योग बेमेतरा परिक्षेत्र -	74.94	76790
		साजा	पथ वृक्षारोपण	1.26	1000
		साजा	हरियर छ.ग. कोष	11.00	7150
		साजा	हरियर छ.ग. कोष	11.00	7150
		साजा	हरियाली प्रसार	2.94	40800
				योग साजा परिक्षेत्र -	26.20
	योग वर्ष 2018-19 :			101.14	132890

परिशिष्ट "छियालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1924) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वर्ष 2018-19 में प्रदेश में नलकूप खनन हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं खनित नलकूपों की जिलेवार जानकारी

(जनवरी 2019 की स्थिति में)

स.क्र.	जिले का नाम	जिले हेतु निर्धारित लक्ष्य	खनित किये गये नलकूप	नलकूप खनन किया जाना शेष
1	रायपुर	272	204	68
2	बलौदाबाजार	470	324	146
3	गरियाबंद	350	262	88
4	महासमुंद	324	257	67
5	धमतरी	414	281	133
6	राजनादगांव	511	372	139
7	दुर्ग	251	119	132
8	कबीरधाम	376	273	103
9	बालोद	268	145	123
10	बेमेतरा	318	214	104
11	जगदलपुर	297	193	104
12	दंतेवाड़ा	156	69	87
13	बीजापुर	257	171	86
14	सुकमा	131	70	61
15	कांकेर	173	125	48
16	कोण्डागांव	187	122	65
17	नारायणपुर	117	78	39
18	बिलासपुर	282	187	95
19	मुंगेर	186	130	56
20	कोरबा	330	177	153
21	जांजगीर चांपा	325	203	122
22	रायगढ़	325	238	87
23	सरगुजा	293	200	93
24	कोरिया	307	298	9
25	जशपुर	333	253	80
26	बलरामपुर	385	363	22
27	सूरजपुर	406	405	1
	योग	8044	5733	2311

परिशिष्ट "सैंतालीस"

[अंतरांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 1934) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	कार्य की जानकारी	कार्यादेश जारी फर्म/संस्था का नाम	अनुबंधनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	इंटेकवेल सह पंप हाउस 6 मी. व्यास 15 मी. गहराई एवं रॉ-वाटर पंप स्थापना 03 नग	मेसर्स जीमेक्स इंडिया प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग प्रा.लि. भिलाई	14.12.2018
2	रॉ वाटर पंपिंग मेन 400 मिमी कुल 13392 मी. डीआई के-9	मेसर्स टेको ड्रीलर्स, रायपुर	23.05.2018
3	जलशुद्धिकरण संयंत्र- 6.00 एम.एल.डी.	मेसर्स पी. जी. कन्स्ट्रक्शन, भाटापारा	26.07.2018
4	क्लीयर वाटर पम्प- 03 नग	मेसर्स एसोसियेटेड इंटरप्राइजेस, रायपुर	07.12.2018
5	पंपिंग मेन 100 मिमी से 300 मिमी कुल 9774 मी. डीआई के-9	मेसर्स आर. के. पोद्दार, कोरिया, मनेन्द्रगढ़	02.01.2018
6	1. टंकी- 700 किली क्षमता 20 मी. स्टेजिंग	मेसर्स महेश्वरी बिल्डर्स, राजनांदगांव	14.01.2018
7	2. टंकी- 1000 किली क्षमता 16 मी. स्टेजिंग	मेसर्स भारत बिल्डर्स, दिल्ली	28.01.2019
8	जलवितरण प्रणाली जोन-1 100 से 350 मिमी 9154 मी	मेसर्स भारतेश परमार, रायपुर	28.09.2018
9	जलवितरण प्रणाली जोन-2 100 से 400 मिमी व्यास 18135 मी.	मेसर्स भारतेश परमार, रायपुर	05.01.2019
10	जलवितरण प्रणाली जोन-3 100 से 300 मिमी व्यास 14748 मी.	मेसर्स उर्मिला कन्स्ट्रक्शन, अंबिकापुर	31.10.2018
11	जलवितरण प्रणाली जोन-4 100 से 200 मिमी व्यास 6580 मी.	मेसर्स अमित अग्रवाल, रायपुर	02.11.2019

परिशिष्ट "अड़तालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1959) के भाग (ख) की जानकारी]

नया रायपुर प्रोजेक्ट में नई राजधानी के निर्माण के लिये अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2019 तक निर्माण एजेंसी की सूची

1	मेसर्स आंतरिक, शॉप नं. 2, अरिहत काम्पलेक्स एम.एल.ए. रेस्ट हाउस के पीछे रिंग रोड नं. 1 रायपुर
2	मेसर्स आरती इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डकॉन लिमिटेड, आरती हाउस, अशोक रतन, विधानसभा रोड शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)
3	मेसर्स आदी दुर्गा स्टील प्रा0 लि0, चिरलुडोह वार्ड, गंगा रामनगर महाराष्ट्र मण्डल के पास चौबे कालोनी रायपुर
4	मेसर्स एयर पर फेक्शन, विक्रांत, द्वितीय तल, सुखेजा टावर राइट टाउन जबलपुर
5	मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन, साईनगर, जोरा कॉलोनी, रायपुर छ.ग.।
6	मेसर्स ए.बी. साईस एंड टेक्नोलॉजी प्रा0 लि0, वाई-49, होस खारा नई दिल्ली
7	मेसर्स भाटिया इंजिनियरिंग वर्क्स, पालिटेकनिक कालेज के सामने जी.ई.रोड, दुर्ग (छ.ग.)
8	श्री बी. के. लाला (अग्रवाल), मेन मार्केट किरन्दुल जिला दंतवाड़ा
9	मेसर्स बोलबम कंस्ट्रक्शन, क्वाटरनं. 3बी, स्ट्रीट-12, सेक्टर-1, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
10	मेसर्स बी एस बी के प्रा0 लि0, 4 मंजील, सूर्या ट्रेजर आईलेण्ड मॉल भिलाई (छ.ग.) पिन नं. 490020
11	मेसर्स बीसिनैस्या एण्ड कंपनी (प्रोजेक्ट) लि0, मकान नं. 8-2-502/1/ए, जीवी टावर, रोड नं. 7, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
12	मेसर्स डीबोनी फेक्सीकॉम (इंडिया) लि0, कुकरेजा हाउस, प्रथम तल, 46 रानी झॉंसी रोड, नई दिल्ली-110055
13	मेसर्स डी व्ही प्रोजेक्स लि0, विकास काम्पलेक्स, पी. एच. रोड कोरबा छ.ग.
14	मेसर्स डिजीसोल टेक्नोलॉजिक्स (प्रॉपराइटर-राहुल यादव), राठौर प्लाजा ग्राउण्ड फ्लोर, शॉपनं. 8-9 ललिता चौक भदरी पारा
15	मेसर्स डीलार्ड हाईटेक फर्नीचर इंडस्ट्रीस (प्रा) लि0, 46-ए रानी झॉंसी रोड, नई दिल्ली
16	मेसर्स डीलार्ड कोम लिमिटेड, कुकरेजा हाउस, द्वितीय तल, 46, रानी झॉंसी रोड, नई दिल्ली
17	मेसर्स डी. के. इंजिनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन, सी.-73, सेक्टर 2 देवेन्द्र नगर रायपुर 492009
18	मेसर्स ट्रान्कर एण्ड ब्रदर्स, पटवारी हल्का नम्बर 45, लघुदिया थाना के सामने, एस. आर. कम्पाउण्ड, देवास नाका, इंदौर (मध्यप्रदेश) - 51
19	मेसर्स द्वारका कंस्ट्रक्शन, प्लॉट नम्बर 165, सिंधी कॉलोनी, खामला, नागपुर (महाराष्ट्र)
20	मेसर्स ईगल इन्फ्रा इंडिया लि0, एम-2 रेजेन्सी गार्डन अपार्टमेंट उल्हास नगर थाणे मुम्बई (महाराष्ट्र)
21	मेसर्स ईरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि0, हाउस नं. 56 सेक्टर 62 नोएडा यूपी
22	मेसर्स एसल इन्फ्रा प्रा0 लि0, स्पर्श आटो मॉबाईल के पास, धमतरी रोड, पचपेडी नाका रायपुर (छ.ग.)।
23	मेसर्स एसल प्रोजेक्ट प्रा0 लि0, ऑफिस नंबर-05, प्रथम तल, मारुति हार्टस्, एम0 एम. आई हॉस्पिटल के पास, पचपेडी नाका, रायपुर
24	मेसर्स फायबर फिल इंजीनियरर्स, सी-9/9574, वसंत कुंज नई दिल्ली 110070
25	मेसर्स गौरव वासुदेवा, जे-82, 2 मंजील टैक्स टाईल मार्केट पण्डरी रायपुर- 492013
26	मेसर्स गॉवर कंस्ट्रक्शन लि0, डी एस एस- 378, सेक्टर-16, 17 हि सार (हरयाणा)
27	मेसर्स जी कॅनसीटिंग कलेक्शन प्रा0 लि0, प्लॉटनं. 7, सेक्टर-6, आई. एम. टी., मानेसर, गुडगांव, हरियाणा
28	मेसर्स जी मैक्स इंडिया प्रोजेक्टस् एण्ड इंजीनियरिंग प्रा0 लि0, 301, जोनल मार्केट, सेक्टर-10, भिलाई-490006 छ.ग.
29	मेसर्स गोदरेज एण्ड बायको मैनुफेक्चरिंग कं0 लि0, प्लाननं. 9/1 बी/एस भारत पेट्रोल पंप महोबा बाजार जी ई रोड रायपुर
30	मेसर्स गोयल ट्रेडर्स, 15-ए/16-ए इण्डस्ट्रीयल स्टेट धमधा रोड दुर्ग
31	मेसर्स गौरी कंस्ट्रक्शन, शॉपनं. 10, यशपाल काम्पलेक्स, रामसागर पारा रायपुर (छ.ग.)

32	मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लि0, रजिस्टर्ड आफिस पी-34/ए गोरिया हटराड (दक्षिण) कोलकाता 700031
33	मेसर्स एचवी एयर कंडिशनिंग सिस्टम प्रा0 लि0, 404, आई.टी.सी. ट्वीन टावर, प्लाट नंबर-बी.-9, नेताजी सुभाष पैलेस, प्रोतापपुरा, नई दिल्ली
34	मेसर्स आई. एल. एण्ड एफ. एस. लि0, फाइनेंसियल सेंटर सी.-22 जी ब्लॉक बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा मुंबई
35	मेसर्स इंस्टा एक्विबिसन प्रा0 लि0, बी-602, प्रमुख प्लाजा कार्डिनल ग्रेसियस रोड चाकला अंधेरी (ई.) मुंबई 400099
36	मेसर्स इंटेरियर्स, 69, टेक्स टाइल मार्केट पंडरी रायपुर
37	श्री आई. पी. पटेल, हाउस नं. 375 गोल चौक रोहिणी पुरम डंगनिया रायपुर
38	मेसर्स ईशान कंस्ट्रक्शन, 13, श्री राम टॉवर, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)
39	मेसर्स आई. व्ही. आर. सी. एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लि0, एम-22/3 आरटी, विजय नगर कालोनी, हैदराबाद 50057 आंध्रप्रदेश
40	मेसर्स जे. आई. टी. एफ. वॉटर इन्फ्रा (नया रायपुर) लि0, जिन्दल आई टीएफ सेन्टर 28 शिवाजी मार्ग नई दिल्ली 110015
41	मेसर्स जे. एम. सी. प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि0, ए-104 शपथ-4, कर्णा वली क्लब, एस. जी. रोड, अहमदाबाद-380051
42	मेसर्स खलतकर कंस्ट्रक्शन (जयंत खलतकर), आर-96, रेशिम बाग उमरेड रोड नागपुर
43	मेसर्स कॉमप्रेस (इंडिया) प्रा0 लि0, गोदरेज कोलसियम बिल्डिंग भू-तल बी-वींग, इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के सामने मुंबई 400022
44	मेसर्स कुमार इक्विपमेंट (इंडिया), ई-441, चोपा की आर आई आई सी ओ, आई एन डी एल, एरिया भिवाडी, जिला-अलवार (राजस्थान) 301019
45	श्री लखन सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ नगर हरिभूमि प्रेस के पास करमा चौक रायपुर
46	मेसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो लि0, कन्स्ट्रक्शन, वॉटर एण्ड इफ्लु एन्ट ट्रीटमेंट, माउण्ट पूनामाली रोड, माना पक्कम, पो.बाक्स नम्बर-979, चेन्नई-600089
47	मेसर्स लाईला डीकसल टेक्नोलॉजिक्स एल एल पी. 204 बिल्डिंग नं. 3, सेक्टर 3, मिलेनियम बिजनेस पार्क म्हापे नवी मुंबई 400701
48	मेसर्स लूथरा कॉर्पोरेशन, संजय तारण पुस्कर के सामने, नेहरू नगर, बिलासपुर
49	मेसर्स मां गायत्री डिजीटल, आमापारा, रायपुर (छ.ग.)
50	मेसर्स एम. बी. एल. इन्फ्रा स्ट्रक्चर लि., बानी कार्पोरेटक्वाटर नं. 303 तृतीय तल प्लाट नं. 5 कामर्सियल सेंटर जसोला नई दिल्ली
51	मेसर्स एम. ई. सी. इंजीनियर्स, जे. व्ही. एस. टावर, ई-12/2, सेक्टर-01, नोएडा (उ.प्र.)
52	मेसर्स मैथोडेक्स सिस्टम प्रा0 लि0, 607-608, मेघदूत-94, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली
53	मेसर्स मोनाचइरगोनोंमिक्स (इंडिया) प्रा0 लि0, 304, भुवना टावर, एस. डी. रोड सिकंदराबाद
54	श्री विनोद कुमार जैन, ए-3, जीवन विहार, एयर पोर्ट रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) - 492006
55	मेसर्स मुसले कंस्ट्रक्शन, भाग्य श्री अपार्टमेंट, 52 (सी), त्रिमूर्ति नगर, भामती रिग रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)- 440022
56	श्री नरेन्द्र तिवारी, 762, सुंदर नगर रायपुर
57	मेसर्स नेचरटैच टैण्ड स्कैपिंग प्रा0 लि0 बी-65 3 मंजील जी के माइल स्टोन न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 492006
58	श्री एन. सी. नाहर, हाउस नं. 1 मालविया नगर दुर्ग (छ.ग.)
59	मेसर्स निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, प्रथम-9/6, प्रथम तल नेहरू नगर भिलाई
60	मेसर्स एन. के. जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, 124, ग्राउंड फ्लोर, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाबर रोड, नई दिल्ली
61	मेसर्स पटेल इन्टर प्राईरस, विकास कॉम्प्लेक्स, पी. एच. रोड कोरबा छ.ग.
62	श्री राकेश कुमार अप्रवाल, तिलक मार्ग के पीछे गति खरसिया, जिला रायगढ़
63	मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, रामकी हाउस, राजभवन रोड, सोमाजी गुड्डा, हैदराबाद
64	मेसर्स आर. एच. एजेन्सी, 112, महालक्ष्मी क्लथ मार्केट, पंडरी रायपुर छ.ग.
65	मेसर्स रिपल इंजीनियरिंग प्रा0 लि0, जी.-36, तीसरा तल, ग्रीन पार्क, मेन मार्केट नई दिल्ली 110016
66	मेसर्स आर. के. बिल्डर्स, बी-10 ए. बसन्त कार्नेर अवति विहार रायपुर (छ.ग.)
67	श्री आर. के. लाला, हाउस नं. जे-2, सेक्टर-2 पानी टंकी के पास अवती विहार रायपुर

68	मेसर्स रॉयल पॉवर टर्नकी इम्पलीमेंट प्रा0 लि0. महादा कामर्सियल काम्प्लेक्स आफिस नं. 3 वाई सी एम हास्तिटल के पास एस टी नगर पिम्परी पुणे
69	मेसर्स रोज मॉल टेक्नोलॉजी लि0, 137 उद्योग विहार फेस 1 गुडगांव
70	मेसर्स रॉयल सेफ कंपनी, हेड आफिस एवं शो रूम प्लाट नं. 4, फर्नीचर ब्लॉक किती नगर नई दिल्ली 110055
71	मेसर्स साई इन्फ्रा (कैलारा सतपती- प्रॉपराइटर), जोरा पी ओ कृष्क नगर तेलीबांधा रायपुर
72	मेसर्स सेवक राम बलानी एण्ड कंपनी, डी.जी.-03, अशोका मिलिनियम, रिंग रोड नंबर-01, रायपुर
73	श्री शरद शुक्ला, स्टेशन रोड रायपुर
74	मेसर्स श्री जी कृपा प्रोजेक्ट लि0, 289, सुंदर नगर सी एस ई बी के पीछे रायपुर
75	मेसर्स श्री किशन एण्ड कंपनी, 4/12, श्री टावर द्वितीय तल शांति नगर रायपुर
76	मेसर्स मंगलम कंस्ट्रक्शन, होटल विजय इन्टरनेशनल ट्रियर स्टेशन रोड दुर्ग (छ.ग.)
77	मेसर्स सिमेन्स लिमिटेड, 43, शांती पैली, रॉस बेहारी कनेक्टर, ई. एम. बाईपास, कोलकाता
78	मेसर्स साइन पोस्ट इंडिया प्रा0 लि0 (एयरपोर्ट एलएलपी), 202, प्रेशमान हाउस, विल-पारले (ई) सैन्टाक्रुज एयरपोर्ट टर्मिनल के पास मुंबई 400099
79	मेसर्स सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी, सावित्री सदन बल्चेव बाग राजनांदगांव
80	मेसर्स एस. के. इन्टरप्राइसेस, एमआईजी-1/45 एस वी बी पी नगर जमना पाली कोरबा
81	मेसर्स एस. कुमार एसोसिएट्स, जी एस कम्पाउण्ड नया बस स्टैण्ड ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा
82	मेसर्स स्टारलिंग एण्ड विल्सन पॉवरगेन प्रा0 लि0, द्वितीय तल, तारासदन, मकान नंबर-सी 17/5, सेक्टर-05, देवेन्द्र नगर, रायपुर
83	मेसर्स सुरभि इन्टरप्राइसेस, शॉप नं. 123, प्रथम तल, गुरु घासीदास प्लाजा आमापारा जी. ई. रोड रायपुर (छ.ग.)
84	मेसर्स तरंग मार्केटिंग (अजय कुमार लूथरा), बस स्टैण्ड होटल सात्विक पंडरी रायपुर
85	मेसर्स टूचवेल मार्केटिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग (इंडिया) प्रा0 लि0, शॉपनं. 6 एवं 7 महालक्ष्मी मार्केट पंडरी रायपुर
86	मेसर्स वर्षा कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर, मिल्लेनियम प्लाजा, 25-26, द्वितीय तल, रायपुर (छ.ग.)
87	मेसर्स वी.ए.एन. निर्माण, ऑफिस-22, मौलश्री विहार, वी. आई. पी. रोड, पुरेना, रायपुर
88	मेसर्स वासुन्धरा कंस्ट्रक्शन, सी 64 सेक्टर 1 देवेन्द्र नगर रायपुर
89	श्री विनोद कुमार जैन, ए-3, जीवन विहार, एयरपोर्ट रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) - 492006
90	मेसर्स विकास एसोसिएट्स, पुराना दरौ रोड रामसागर पारा कोरबा
91	मेसर्स विश्वराज इन्वायरमेंट प्रा0 लि0, चतुर्थ तल, मधुमाधव टॉवर, लक्ष्मी भुवन स्केदयर, धरमपेठ, नागपुर (महाराष्ट्र) - 440010
92	मेसर्स वी सोर्स दिल्ली, 118-3, पर्यावरण काम्प्लेक्स संकेत नई दिल्ली